

विकास के चरण

इस्लामी शिक्षण प्रशिक्षण के आलोक में

संकलन:

प्रोफेसर र्वालिद बिन हामिद अल-हाज़िमी

शिक्षक इस्लामी शिक्षण प्रशिक्षण विभाग

इस्लामिक युनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा

हिंदी अनुवाद:

साबिर हुसैन पुत्र मुहम्मद मुजीबुर रहमान

भूमिका

हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह तआला के लिए है, हम उसका गुणगान करते हैं, उसी से सहायता चाहते हैं तथा उसी से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, और हम अपनी जान की बुराई से अल्लाह की शरण चाहते हैं, जिसे अल्लाह मार्गदर्शन दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह मार्गभ्रमित कर दे उसे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है वह अकेला है जिसका कोई साझीदार नहीं है, और इस बात की गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके बंदे एवं रसूल (भक्त व दूत) हैं। स्तुतिगान के पश्चात:

एक व्यक्ति विकास के जिन चरणों से गुजरता है उसका ज्ञान तथा प्रत्येक चरण की विशेषताओं में रुचि लेना आधुनिक अध्ययन अथवा पश्चिमी अध्ययन का परिणाम नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, बल्कि कुरआन की आयतों एवं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नतों ने उन अवस्थाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है जिनसे एक भ्रूण माता के गर्भ में गुजरता है, साथ ही जन्म के बाद वह जिन चरणों से गुजरता है जैसे शैशवावस्था, बाल्यवस्था, व्यस्कता फिर क्रमवार ढंग से बुढ़ापे को पहुँचना, यहाँ तक कि वह अति व्योवृद्ध अवस्था में पहुँच जाता है।

कुरआन एवं हदीस में इस संबंध में इस्लामी दिशानिर्देश मौजूद हैं जो इन चरणों को इस तरह से निर्देशित करते हैं कि उनमें सुधार हो और उन्हें विचलन तथा पथभ्रमिता से संरक्षित किया जा सके, इसी प्रकार से कुछ पूर्ववर्ती विद्वानों की पुस्तकों में भी इन चरणों पर वैज्ञानिक प्रयास मौजूद हैं, जैसे इब्नुल जौज़ी रहिमहुल्लाह जिन्होंने इस विषय पर एक अत्यंत बहुमूल्य पुस्तिका लिखी जिसका नाम है “तम्बीहु अल् नाइम अल-गम्र अला मवासिम अल-उम्र (जीवन के मौसमों से अचेत गहरी निद्रा में सोए हुए को सचेत करना)”, इस पुस्तक में उन्होंने मानव जीवन के भागों को पाँच मौसमों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं: बाल्यवस्था, व्यस्कता, अधेड़ होना, बुढ़ापा तथा अति व्योवृद्धता, इसी तरह इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह ने भी अपनी पुस्तक “तुहफ़तुल मौदूद (प्रियतम के लिए उपहार)” में जीवन के कुछ चरणों का उल्लेख किया है। यह अध्ययन जो पाठकों के सामने है, पूर्व में लिखी गई बातों की ही पुष्टि करने का एक प्रयास है कि इस्लामी शिक्षा ने मनुष्य को उसके जीवन के सभी चरणों में उचित मार्गदर्शन करने पर बहुत ध्यान दिया है, जो जीवन के हर चरण के लिए उपयुक्त है, और सामान्य मार्गदर्शन की ओर भी ध्यान दिया है जिसकी मनुष्य को उसके सभी चरणों में आवश्यकता होती है।

मनुष्य अपने गठन के पहले चरण में अपनी माता के गर्भ में अनेक अवस्थाओं से हो

कर गुजरता है, जब तक कि वह उस रूप और छवि तक नहीं पहुँच जाता जो सर्वशक्तिमान अल्लाह उसके लिए चाहता है, और यह अल्लाह की अपार शक्ति, उसकी महानता और चमत्कारों में से एक है जो उसके आधिपत्य, देवत्व और सत्य पूज्य होने को दर्शाता है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला (वह पवित्र है तथा उसकी महिमा हो) इस प्राणी को उसके पहले रूप में वापस लाने में सक्षम है, जब उसका शरीर मिट्टी के साथ मिल जाता है, और रेत के कणों की तरह बन जाता है, सर्वशक्तिमान अल्लाह की महिमा हो जिसका सामर्थ्य उसकी रचना व सृष्टि से प्रकट होता है। वह तुच्छ जल से शुक्राणु बनाता है, फिर शुक्राणु जोंक बन जाता है, फिर जोंक भ्रूण बन जाता है। सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फरमाता है:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ

اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾﴾

अनुवाद: (और हमने उत्पन्न किया है मनुष्य को मिट्टी के सार से। फिर हम ने उसे वीर्य बना कर रख दिया एक सुरक्षित स्थान में। फिर बदल दिया वीर्य को जमे हुए रक्त में, फिर हम ने उसे मांस का लोथड़ा बना दिया, फिर हम ने लोथड़े में हड्डियां बनाईं, फिर हम ने पहना दिया हड्डियों को मांस, फिर उसे एक अन्य रूप में उत्पन्न कर दिया, तो शुभ है अल्लाह जो सबसे अच्छी उत्पत्ति करने वाला है)। सूरह मूमिनून: १२-१४।

एक स्थान पर अल्लाह फरमाता है:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلِعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾﴾

अनुवाद: (वही है जिस ने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर वीर्य से, फिर बंधे रक्त से, फिर तुम्हें निकालता है (गर्भाशयों से) शिशु बना कर। फिर बड़ा करता है ताकि तुम अपनी पूरी शक्ति को पहुँचो, फिर बूढ़े हो जाओ तथा तुम में कुछ इस से पहले ही मर जाते हैं और यह इसलिए होता है ताकि तुम अपनी निश्चित आयु को पहुँच जाओ, तथा ताकि तुम समझो)। सूरह ग़ाफ़िर: ६७।

एक अन्य स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फरमाता है:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّبَيِّنٍ لَّكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ

نُحْرَجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا
يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ
رَوْحٍ بَهِيحٍ ﴿٥١﴾

अनुवाद: (हे लोगो! यदि तुम किसी संदेह में हो पुनः जीवित किये जाने के विषय में, तो (सोचो कि) हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर रक्त के थक्के से, फिर मांस के खण्ड से जो चित्रित तथा चित्रविहीन होता है, ताकि हम उजागर कर दें तुम्हारे लिए, और स्थिर रखते हैं गर्भाशयों में जब तक चाहें एक निर्धारित अवधि तक, फिर तुम्हें निकालते हैं शिशु बना कर, फिर ताकि तुम पहुँचो अपने यौवन को, और तुम में से कुछ (पहले ही) मर जाते हैं और तुम में से जो कुछ जीर्ण आयु की ओर फेर दिये जाते हैं ताकि उसे कुछ ज्ञान न रह जाए ज्ञान के पश्चात, तथा तुम देखते हो धरती को सूखी, फिर जब हम उस पर जल-वर्षा करते हैं, तो सहसा लहलहाने और उभरने लगी, तथा उगा देती है प्रत्येक प्रकार की सुदृश्य वनस्पतियाँ)। सूरह हज्ज: ५।

अल्लाह का कथन है:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ
مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥١﴾﴾

अनुवाद: (अल्लाह ही है जिसने उत्पन्न किया तुम्हें निर्बल दशा से फिर प्रदान किया निर्बलता के पश्चात बल फिर कर दिया बल के पश्चात निर्बल तथा बूढ़ा, वह उत्पन्न करता है जो चाहता है और वही सर्वज्ञ सब सामर्थ्य रखने वाला है)। सूरह रूम: ५४।

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “तुम में से प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक रचना उसकी माँ के गर्भ में चालीस दिन तक एकत्र रहती है, फिर वह उस अवधि (चालीस दिन) तक अलक्रा (जोंक की तरह गर्भ की दीवार से चिपका हुआ) रहता है, फिर उतनी ही अवधि तक वह मुज़ाह के रूप में (जिसमें रीढ़ की हड्डी के निशान दांत से चबाए जाने के निशान से मिलते जुलते हैं)। फिर अल्लाह तआला फ़रिश्ते को भेजता है जो उसमें रूह (आत्मा) फूँकता है, तथा उसे चार बातों का आदेश दिया जाता है: उसकी जीविका, उसकी उम्र, उसके कर्म और वह भाग्यशाली होगा या अभागा, लिख लिया जाए”। मुझे उस ज्ञात की क्रम जिसके सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं, तुम में से कोई व्यक्ति स्वर्ग वाले कार्य करता रहता है, यहाँ तक कि जब उसके और स्वर्ग के बीच एक बिन्ना (बालिशत) का अंतर रह जाता है, तो (अल्लाह का) लिखा हुआ विजय पा लेता है अतः वह नरक में जाने वाले कार्य करने लगता है तथा उसमें प्रवेश कर जाता है। और तुम में से कोई व्यक्ति नरक में जाने वाले कार्य करता रहता है यहाँ तक कि उसके एवं नरक के

बीच एक बालिशत की दूरी रह जाती है, तो (अल्लाह का) लिखा हुआ प्रभुत्व पा लेता है तथा वह स्वर्ग में जाने वाला कार्य करने लगता है और अंततः वह स्वर्ग में प्रवेश पा लेता है”⁽¹⁾

कुरआन की आयतों (श्लोकों) ने उन चरणों को स्पष्ट किया है जिन से एक भ्रूण अपने माता के गर्भ में गुजरता है, फिर उस के बाद उसका जन्म लेना, बाल्यावस्था में पहुँचना, तत्पश्चात् बड़ा होना अर्थात् व्यस्क एवं शक्तिशाली बन जाना, फिर क्रमानुसार वह कमज़ोर होता चला जाता है ताकि अधेड़ हो कर वृद्ध हो जाए यहाँ तक कि अत्यंत व्योवृद्ध अवस्था में पहुँच जाता है जब तक अल्लाह उसे मृत्यु न दे, ताकि ज्ञान, समझ, बुद्धि एवं मार्गदर्शन इत्यादि जो कुछ वह जानता था सब भूल कर ऐसा हो जाए मानो वह कुछ जानता ही नहीं था।

प्रशिक्षकों ने प्रत्येक चरण की विशेषताओं, उसकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक और भावनात्मक विशेषताओं और शैक्षिक क्षमता को जानने के लिए बचपन से बुढ़ापे तक मानव विकास के चरणों पर ध्यान दिया है, ताकि प्रत्येक चरण के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने में उनसे लाभ उठाया जा सके, उसकी विशेषताओं, प्रकृति और झुकाव के अनुसार, एवं मार्गदर्शन, परामर्श और शिक्षा की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, क्योंकि किसी वस्तु की विशेषताओं को जानने से उसके साथ व्यवहार करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।

बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मानव जिन चरणों से हो कर गुजरता है उसका स्पष्टिकरण निम्न प्रकार से है:

- (1) स्तनपान अवस्था।
- (2) हज़ानह (गोदी वाला) चरण।
- (3) वस्तुओं में अंतर करने की आयु वाला चरण।
- (4) युवावस्था।
- (5) अल् रुशद “अल् अशुद्द - अल् शबाब” अर्थात् वयस्कता (परिपक्वता - युवावस्था)
- (6) शैखूखह अर्थात् बुढ़ापे का चरण।

मैं सर्वशक्तिमान अल्लाह से इसमें सफलता की कामना करता हूँ।

डॉक्टर / खालिद हामिद अल-हाज़िमी

⁽¹⁾ बुखारी (२/ ४२४) किताब बद्इल्खल्क ५९, बाब: जिक्र अल-मलाइका ६, संख्या (३२०८), व मुस्लिम (४/ २०३६ किताब: अल-क्रदर ४६, बाब: कैफ़ियतु खल्किल आदमिय्यी फ़ी बत्न -ए- उम्मिही १, संख्या: (१/ २६४३) तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा वर्णित हैं।

प्रथम: स्तनपान अवस्था

स्तनपान अवस्था का अर्थ:

यह वह चरण है जिसमें शिशु अपने भोजन के लिए माता के दूध पर निर्भर होता है, स्तनपान अवस्था का आरंभ शिशु के पैदा होने से लेकर दो वर्ष पूर्ण होने तक रहता है, अर्थात् इस की अवधि दो वर्ष है, अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

अनुवाद: (और माताएं अपने बच्चों को पूरे दो वर्ष दूध पिलाएं, जिनकी इच्छा दुग्धपान कराने की समय सीमा पूरी करने की हो)। सूरह बकरह: २३३।

इस चरण की विशेषता:

इस चरण को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भ्रूण गर्भ से अलग हो जाता है और एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता है जिसका वह पहले से आदी नहीं था, जहां उस पर परिवार का प्रभाव भोजन, उपचार और उसके बाद उनके लिए स्नेह और देखभाल के रूप में शुरू होता है। “जन्म के बाद उसकी देखभाल करना अधिक महत्वपूर्ण है, और उसका ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब तक पेड़ की शाखाएँ और डालियां पेड़ से मिली हुई और उससे जुड़ी हुई होती हैं, हवाएँ और तूफान शायद ही उसे हिला पाएं या उसे उखाड़ पाएं परंतु यदि उसे इस से अलग कर के दूसरी जगह लगाया जाए, तो प्रकोप उस पर हमला करेगा और हल्की सी हवा के साथ उस तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक कि वह उसे उखाड़ फेंकेगा”⁽¹⁾ “भ्रूण जब गर्भ छोड़ देता है, तो वह जिस चीज़ का अभ्यस्त हो चुका था उन समस्त परिस्थितियों से अचानक अलग हो जाता है, और उसके लिए इस अचानक स्थानांतरण की गंभीरता क्रमिक स्थानांतरण की गंभीरता से अधिक होती है।⁽²⁾

इस स्तर पर बच्चे के जन्मजात पहलुओं के अधिग्रहण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक स्तनपान है। प्रशिक्षक स्वीकार करते हैं कि बच्चा दुग्धपान करने वाले दूध से प्रभावित होता है और स्तनपान कराने वाली माँ के नैतिक आचरण से भी उसके दूध के द्वारा

(1) इब्नु कैयिमिल जौज़िय्यह, तुहफतुल मौदूद बि अहकामिल मौलूद, अन्वेषण: बशीर मुहम्मद अयूसह, दारुल बयान, अल-मुअय्यिद, द्वितीय संस्करण वर्ष १४०७ हिज्री, दिमशक-ताइफ़, पृष्ठ (१७१)।

(2) पिछला संदर्भ, पृष्ठ (१७१)।

प्रभावित होता है।⁽¹⁾ इसका अर्थ यह है कि अच्छी संस्कारी, उचित परवरिश वाली और पवित्र महिला का चयन करना चाहिए। इब्ने कुदामा, रहिमहुल्लाह, कहते हैं कि: अबू अब्दुल्लाह को अनैतिक और बहुदेववादी महिलाओं के दूध से स्तनपान कराना पसंद नहीं था। उमर बिन खत्ताब एवं उमर बिन अब्दुल अजीज रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि: दूध अपना प्रभाव डालता है, अतः किसी यहूदी महिला, ईसाई महिला, या व्यभिचारी महिला से दूध नहीं पिलाया जायेगा, न ही जिम्मा वाली महिला को स्वीकार किया जायेगा, क्योंकि एक अनैतिक महिला का दूध, उसे पीने वाले बच्चे पर अपनी अनैतिकता का प्रभाव डालने का कारण बन सकता है, और उसे उम्मे वलद बना सकता है जिस से वह तिरस्कार अनुभव करेगा एवं उसे हानि होगी, नैसर्गिक रूप से भी तथा तिरस्कारित रूप से भी, बहुदेववादी महिला से स्तनपान कराना उसे उस शिशु की माता बना देगा और वह अपने बहुदेववादिता के साथ उसके लिए एक सम्मानित माँ का रूप ले लेगी, और यह भी संभव है कि वह शिशु उसके एवं उसके धर्म के प्रेम में पड़ कर उसकी ओर झुक जाए, इसी प्रकार से मूर्ख महिला के दूध से स्तनपान कराना अप्रिय है ताकि बच्चा मूर्खता में उसके जैसा न हो जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है: “स्तनपान चरित्र बदलता है, और अल्लाह ही बेहतर जानता है”।⁽²⁾

इस अवस्था में जिस चीज का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए वह यह है कि बच्चों को हराम (निषेध) दूध से बचाना चाहिए, चाहे वह हराम धन से खरीदा गया हो या दुग्धपान कराने वाली महिला हराम-हलाल (वैध-अवैध) से बचती नहीं हो, गजाली रहिमहुल्लाह कहते हैं: “हराम के द्वारा अर्जित दूध में बरकत (कल्याण) नहीं होती, जब शिशु उसको पीता है तो उसका खमीर (मूल प्रवृत्ति) दुष्ट वस्तु से तैयार हो जाता है, अतः उसका स्वभाव उस ओर झुका होता है जो दुष्ट लोगों को शोभा देता है”।⁽³⁾

जिस प्रकार से खराब स्तनपान का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से अच्छे स्तनपान का सकारात्मक प्रभाव शिशु के व्यवहार पर पड़ता है। एक संस्कारी, दयालु माँ अपने बच्चे को गले लगाते समय आश्वासन और भावनात्मक पोषण प्रदान करती है, और स्तनपान कराते समय लाभकारी भौतिक पोषण प्रदान करती है।⁽⁴⁾ स्तनपान प्रक्रिया बच्चे के लिए उसकी

(1) मिक़दाद बिल-जिन्न, अल-तर्बियह अल-अखलाकिय्यह अल-इस्लामिय्यह, पृष्ठ (४५३)।

(2) इब्ने कुदामा, अल-मुम्नी, खण्ड ९, दारुलकुतुब अल-इल्मिय्या, (द, त), बैरूत, पृष्ठ (२२८)।

(3) अल-गजाली, इह्याउ उलूमिदीन, खण्ड ३, पृष्ठ (७९)।

(4) गर्भावस्था के अंत और बच्चे के जन्म के आरंभ में, स्तन एक सफेद, पीले रंग का तरल स्रावित करता है। सर्वशक्तिमान अल्लाह द्वारा बनाई गई एक आश्चर्यजनक चीज यह है कि यह तरल पदार्थ घुले हुए

माँ के साथ संचार का एक साधन है, इसलिए वह उसकी गोद में, उसके आगोश में और उसकी बाहों में स्वयं को गर्म और सुरक्षित महसूस करता है।

“स्तनपान न केवल बच्चे को पोषण देता है और उसकी (जैविक) भूख को संतुष्ट करता है, बल्कि यह उसकी दया व करुणा तथा प्रेम व सुरक्षा की प्यासी आत्मा को भी पोषण देता है”⁽¹⁾। अतः वह मनोवैज्ञानिक शांति एवं हर्ष का अनुभव करता है जो उसे संतुलित मनोदशा एवं व्यवहार प्रदान करता है जिससे वह स्तनपान से वंचित होने से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभावों एवं भावनात्मक पोषण के कारण प्रभावित हो सकता था।

- इस चरण में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिशु अपनी भावनाओं एवं दुःखों को जिसको वह संबोधित कर रहा है उसकी भाषा में नहीं समझ सकता, परंतु ऐसा होने पर वह रोने लगता है, और अपने हाथ अथवा अंगूठा को शरीर के उस स्थान पर रखता है जहाँ उसे पीड़ा का अनुभव होता है।⁽²⁾

- इस चरण की विशेषताओं में से है, भयजनक दृश्य एवं परेशान करने वाली गतिविधियों को देख कर उसका त्वरित प्रभावित हो जाना, कभी-कभी यह उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने का कारण भी बन जाता है।

- इस अवस्था में माँ के गर्भ के करीब रहने के कारण शिशु का शरीर कमजोर होता है। इसे देखते हुए, बच्चे को समय से पहले चलने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण पैरों में मुड़ाव और टेढ़ेपन की समस्या हो सकती है, इसी प्रकार जब तक शिशु तीन महीने का न हो जाए, उसे इधर-उधर नहीं घुमाना चाहिए।

- इस अवस्था की एक विशेषता बच्चे का बार-बार रोना और दूध पीने के लिए चिल्लाना है, विशेषतः जब वह भूखा हो। ऐसी स्थिति में माता-पिता को बच्चे के रोने और चिल्लाने से परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस रोने से उसे बहुत फायदा होता है, क्योंकि

रासायनिक पदार्थों से बना होता है जो बच्चे को बीमारियों के संक्रमण से बचाता है। जन्म के अगले दिन, दूध बनना शुरू हो जाता है और पहले थोड़ी मात्रा में स्टार्च और शर्करा के साथ यह लगभग पानी होता है, फिर इसके घटक केंद्रित होते हैं और समय-समय पर स्टार्च, शर्करा और वसा का प्रतिशत बढ़ता जाता है।
देखें: फ्री ज़िलालिल कुरआन, खण्ड: ६, पृष्ठ (३४३८)।

(1) मुहम्मद सय्यद ज़अबलावी, अल-उमूमतु फ़िल कुरआन व अल-सुन्नह अल-नबविय्यह, मुअस्सतुरिसालह, चतुर्थ संस्करण, वर्ष: १४०९ हिज्री – १९८८ ईस्वी, बैरूत, पृष्ठ (१५०)।

(2) इब्नु क़ैयिमिल जौज़िय्यह, तुहफतुल मौदूद, पृष्ठ (१७०-१७१)।

यह उसके अंगों को नियंत्रित करता है, उसकी आंतों एवं छाती को फैलाता है, उसके मस्तिष्क को उर्जा प्रदान करता है, उसके स्वभाव की रक्षा करता है, तथा पेट और आंतों में मौजूद अपशिष्ट को बाहर निकालने को प्रेरित करता है। इसी तरह रोने से मस्तिष्क का अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि बलगम इत्यादि बाहर निकल जाता है।

- इस चरण की विशेषताओं में से एक यह है कि बच्चे को तुरंत स्तनपान छोड़ने में कठिनाई होती है। इसलिए, धीरे-धीरे दूध छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अचानक कोई कार्य करना उसकी प्रकृति के विरुद्ध है⁽¹⁾, तथा कभी-कभी यह उसे अपनी उंगली को स्तन की तरह चूसने की ओर ले जा सकता है।

इस चरण के लिए इस्लामी मार्गदर्शन:

अज्ञान देना: इस्लाम अपनी माँ के गर्भ से निकलने के बाद से ही बच्चे के नैतिक पालन-पोषण को लेकर चिंतित रहा है, यही कारण है कि वह उसे उचित देखभाल और इस्लामी शिष्टाचार का उपहार भेंट करता है, अतः नवजात शिशु के कान में पहली चीज़ जो पहुँचनी चाहिए वह कलेमा -ए- तौहीद (एकेश्वरवाद का वचन) हो। अब्दुल्लाह बिन अबू राफ़ेअ अपने पिता से वर्णन करते हैं कि उन्होंने कहा: “मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा कि जब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हसन बिन अली को जन्म दिया तो आपने उनके कान में नमाज़ के समान अज्ञान दिया”।⁽²⁾ इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह अज्ञान के लाभ गिनाते हुए कहते हैं कि: “इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अज्ञान का प्रभाव उसके हृदय तक पहुँचता है, और वह उससे प्रभावित होता है यद्यपि वह इसको अनुभव न कर पाए, इसके साथ-साथ अज्ञान का दूसरा लाभ भी है, जैसे कि अज्ञान का कलमा (वचन) सुन कर शैतान भाग जाता है”।⁽³⁾

तहनीक⁽⁴⁾ करना (घुट्टी देना): फिर शिशु को खजूर के द्वारा तहनीक कराए, क्योंकि

(1) पिछला संदर्भ, पृष्ठ (१४०-१४२)।

(2) अबू दावूद (५/ ३३३) किताबुल अदब ३५, बाब: फ़ी अल-सबीय्य यूलदु फ़, युअज़्ज़नु फ़ी उज़्ज़ुनिही ११६, संख्या (१४०५), वर्णित शब्द इन्ही के हैं, तिर्मिज़ी (४/ ८२) किताब: अल-अज़ाही २०, बाब अलजान फ़ी उज़्ज़ुनिल मौलूद १७, संख्या (१५१४), उन्होंने कहा है कि: (यह हदीस हसन सहीह है), और अलबानी ने इस हदीस को हसन कहा है, सहीह सुनन अबू दावूद, संख्या (४२५८-५१०५)।

(3) इब्नु कैयिमिल जौज़िय्यह, तुहफतुल मौदूद, पृष्ठ (२२)।

(4) अर्थात: किसी नेक एवं संत व्यक्ति जो रोगी न हो का खजूर अथवा कोई मीठी चीज़ मुँह से चबा कर उसे नवजात शिशु के मुँह में रख कर उसके तालू पर मल दिया जाए। अनुवादक।

ऐसा करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है, अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि: “मेरे घर में एक लड़का पैदा हुआ, मैं उसे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया तो आपने उसका नाम इब्राहीम रखा और आपने खजूर के द्वारा उसकी तहनीक की”⁽¹⁾ तहनीक कहते हैं किसी चीज़ को चबा कर शिशु के मुँह में डाल कर उसे चटाने को, ऐसा इसलिये किया जाता है ताकि शिशु खाने का अभ्यस्त हो जाए एवं उसे शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त वस्तु पका हुआ खजूर है, यदि यह उपलब्ध न हो तो डम्हा खजूर, और यदि यह भी उपलब्ध न हो तो कोई मीठी वस्तु के द्वारा ऐसा करे, और ऐसी स्थिति में मधु मक्खी का शहद अन्य की तुलना में अधिक लाभदायक है।⁽²⁾

संभवतः इस काम की हिकमत (तत्त्वदर्शिता) जीभ, तालू और जबड़ों की गति के माध्यम से मुँह की मांसपेशियों को मजबूत करना है, ताकि नवजात शिशु स्तनपान और दूध को अवशोषित करने की प्रक्रिया के लिए तैयार हो सके।⁽³⁾

अक्रीका: इस्लामी शिष्टाचार में से यह है कि शिशु के आगमन पर प्रसन्नता एवं हर्ष प्रकट करते हुए उसकी ओर से अक्रीका किया जाए। उम्मे कुर्ज अल-कअबिय्या से वर्णित है, वह कहती हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अक्रीका के संबंध में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “बालक की ओर से दो बकरियां तथा बालिका की ओर से एक बकरी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बकरी हो या बकरा हो”⁽⁴⁾

(1) बुखारी (३/ ४४९) किताब: अल-अक्रीका ७१, बाब: तस्मियतुल मौलूद ग़दात यूलूद् १, संख्या (५४६७), मुस्लिम (३/ १९६०) किताब: अल-आदाब २८, बाब इस्तिहबाब तहनीक अल-मौलूद ५, संख्या (२४ – २१४५), उपरोक्त शब्द इन्ही के द्वारा वर्णित हैं।

(2) इब्ने हज़र, फ़त्हल बारी खण्ड ९, पृष्ठ (५८८)।

(3) अब्दुल्लाह अलवान: किस्सतुल हिदायह, खण्ड १, दारुस्सलाम, वर्ष: १४०० हिज़्री – १९८० ईस्वी, बैरूत, पृष्ठ (४२५)। तथा दौरुल उम्मे फ़ित् तर्बियह, खैरिय्यह हसन (५७-५८)।

(4) अबू दावूद (३/ २५८) किताब अल-अज़ाही १, बाब: फ़िल अक्रीका २१, संख्या (२८३६), तिर्मिज़ी (४/ ८३) किताब: अल-अज़ाही २०, बाब अल-अज़ान फ़ी उज़ुनिल मौलूद १७, संख्या (१५१६) तथा उपरोक्त शब्द इन्ही के हैं, तथा उन्होंने कहा कि: यह हदीस हसन सहीह है, इब्ने माजह (२/ १०५६) किताब अल-ज़बाएह २७, बाब: अल-अक्रीका १, संख्या (३१६२), नसई (७/ १६५) किताब: अल-अक्रीका ४०, बाब: कम युअक़्कु अन् अल-जारियह ४, संख्या (४२१८), तथा अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है, सुनन अबू दावूद, संख्या (२४६१-२८३६)।

सिर से कष्ट को दूर करना: इस्लामी आचार ने शिशु को जो उपहार दिये हैं उनमें से यह भी है कि सातवें दिन उसके सिर से कष्ट को दूर कर दिया जाए। मोमिनो की माँ आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि “अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हसन एवं हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ओर से सातवें दिन अक्रीका किया और उन दोनों का नामकरण किया, तथा यह आदेश दिया कि उनके सिरों से कष्ट को दूर कर दिया जाए”⁽¹⁾

नाम रखना: नैतिक आतिथ्य जो एक शिशु को प्राप्त होता है उनमें से एक यह भी है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “रात मेरे घर एक बालक ने जन्म लिया है तथा मैंने उसका नाम अपने बाप इब्राहीम के नाम पर इब्राहीम रखा है”⁽²⁾

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “अल्लाह के निकट तुम्हारे नामों में से सबसे प्रिय नाम अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान हैं”⁽³⁾

चूँकि नाम अर्थ का साँचा एवं उसका सूचक होता है, अतः बुद्धिमत्ता का तकाजा यह है कि उनके बीच संबंध और अनुपात सही हो। बल्कि नामों का, नाम रखे गए व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, और नामों का उन नामों के द्वारा नामकरण किए गए व्यक्ति पर सुंदरता, कुरूपता, हल्कापन, भारीपन, सौम्यता एवं उग्रता के रूप में प्रभाव पड़ता है।

إلا ومعناه إن فكرت في لقبه

وقلما أبصرت عينك ذا لقب

बहुत कम ऐसा होगा कि आप की आँखें किसी उपनाम धारी व्यक्ति को देखे और जब आप उसके उपनाम में सोच-विचार करें तो उसका अर्थ समझ में न आए।

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अच्छे नामों को पसंद करते थे।⁽⁴⁾

⁽¹⁾ हाकिम (४/ २३७) तथा उन्होंने कहा है कि: इस हदीस की सनद सहीह है परंतु बुखारी व मुस्लिम ने इस प्रकार से इसको रिवायत नहीं किया है, तथा जहबी ने तल्खीस में उनके कथन से सहमति जताई है, और अलबानी ने इसे सहीह कहा है। अल-इर्वा, संख्या (११६४)।

⁽²⁾ मुस्लिम (४/ १८०७) किताब: अल-फ़जाइल ४३, बाब: रहमतुहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल-सिब्याना व अल-इयाला व तवाज़ुउहु व फ़ज़लु ज़ालिका १५, संख्या (६२/ २३१५)।

⁽³⁾ मुस्लिम (३/ १६८२) किताब: अल-आदाब ३८, बाब: अल-नह्यु अन् अल-तकन्नी बि अबिल कासिम १, संख्या (२/ २१३२)।

⁽⁴⁾ इब्नु कैयिमिल जौज़िय्यह, ज़ाद अल-मआद, खण्ड २, पृष्ठ (३२६)।

जहाँ तक नाम रखने के समय की बात है तो कुछ हदीसों में वर्णित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुछ शिशुओं का नाम उनके जन्म के दूसरे दिन रखा, तथा कुछ हदीस में है कि सातवें दिन शिशु का नाम रखा जाएगा, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने (सहीह बुखारी में) अध्याय बांधा है, बाबु: तस्मियतिल मौलूदि गदात् यूलदु लिमन् लम युअक्का अन्हु व तहनीकिहि (अर्थात: जिस शिशु का अक्रीका करने का इरादा न हो तो जन्म के दिन ही उसका नाम रखना एवं उसकी तहनीक करना -जायज़ है-), तथा यह बड़ा उत्तम संग्रहण है कि जो अपने शिशु का अक्रीका करने का इरादा न रखता हो वह उसका नाम रखने में सातवें दिन तक विलंब न करे तथा जो उसका अक्रीका करने का इरादा रखता हो वह उसका नाम रखने को सातवें दिन तक विलंबित करे⁽¹⁾, इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: “जिस दिन शिशु जन्म ले उसी दिन उसका नाम रखना जायज़ है, तथा तीन दिन विलंब कर के तीसरे दिन नाम रखना भी जायज़ है, और यह भी जायज़ है कि अक्रीका वाले सातवें दिन नाम रखा जाए, इस मामले में छूट है”⁽²⁾

खतना करना: बच्चे के शिष्टाचार के संबंध में जिन बातों का ध्यान रखा जाएगा उनमें से एक उसका खतना करना भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “पाँच चीज़ें फ़ितरत (नैसर्गिकता) में से हैं: खतना करना, नाभि के नीचे के बालों को साफ़ करना⁽³⁾, मूँछों को छोटा करना, नाखून काटना एवं बगल के बालों को उखाड़ना”⁽⁴⁾

वली (अभिभावक) पर अनिवार्य है कि शिशु के व्यस्क होने से पहले ही उसका खतना करवा दे, क्योंकि यह उन चीज़ों में से है जिनके बिना वाजिब पूर्ण नहीं होता है। “खतना में पवित्रता, स्वच्छता, शोभा, चरित्र में सुधार और इच्छा का संशोधन शामिल है, जो अत्यधिक होने पर व्यक्ति को जानवरों के समान बना देता है, और यदि यह मूल रूप से हो ही नहीं तो उसे निर्जीव वस्तुओं के समान बना देता है, खतना उन्हें संतुलित करता है, इसी कारण आप देखेंगे

⁽¹⁾ इब्ने हजर, फ़तहुल बारी खण्ड ९, पृष्ठ (५८७-५८८)।

⁽²⁾ तुहफ़तुल मौदूद, पृष्ठ (७१)।

⁽³⁾ हदीस में अरबी भाषा का शब्द (इस्तिहदाद) प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है: उस्तुरा प्रयोग करने के द्वारा नाभि के नीचे के बालों को काटना। अन्निहायह (१/ ३५३)।

⁽⁴⁾ बुखारी (४/ ७२) किताब: अल-लिबास ७७, बाब: तकलीमिल अज़ाफ़िर ६४, संख्या (५८९१) तथा उपरोक्त शब्द उन्ही के हैं, मुस्लिम (१/ २२२) किताब: अल-तहारत २, बाब: ख़िसालिल फ़ितरत १६, संख्या (५०- २५७)।

कि (सामान्यतः) खतनारहित पुरुष और खतनारहित स्त्रियां संभोग से तृप्त नहीं होतीं⁽¹⁾

शायद यही वह चीज़ है जो यौन रुझान में व्यक्ति के नैतिक व्यवहार को संयमित बनाती है, ताकि उसकी इच्छा उस पर हावी न हो जाए और वह उसका गुलाम न बन जाए, और न ही वह अपनी इच्छा पर ऐसा हावी हो जाए कि उसको दबा ले और शादी न करने का निर्णय करके संतानोत्पत्ति को रोक दे, अतः न तो अति होनी चाहिए और न ही कमी, जिससे उसे संयमित मनोदशा रखने और मामलों को बिना हड़बड़ी के विचारपूर्वक निपटाने में मदद मिलती है, और यह उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। अल्लाह अधिक बेहतर जानने वाला है।

इस स्तर पर, बच्चे के चरित्र को प्रभावित करने वाली नैतिकता पर इस्लामी ध्यान स्पष्ट है, जैसे स्तनपान, तहनीक, अक्रीका, नाम रखना, अज्ञान देना और खतना करना, यह इस्लामी शिक्षा की विशेषताओं में से एक है जो मुसलमान के आचरण एवं इस्लामी व्यक्तित्व के विभिन्न अन्य पहलुओं के मामले में, उसे दूसरों से अलग करता है।

शैक्षिक अनुप्रयोग:

- नवजात शिशु के संबंध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत को अमल में लाने पर ध्यान देना, जैसे तहनीक, दाहिने कान में अज्ञान देना, यदि बालक हो तो दो बकरी के द्वारा तथा यदि बालिका हो तो एक बकरी के द्वारा सातवें दिन उसका अक्रीका करना, वयस्क होने के पूर्व खतना करना, माता की छाती से ही स्तनपान कराना एवं जब तक अत्यंत आवश्यक न हो और कोई विकल्प उपलब्ध न हो तब तक पाउडर वाले दूध का सहारा न लेना क्योंकि माँ के दूध के घटकों में पोषण संबंधी ऐसी पूर्णता होती है जो किसी अन्य चीज़ में नहीं पाई जाती है।

- यदि स्तनपान कराने का कार्य माता के सिवा कोई अन्य महिला अंजाम दे तो इसके लिए पवित्र एवं धर्मपरायण महिला का चयन करना।

- संभवतः ये बातें उसके स्वस्थ शारीरिक विकास के माध्यम से उसके नैतिक गठन में परिलक्षित होती हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ दिमाग की ओर ले जाता है, जिसका व्यक्ति के व्यवहार और कार्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

- सामाजिक मार्गदर्शन के साधन इस संबंध में अपनी ठोस शैक्षिक भूमिका निभाएं।

⁽¹⁾ इब्नु कैयिमिल जौज़िय्यह, तुहफतुल मौदूद, पृष्ठ (१४-११५)।

द्वितीय: हज़ानह (गोदी) वाला चरण

हज़ानह का अर्थ:

हज़ानह का शाब्दिक अर्थ:

इब्ने मन्ज़ूर कहते हैं: पक्षी जब अपने अंडे को अपने दोनों पंखों के बीच छिपा ले एवं स्वयं से चिमटा ले, तो कहा जाता है: हज़न् अत्तैरु बैज़हु (حُضِن الطير بيضه), इसी प्रकार से उस महिला के लिए भी यह शब्द प्रयोग किया जाता है जो अपने बच्चे को अपनी गोद में छिपा ले, और कहा जाता है: (حُضِن الصبي حضنا رباة) उसने बच्चे को गोद में लिया अर्थात् उसका लालन-पालन किया।

इस चरण को हज़ानह के नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि अभिभावक एवं भरण पोषण करने वाला शिशु को अपनी गोद में चिमटा लेता है।⁽¹⁾

हज़ानह की पारंपरिक परिभाषा: “इससे अभिप्राय बच्चे की देखभाल करना है, मुख्यतः उस चीज़ से जो उसके लिए हानिकारक है, तथा वह कार्य करना जो उसके हित में हो, जैसे उसके सिर और कपड़े धोना, तेल लगाना, काजल लगाना, उसे पालने में रखना, उसे हिलाना ताकि वह सो जाए आदि कार्य जो उसके हित में हैं”।⁽²⁾

जुर्जानी कहते हैं कि: यह बच्चे का पालन-पोषण करना है⁽³⁾, और इसका अर्थ है कि इस चरण में बच्चे को किसी भी अन्य जगह की तुलना में अपनी माँ के आलिंगन की अधिक आवश्यकता होती है। इस का अर्थ उन्होंने उस चरण के नाम से जोड़ा है जिससे बच्चा गुजरता है⁽⁴⁾, और यह चरण आरंभ होता है तीसरे वर्ष की शुरुआत से लेकर छठे वर्ष के अंत तक।⁽⁵⁾

⁽¹⁾ देखें: लिसानुल अरब, खण्ड १२, मादा हज़न (حُضِن) पृष्ठ (१२३)।

⁽²⁾ इब्ने ज़यान, मनारुस्सबील, खण्ड २, पृष्ठ (२७९)।

⁽³⁾ जुर्जानी, तअरीफ़ात, दारुल कुतुब अल-इल्मिया, तृतीय संस्करण, वर्ष १४०८ हिज़्री – १९८८ ईस्वी, बैरूत, पृष्ठ (८८)।

⁽⁴⁾ देखें: इब्ने कुदामा की अल-मुग्नी, खण्ड ९, पृष्ठ (२९८), इसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि माँ बच्चे को अपनी गोद में रखने का अधिक अधिकार रखती है यदि उसके अंदर इसके लिए अनिवार्य शर्तें मौजूद हों तो।

⁽⁵⁾ हज़ानह की परिभाषा से यह स्पष्ट हो गया कि स्तनपान कराने का चरण इसमें शामिल है, इससे अलग नहीं है, जैसाकि फ़िक्ह (धर्मशास्त्र) में उल्लिखित है, लेकिन यह परिभाषा शैक्षिक दृष्टिकोण से है, क्योंकि

इस चरण की विशेषताएं:

इस स्तर पर, बच्चे में सामाजिक रीति-रिवाजों को समझने, धारण करने और सीखने की क्षमताएं पनपती हैं और उसके भाषाई कौशल में वृद्धि होती है। इस स्तर पर, बच्चा अपने आस-पास के लोगों, विशेषकर परिवार के सदस्यों की नकल करता है, और उनके व्यवहार, विचार, भाषा, धर्म एवं नैतिकता से प्रभावित होता है, तथा वह उनके व्यक्तित्व का अनुकरण करता है। इसीलिए, पालन-पोषण की प्रक्रिया में इस चरण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें परिवार की भूमिका उसके स्वभाव को प्रभावित करने में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “प्रत्येक शिशु फ़ितरत (इस्लाम) पर जन्म लेता है, परंतु उसके माता-पिता उसे यहूदी, अथवा नसरानी (ईसाई) अथवा मजूसी बना देते हैं, जिस प्रकार से चौपाया निर्दोष पशु को जन्म देता है, क्या तुम उनमें किसी को कान कटा हुआ पाते हो?”⁽¹⁾ तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “जो भी शिशु जन्म लेता है वह मिल्लत (ए-इस्लाम) पर ही जन्म लेता है”⁽²⁾ इब्ने तैमिय्या रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: “यह स्पष्ट रूप से इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि शिशु फ़ितरत -ए- इस्लाम (इस्लाम धर्म) पर जन्म लेता है”⁽³⁾

यह बच्चे की धार्मिकता और नैतिकता अपनाने में परिवार की भूमिका के महत्व की पुष्टि करता है। एक बच्चे के लिए अच्छे और बुरे की अवधारणा एक बुद्धिमान वयस्क से भिन्न होती है। एक छोटे बच्चे की नजर में, अच्छी चीजें वे हैं जिन्हें करने में वह प्रसन्नता अनुभव करता है, जबकि बुरे कार्य वे हैं जो वयस्कों को अप्रसन्न करते हैं, और विशेष रूप से उसकी माँ को अप्रसन्न करते हैं⁽⁴⁾

माता-पिता और बच्चे के बीच संबंध का, उसके व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव

स्तनपान के चरण की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, और यह चरण जिसे हम लिख रहे हैं की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, और मेरे लिए यह पर्याप्त है कि मैंने इस नाम को इस्लामी न्यायशास्त्र से उधार लिया है और इसका उपयोग किया है।

⁽¹⁾ बुखारी (१/ ४२४), किताब: अल-जनायज़ २३, बाब: मा क्रीला फ़ी औलादिल मुश्रिकीन ९२, संख्या (१३८५) व मुस्लिम (४/ २०४८), किताब: अल-क्रदर, बाब: माना कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला अल-फ़ित्रति ६, संख्या (२३ – २६५८)।

⁽²⁾ मुस्लिम (४/ २०४८) किताब: अल-क्रदर, बाब: माना कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला अल-फ़ित्रति ६, संख्या (२२ – २६५८)।

⁽³⁾ इब्ने तैमिय्या, दर्द तआरुज़िल अक्रिल व अल-नक्रिल, खण्ड ८, पृष्ठ (२६६)।

⁽⁴⁾ मुहम्मद सैयिद अल-ज़अबलावी, अल-उमुमतु फ़ि अल-किताबि व अल-सुन्नति, पृष्ठ (२८)।

पड़ता है। जब भी वे उससे दूर होते हैं, तो वह उपेक्षित, भयभीत और अवांछित महसूस करता है। यही कारण है कि, जब वे बच्चे से दूर होते हैं और उस से बचने का प्रयास करते हैं, तो हम बच्चों की ओर से भावनात्मक प्रश्न सुनते हैं, (जैसे वह कहेगा:) क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? ताकि वह भावना एवं प्यार की सत्यता की पुष्टि कर सके।

इसलिए, “एक बच्चे का नैतिक विकास उसके माता-पिता, परिवार और रिश्तेदारों के साथ उसके संबंधों की सीमा और उसके तत्कालीन सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है”⁽¹⁾, और यह नौकरानियों पर पूर्णतः निर्भर हो जाने के खतरे को दर्शाता है, जब तक कि वे धार्मिकता एवं शीलता की शर्तों को पूरा नहीं करती हों साथ ही साथ बच्चों के प्रति उनके प्रेम भाव और करुणा की पुष्टि नहीं हो जाती हो, क्योंकि जो लोग बच्चों के लिए करुणा नहीं रखते हैं वे ज्यादातर उनकी परवाह नहीं करते हैं, और ऐसा करना उनके व्यवहार को सुधारने के बजाय बिगाड़ सकता है।

इस चरण के लिए इस्लामी दिशानिर्देश:

इस्लाम धर्म ने इस चरण का अत्यधिक ध्यान रखा है, क्योंकि शिशु का लालन-पालन करना एवं उसकी देख-भाल करना वाजिब (अनिवार्य है), क्योंकि यदि उसे छोड़ दिया जाए तो वह बर्बाद हो जायेगा, अतः बर्बाद होने से उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य है, इसी प्रकार से उस पर खर्च करना भी अपरिहार्य है, और जो अधर्मी, अनैतिक एवं मंदबुद्धि हो उस से हज़ानह का अधिकार छीन लिया जायेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह हज़ानह के अधिकार को सही ढंग से अदा कर पायेगा। माता यदि हज़ानह के योग्य न हो तो वह अस्तित्वहीन के समान है, और हज़ानह का यह अधिकार उसके निकटवर्ति किसी अन्य को चला जायेगा, और यदि माता-पिता दोनों ही हज़ानह के लिए अयोग्य हों तो दोनों को ही अस्तित्वहीन माना जायेगा तथा यह अधिकार उन दोनों के निकटवर्ति किसी अन्य को प्राप्त हो जायेगा⁽²⁾ अतः हज़ानह (गोद में रखने) वाले का इसके योग्य होना आवश्यक है अन्यथा यह अधिकार किसी और को प्राप्त हो जायेगा, और ऐसा बच्चे को भटकने एवं बर्बाद होने से बचाने हेतु किया जाता है।

इसके अलावा, इस स्तर पर बच्चे को दुलार और देखभाल के माध्यम से प्यार दिखाकर भावनात्मक निर्माण की आवश्यकता होती है, ताकि यह एक ग्रहणशील आधार के रूप में कार्य

⁽¹⁾ फ़ुआद अल-बही अस्सय्यिद, अल-उसुस अल-नफ़िसय्यह लिन नुमुव्व, पृष्ठ (४२३)।

⁽²⁾ इब्ने कुदामा, अल-मुनी, खण्ड ९, पृष्ठ (२९७ – २२९)।

करे जो उसे उन लोगों के हर निर्देश को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे जिन्हें वह प्यार करता है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बच्चों से प्रेम करते थे तथा उन्हें सलाम किया करते थे, यअला बिन मुरह से वर्णित है, वह कहते हैं कि: “हमलोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे, तथा हमें भोजन का निमंत्रण दिया गया था, वहाँ मार्ग में हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) खेल रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जल्दी से लोगों से आगे बढ़े और अपने दोनों हाथों को फैलाया, तो वह इधर-उधर भागने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके साथ हंसी मजाक करते रहे यहाँ तक कि उनको पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक हाथ उसकी ठुड्डी के नीचे रखा और दूसरा उसके सिर पर रखा और उसे गले लगा लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “हुसैन मुझ से है और मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह उससे मुहब्बत करे जो हुसैन से मुहब्बत करे, हुसैन हमारे सिब्तों⁽¹⁾ में से एक सिब्त हैं”⁽²⁾

“अबू हरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हसन पुत्र अली रज़ियल्लाहु अन्हु का चुम्बन लिया, यह देख कर अकरअ बिन ह्राबिस ने कहा: मेरे पास दस बच्चे हैं, मैंने उनमें से कभी किसी का चुम्बन नहीं लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जो दया नहीं करता है उस पर दया नहीं किया जाता”⁽³⁾ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बच्चों के प्रति प्रेम

(1) अर्थात् खैर व भलाई के उम्मतों में से एक उम्मत हैं, इस्हाक बिन इब्राहीम की संतान में सिब्त वैसे ही है जैसे इस्माईल अलैहिस्सलाम की संतान में कबीला, और अरबी भाषा के शब्द अस्बात जोकि बहुवचन है, इसका एकवचन सिब्त है। अल-निहाया (२/ ३३४०)।

(2) तिर्मिज़ी (५/ ६१७) किताब: अल-मनाक्रिब ५०, बाब: मनाक्रिब अल-हसन व अल-हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ३१, संख्या (३७७५), और उन्होंने कहा है कि: यह हदीस हसन है। और इब्ने माजह ने भी इसे रिवायत किया है (१/ ५१), अल-मुक्रदिमा, बाब: फ़ज़ाइलु अर्रहाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ११, संख्या (६४४)। तथा बुखारी ने अल-अदब अल-मुफ़द में इसे रिवायत किया है, बाब: मुआनकुसू स़बियि १७०, संख्या (३६४), तथा उपरोक्त शब्द उसी के हैं, एवं अलबानी ने इसे हसन करार दिया है, सहीह हसन इब्ने माजह, संख्या (४११८ – १४४)।

(3) बुखारी (४/ ९१) किताब: अल-अदब ७८, बाब: रहमतुल वलद व तक़बीलुहु व मुआनक़तुहु १८, संख्या (५९९७), तथा उपरोक्त उन्ही के हैं, व मुस्लिम (४/ १८०८-१८०९) किताब: अल-फ़ज़ाइल ४३, बाब: रहमतुहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बिस्सिब्यान वलअयालि, व तवाज़ुअहु, वफ़ज़लु ज़ालिका १५, संख्या (६५ – २३१८)।

केवल अपने नाती तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आप अपने नाती के सिवा अन्य बच्चों से भी अत्यधिक प्रेम करते थे, और मानव को ऐसा ही होना चाहिए, आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि: “अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास बच्चे लाए जाते थे तो आप उनके लिए बरकत (कल्याण) की दुआ करते और उन्हें तहनीक (घुट्टी) देते थे”⁽¹⁾

यह देखभाल बच्चे के माता-पिता और उसके प्रति सहानुभूति रखने वालों को बच्चे के निकट प्रिय बनाती है, इसलिए वह उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, और उनके साथ झगड़ने से घृणा एवं नफ़रत करता है। ऐसा लगता है जैसे वह एक नींव है जिस पर नैतिक पालन-पोषण के लिए इस्लामी दिशा-निर्देश तैयार की जाएंगी।

चूँकि बच्चे की समझने और महसूस करने की क्षमता उसे मार्गदर्शन स्वीकार करने में सक्षम बनाती है, इस चरण के अंत में वह अपनी क्षमता एवं सामर्थ्य के अनुसार पवित्र कुरआन के कुछ सूरह को याद कर सकता है, क्योंकि पवित्र कुरआन नैतिकता का संविधान है।

इस स्तर पर बच्चे की याद रखने की क्षमता की पुष्टि उस बात से होती है जो हम अपने समकालीन युग में कई बच्चों के अंदर इसकी उपस्थिति के रूप में देखते हैं जो अभी तक सात वर्ष की आयु तक भी नहीं पहुंचे होते हैं और उन्होंने पवित्र कुरआन के कुछ सूरह को याद कर लिया होता है। इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: “मैंने सात वर्ष की आयु में कुरआन याद कर लिया था तथा दस वर्ष की आयु में (इमाम मालिक की) मुवत्ता कंठस्थ कर लिया था”⁽²⁾ सल्ल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी कहते हैं कि: “मैंने मकतब जा कर कुरआन सीखना आरंभ किया तथा छह या सात वर्ष की आयु में मैंने कुरआन याद कर लिया था”⁽³⁾

सर्वशक्तिमान अल्लाह की पुस्तक (कुरआन) को याद करने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु इस चरण में हर समय शैक्षिक पहलू पर ही

⁽¹⁾ बुखारी (४/ १६३) किताब: अल-दावात ८०, बाब: अल-दुआउ लिस्सिब्यान बिल बरकति व मस्हि रुऊसिहिम २१, संख्या (६३५५), व मुस्लिम (१/ २३७) किताब: अल-तहारत २, बाब: हुक्मु बौलित् तिफ़िल्र रज़ीअ व कैफ़ियतु गस्लिहि ३१, संख्या (१०१/ २८६), तथा उपरोक्त शब्ह इन्ही के द्वारा वर्णित हैं।

⁽²⁾ अल् सुयूती, तबक्रातुल् हुफ़्राज़, अन्वेषण: अली मुहम्मद उमर, मकतबा वहबा, प्रथम संस्करण, वर्ष १३९३-१९७३, काहिरा, पृष्ठ (१५४)।

⁽³⁾ अल् ग़ज़ाली, इह्याउ उलूमिदीन, खण्ड ३, पृष्ठ (७३), तथा देखें: मन्हजुत् तर्बियति लिन्नित्तफ़ल, लेखक: मुहम्मद नूर सुवैदा।

ध्यान नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की ऊर्जा की सीमा पर होना चाहिए क्योंकि इस चरण में बच्चा खेलने की ओर आकर्षित होता है। इसलिए “बच्चों को खेलने से रोकना और उसे पढ़ने के लिए हमेशा थकाना उसके दिल को मार देता है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, वह परेशान जीवन व्यतीत करता है तथा वह उससे छुटकारा पाने के लिए उपाय सोचता रहता है”⁽¹⁾

इस चरण के आरंभ में ध्यान देने योग्य जो बात है वह यह कि बच्चों को “ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर् रसूलुल्लाह” (अर्थात: अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं तथा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल व दूत हैं) याद करवाया जाए।

इब्नुल जौजी रहिमहुल्लाह पाँच वर्ष की आयु हो जाने पर हिफज़ (स्मरण) करने का महत्व बताते हुए कहते हैं: जिसके पास बच्चा है उसे बाल्यावस्था से ही बच्चे को स्वच्छता और पवित्रता का आदी बनाने का प्रयास करना चाहिए, और उसे शिष्टाचार के साथ शिक्षित करना चाहिए। जब वह पाँच वर्ष की आयु का हो जाए तो उसे शिक्षा देना आरंभ करो⁽²⁾ तथा उसको अच्छा आचरण सिखाए, अच्छी बातें बताए, भोजन के आदाब सिखाए, बुजुर्गों का सम्मान करना एवं घरों की पवित्रता का ध्यान रखना सिखाए, और माता-पिता के संग अदब से रहना सिखाए। अल्लाह तआला के इस कथन का पालन करते हुए:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْأَكْبَرُ أَحَدُهُمَا ۖ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ ۝ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ٢٤ ۝ ﴾

और (हे मनुष्य!) तेरे पालनहार ने आदेश दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत (वंदना) न करो, तथा माता-पिता के साथ उपकार करो, यदि तेरे पास दोनों में से एक वृद्धावस्था को पहुँच जायें अथवा दोनों, तो उन्हें उप्रफ़ तक न कहो, और न झिड़को, और उन से सादर बात बोलो। और उन के लिए विनम्रता का बाजू दया से झुका दो, और प्रार्थना करो: हे मेरे पालनहार! उन दोनों पर दया कर, जैसे उन दोनों ने बाल्यावस्था में मेरा लालन-पालन किया है। सूरह बनी इस्राईल: २३-२४।

“बुढ़ापे का अपना वैभव-प्रताप होता है, तथा कुरआन के शब्द ﴿عِنْدَكَ﴾ वृद्धावस्था

(1) पिछला संदर्भ, खण्ड ३, पृष्ठ (७३)।

(2) इब्नुल जौजी, अल् हसु अला हिफ़ज़ल इल्मि, दारुल कुतुब अल-इल्मिया, प्रथम संस्करण, बैरुत, पृष्ठ (१७)।

एवं कमजोरी की स्थिति में शरण देने एवं प्रेम करने का अर्थ स्पष्ट करता है।

﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُقٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا﴾ यह देखभाल और शिष्टाचार के स्तरों में से पहला स्तर है, ताकि बच्चे की ओर से कोई ऐसी बात न हो जो डांटने, तंगी महसूस करने, अपमानित करने एवं दुर्व्यवहार को दर्शाता हो। ﴿وَقُلْ لَهُمَا فَوْلاً كَرِيمًا﴾ यह एक उच्च सकारात्मक स्तर है कि मातृ-पिता के प्रति उनके शब्द आदर और सम्मान से भरे हुए हों।

﴿وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ यहां जो शैली प्रयोग की गई है, वह सौम्य है, और दिल की धड़कन एवं अंतरात्मा की गहराई तक पहुंचती है। यहां दया एवं कृपा अपनी चरम सीमा को पहुंचा हुआ है, यहाँ तक कि वह ऐसा विनम्र हो जाता है कि उनके सामने आँख नहीं उठाता और उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं करता।

﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾ यह एक कोमल स्मृति और एक कमजोर बचपन की याद है जिसे माता-पिता द्वारा पोषित किया जाता है, और आज वे भी उतने ही कमजोर हैं और उन्हें देखभाल और कोमलता की उतनी ही आवश्यकता है।⁽¹⁾ यदि किसी बच्चे का पालन-पोषण इस महान श्लोक के दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाता है, तो अल्लाह की इच्छा एवं अनुग्रह से वह बचपन में भी तथा अपने जीवन के बाकी चरणों में भी आज्ञाकारी होगा।

एक बच्चे के चरित्र को सुंदरता प्रदान करने वाले शिष्टाचारों में से वयस्कों के साथ उसका सम्मान करना और चलने, खाने, पीने और बात करने में उन्हें अपने से पहले रखना शामिल है।

इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “मैंने स्वप्न देखा कि मैं मिस्वाक (दतवन) कर रहा हूँ, उसी समय दो लोगों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया (मिस्वाक लेने के लिए), उनमें से एक दूसरे से बड़ा था, मैंने वह मिस्वाक छोटे को दे दिया, फिर मुझ से यह कहा गया, कि बड़े को दें, अतः मैंने बड़े को दे दिया”।⁽²⁾

(1) सैयिद कुतुब, फ़ी ज़िलालिल कुरआन, खण्ड ४, पृष्ठ (२२२१ – २२२२)।

(2) मुस्लिम (४/ २२९८) किताब: अल-ज़ुहद व अल-रक़ाइक ५३, बाब: मुनावलतुल अकबर १५, संख्या: ७०/ ३००३)।

तथा सहीहैन (बुखारी व मुस्लिम) में है कि: (अब्दुल्लाह बिन सल्ल बिन ज़ैद और मुहैय्यिसा बिन मस्ऊद बिन ज़ैद (मदीना से) चले, यहां तक कि जब वे ख़ैबर पहुंचे, तो वहां किसी स्थान पर वे अलग हो गए, फिर (ऐसा होता है कि) अचानक मुहैय्यिसा को अब्दुल्लाह बिन सल्ल की हत्या की हुई लाश मिलती है, उन्हें वो दफ़नाते हैं, फिर वह, हुवैय्यिसा बिन मस्ऊद और (मृतक के सगे भाई) अब्दुर् रहमान बिन सल्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में आए, वह (अब्दुर् रहमान) सबसे छोटे थे, अब्दुर् रहमान अपने दो साथियों से पहले बात करने लगे तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उससे कहा: “बड़े को उसका स्थान दो”, अर्थात् उम्र में बड़े को, तो वह चुप हो गए, अतः उनके दो साथियों ने बात की और उन्होंने भी उन दोनों के साथ बात की।⁽¹⁾

एक बच्चे को जिन चीजों का आदी होना चाहिए उनमें अपने भाई-बहनों से प्यार करना, उन्हें स्वयं पर वरीयता देना, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, उनके कल्याण का अभिलाषी होना, तथा भाईचारे के रिश्ते को मजबूत करने वाली हर चीज को अपनाना और उन सभी चीजों से बचना जो इसे कमज़ोर एवं नष्ट करती हैं। इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने अपनी सहीह में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जो अपने भाई की ओर लोहे के किसी हथियार से इशारा करे तो फ़रिश्ते उस पर धिक्कार भेजते हैं (यहाँ तक कि वह उसे छोड़ दे) चाहे वह उसका अपना सगा भाई ही क्यों न हो”।⁽²⁾

बुरे आचरण एवं दुष्ट नैतिकता में से यह है कि बच्चे को अपने बाएं हाथ से खाने की आदत हो जाए, तथा भोजन से पहले अल्लाह का नाम न ले (बिस्मिल्लाह न कहे), और उसका हाथ दस्तरख्वान पर इधर-उधर भटकता रहे, जिससे साथ में भोजन करने वाले को घृणा होती है, विशेषतः जब उसका वस्त्र गंदा हो और वह लापरवाही से हाथ को इधर-उधर घुमाए और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उलटे-पुलटे, क्योंकि इससे आत्मा को कष्ट पहुँचता है विशेष रूप से जब बच्चा गंदा और धूल धूसरित हो, इस संबंध में इस्लाम की शिक्षाएं एवं

⁽¹⁾ बुखारी (४/ ११७) किताब: अल-अदब ७८, बाब: इक्राम अल-कबीर व यब्दउ अल-अकबरु बिल् कलामि वस् सुवालि ८९, (६१४२), व मुस्लिम (३/ १२९१) किताब: अल-क्रसामा २८, बाब: अल-क्रसामा १, संख्या (१/ १६६९), तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम के हैं।

⁽²⁾ मुस्लिम (४/ २२०२०), किताब: अल-बिर्रु व अल-सिला व अल-आदाब ४५, बाब: अल-नह्यु अन् अल-इशारति बिस् सिलाहि इला अल-मुस्लिम ३५, संख्या (१२५/ २६१६)।

मार्दर्शन मौजूद हैं।

उमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि: मैं बच्चा था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की परवरिश में था, (और भोजन करते समय) मेरा हाथ चारों तरफ घूमा करता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ से कहा: “हे बालक! अल्लाह का नाम लो (बिस्मिल्लाह कहो), दाहिने हाथ से खाओ तथा अपने सामने से खाओ, उसके बाद मैं सदा इसी प्रकार से भोजन करने लगा”।⁽¹⁾ इब्ने हज़र रहिमहुल्लाह कहते हैं: कुल मिला कर अल्लामा कर्तुबी ने जो वर्णन किया है, उसके आधार पर, दायां और जो उससे जुड़ा हुआ है तथा जो उससे व्युत्पन्न हो, वह भाषा, शरीर और धर्म में प्रशंसनीय है, और बायां उसके विपरीत है। और जब यह प्रमाणित हो गया, तो फिर अच्छे आचरण और सदाचारियों के बीच अच्छे आचरण के लिए उपयुक्त शिष्टाचार में से यह है कि सम्मानजनक कार्यों और स्वच्छ स्थितियों में दायां का प्रयोग करना चाहिए। और यदि भोजन एक ही प्रकार का है, तो अपने सामने से खाना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक खाना उसी के जैसा है जो उसके सामने है, और ऐसी स्थिति में दूसरे के सामने से भोजन उठाना उन पर अत्याचार करने के समान है, क्योंकि किसी अन्य के भोजन में हाथ डाल देने से उस व्यक्ति की आत्मा को कष्ट पहुँचता है तथा इस में लोभ और लोलुपता का प्रदर्शन भी है, इसके साथ-साथ बिना लाभ के यह दूसरे के साथ अशिष्टता का घोटक है, परंतु यदि दस्तरख्वान पर ना-ना प्रकार के भोजन रखे गए हों तो विद्वानों ने इसकी अनुमति दी है।⁽²⁾

पूर्वोक्त बातों में जो वर्णन किया गया है वो कुछ इस्लामी नैतिक शिष्टाचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका पालन परिवार को इस चरण के दौरान बच्चों की परवरिश के लिए करना चाहिए क्योंकि वे बेहद महत्वपूर्ण हैं, और बच्चों में बुरा व्यवहार, इन निर्देशों और अन्य इस्लामी शिक्षाओं में परिवार की रुचि की कमी से, उत्पन्न होता है। और बच्चा बुरी आदतों के साथ बड़ा होता है तथा जब वह युवावस्था के चरण में आ जाता है, तो फिर इन निंदनीय आदतों को सुधारना अत्यंत दुष्कर हो जाता है।

शैक्षिक अनुप्रयोग:

⁽¹⁾ बुखारी (३/ ४३१), किताब: अल-अतइमह ७०, बाब: अल-तस्मियतु अला अल-तआम व अल-अक्लि बिल-यमीन, संख्या (५३७६), व मुस्लिम (३/ १५९९), किताब: अल-अश्रिबह ३६, बाब: आदाब अल-तआम व अल-शराब व अहकामुहा १३, संख्या (१०८/ १०२२)।

⁽²⁾ इब्ने हज़र, फ़तहूल बारी, खण्ड ९, पृष्ठ (५२३)।

पिछली प्रस्तुति से, हम निम्नलिखित बिंदुओं में, इस चरण के लिए शैक्षिक दिशा-निर्देश निकाल सकते हैं:

(1) इस स्तर पर, बच्चे को बहुत अधिक प्यार और प्रशंसा की आवश्यकता होती है, और उसे यह महसूस कराने के लिए उसे चूमना, उसके सिर पर हाथ फेरना और उसके साथ खेलना चाहिए, लेकिन ऐसा करने में अति से बचते हुए, ताकि वह इसमें हद से आगे न बढ़ जाए। इसका कारण यह है कि बच्चा जिससे प्यार करता है उसके निर्देशों का पालन करता है, ताकि उसके प्रेम वृत्ति को संतुष्टि मिले जिसकी बच्चे को इस स्तर पर आवश्यकता होती है, ताकि वह अनैतिक लोगों के पंजे में जाने से बचे और ताकि उसका व्यवहार संतुलित रहे।

(2) बच्चे को (ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर् रसूलुल्लाह, अर्थात: अल्लाह के अलावा कोई सत्य पूज्य नहीं है और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के दूत हैं) सिखाकर अल्लाह में विश्वास पैदा करना, उसे इसका अर्थ सिखाना और बच्चे के मन में सर्वशक्तिमान अल्लाह के प्रति प्रेम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के प्रेम को स्थापित करना। और उसे कुछ ऐसी कहानियां सिखाना जो बच्चों के लिए अल्लाह के दूत (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के प्यार को दर्शाती हों क्योंकि इस से उसके अंदर अपने पैगंबर के लिए प्यार पैदा होगा, फिर वह उसी पर परवान चढ़ेगा तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नैतिकता का अनुकरण करेगा।

(3) सामर्थ्य भर कुरआन याद करने का अभ्यस्त बनाना, क्योंकि यही सही आचार संहिता है।

(4) आने-जाने के लिए अनुमति चाहना, बड़ों का सम्मान करना एवं उनकी सेवा करने के गुण उसमें उत्पन्न करना।

(5) भोजन सामने होने पर खाने के आदाब सिखाना ताकि वह इसका अभ्यस्त हो जाए और यह उसकी आदत का अभिन्न अंग बन जाए।

(6) उसको वुजू का ढंग सिखाना तथा शरीर एवं वस्त्र को स्वच्छ रखने का अभ्यस्त बनाना क्योंकि यह ईमान का अंग है और शिष्टाचार को पूर्ण करता है।

तृतीय: वस्तुओं में अंतर करने की आयु वाला चरण

अंतर करने वाले चरण का अर्थ:

यह चरण सात साल की आयु से आरंभ होता है तथा वस्क होने पर समाप्त होता है।⁽¹⁾

इब्ने मंज़ूर कहते हैं: (अल-मैज़ु المَيْرُ, का अर्थ होता है, वस्तुओं के मध्य अंतर करना, जब आप अनेक वस्तुओं के मध्य अंतर पैदा कर दें, और उन्हें अलग-अलग कर दें, तो अरबी भाषा में इसके लिए “मय्यज़ा” का शब्द प्रयोग किया जाता है।)⁽²⁾

इसका अर्थ यह है कि बच्चा इस चरण में आ कर वस्तुओं के मध्य अंतर और फर्क करने लग जाता है, तथा गलत-सही एवं अच्छे बुरे की पहचान उसे होने लगती है, जोकि उसके बौद्धिक क्षमता की सीमा के अंदर होता है और जो उसकी कालानुक्रमिक और मानसिक आयु के योग्य होता है।

इस चरण की विशेषताएं:

सहायता: इस चरण की विशेषता यह है कि बच्चे इस आयु में दूसरों का सहयोग एवं सहायता करना पसंद करते हैं, और इससे उनका शारीरिक विकास होता है और समझने तथा भले-बुरे में अंतर करने की उनकी क्षमता बढ़ती है। और इसके द्वारा उनका उद्देश्य अपने आसपास के लोगों का दिल जीतना होता है। यह सहयोग न केवल बच्चे को खुशी देता है बल्कि उसे आत्म-महत्व का एहसास भी दिलाता है।⁽³⁾ क्योंकि वह पुण्य पाने की इच्छा रखते हुए वयस्कों को खुश करने का प्रयास करता है, और इससे उसे अपने व्यवहार में सुधार करने में मदद मिलती है।⁽⁴⁾ यहां तरबियत करने वाले को चाहिए कि वह इन विशेषताओं को सर्वशक्तिमान अल्लाह से पुण्य की आशा रखते हुए कल्याणकारी कर्म करने की ओर उनका नैतिक मार्गदर्शन करे।

(1) विज़ारतुल औक्राफ़ वश् शुऊन अल-इस्लामिय्या, अल-मौसूअतुल फ़िक्हिय्या, खण्ड ७, द्वितीय संस्करण, १४०६ हिज़्री – १९८६ ईस्वी, कुवैत, पृष्ठ (१५५)।

(2) इब्ने मन्ज़ूर, लिसानुल अरब, खण्ड ५, मादा (م ي ج) पृष्ठ (४१२)।

(3) मुहम्मद जमील युसुफ़ एवं फ़ारूक़ अब्दुस्सलाम, अल् नुमुव्व, तहामा, प्रथम संस्करण, १४०१ हिज़्री – १९८० ईस्वी, जेद्दा, पृष्ठ (४११)।

(4) हामिद ज़हान, इल्मु नफ़िसन् नुमुव्व, आलमुल कुतुब, चतुर्थ संस्करण, १९७७ ईस्वी, काहिरा, पृष्ठ (२६८)।

इस चरण में गति करने एवं काम करने के विषय में बच्चों की इच्छा का पता चलता है, अतः इस चरण में अभिभावक को चाहिए कि वह उन्हें सुस्ती एवं आलस्य, आराम एवं शिथिलता से दूर रखे, बल्कि वह उन्हें इनके विपरीत कार्यों की ओर मार्गदर्शित करे, और उन्हें उस प्रकार से शांति दे जो उसकी आत्मा एवं शरीर को कार्य के लिए तैयार करे, क्योंकि आलस्य एवं सुस्ती के परिणाम बुरे होते हैं जो पछतावा के रूप में फलित होता है, जबकि कठोर परिश्रम और थकान के परिणाम अच्छे होते हैं⁽¹⁾, क्योंकि वह बुढ़ापे में परेशानियों और कठिनाइयों को सहन करने में अधिक सक्षम होता है। जहाँ तक आलस्य और सुस्ती की बात है, तो यह उसे आलसी बनाता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों की सेवा पर निर्भर करता है।

धार्मिक जागरुकता: बच्चा अपने परिवार और समूह के सदस्यों की धार्मिक प्रथाओं को देखता है और उससे प्रभावित होता है। यह प्रभाव अगले चरण में धार्मिक पालन-पोषण को सशक्त करता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि इस स्तर पर अभिभावक को चाहिए कि वह बच्चे को दुआ के स्वीकार्य होने एवं एवं इबादतों को अंजाम देने के मध्य संबंध को उजागर करे, विशेष रूप से तब जब वह एक स्तर से दूसरे स्तर तक अकादमिक उत्कृष्टता और सफलता की आकांक्षा रखता है, अतः वह सीखता है कि सच बोलना, अमानतदारी, निष्ठा, लज्जा एवं नमाज़ पढ़ना इबादत व उपासना है, तथा यह अनुग्रह प्राप्त होने एवं प्रार्थना के स्वीकार्य होने का मार्ग है, और इस प्रकार बच्चा “दुआ एवं कार्य के बीच संबंध को समझ जाता है, और यह कि दुआ व्यवहार को बदलने का एक साधन है ताकि वह लोगों के निकट प्रिय एवं स्वीकार्य बन जाए”।⁽²⁾

नैतिक जागरुकता: इस चरण में बच्चा धीरे-धीरे परिवार और समाज के नैतिक मूल्यों से प्रभावित हो कर उसको अपनाता है जो उसकी कालानुक्रमिक आयु के अनुरूप होता है, उनके साथ जुड़े होने की भावना और समूह के नैतिक मूल्यों के साथ अपने कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने की उसकी इच्छा के माध्यम से। इसका अर्थ है कि “जब बच्चा समूह में होता है तो वह समूह में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उसके मानकों को प्राथमिकता देता है”।⁽³⁾ “बच्चा बचपन के अंत के जितना निकट पहुंचता है, उसकी नैतिक अवधारणा उन वयस्कों के

(1) इब्नु कैयिमिल जौज़िय्यह, तुहफ़तुल मौदूद, पृष्ठ (१४६)।

(2) फ़ुआद अल-बहीय्य अल-सय्यिद, अल-उसुस अल-नफ़िसय्यह लिन् नुमुव्व, पृष्ठ (२४९)।

(3) मुहम्मद जमील यूसुफ़ व फ़ारूक़ अब्दुस्सलाम, अन् नुमुव्व, पृष्ठ (४१२)।

उतनी ही निकट होती जाती है जिनके साथ वह संबंध रखता है”⁽¹⁾, और इससे उसे अपनी नैतिक समझ विकसित करने में मदद मिलती है। वह अन्याय और न्याय, सही और गलत, अच्छा और बुरा के अर्थ और महत्व को समझता है।

भाषाई विकास: इस चरण को लंबे जटिल वाक्यों का चरण माना जाता है, और इस चरण में बच्चा पर्यायवाची शब्दों में अंतर करने और विपरीतार्थक की खोज करने में सक्षम होता है।⁽²⁾ यह पवित्र कुरआन और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों को याद करने, उसे सिखाने और उसे अच्छे शब्दों का आदी बनाने तथा अश्लील शब्दों से हतोत्साहित करने के महत्व की पुष्टि करता है ताकि ये अश्लील शब्द उसकी ज़ुबान पर न चढ़ जाएं एवं अपने विचार व्यक्त करते समय या दूसरों को संबोधित करते समय ये शब्द सहजता के साथ उसकी जिह्वा पर न आ जाएं ताकि भाषाई दृष्टिकोण से उनमें सद्गुणी नैतिकता पैदा हो।

इस चरण के लिए इस्लामी दिशानिर्देश:

पालन-पोषण के लिए इस्लामी निर्देश नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन काल में पेश आने वाली परिस्थितियों से भरे हुए हैं जो बच्चे में नैतिक विकास के स्तर को बढ़ाते हैं और उसे उन चरणों के अनुसार ऊपर उठाते हैं जिनसे वह गुजरता है।

निम्न में उसके संबंध में महान इस्लामी दिशानिर्देशों का वर्णन किया जा रहा है:

धार्मिक जागरुकता को निर्देशित करना: धार्मिक पहलू नैतिक पहलू के लिए मुख्य पोषण है, जो इसे अच्छाई की ओर निर्देशित करता है। इस्लामी निर्देशों ने इस चरण में इस पहलू पर बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि इस उम्र के आरंभ में बच्चों को नमाज़ पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया जाता है जो अभद्रता और बुराई से रोकता है, और जब वह दस वर्ष का हो जाए तो इस संबंध में सुस्ती करने पर उसकी पिटाई की जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “अपनी संतान को नमाज़ का आदेश दो जब वह सात वर्ष के हो जाएं, और जब उसकी आयु दस वर्ष हो जाए तो (नमाज़ छोड़ने पर) उसकी पिटाई करो, और उसका बिस्तर अलग कर दो”।⁽³⁾

(1) पिछला संदर्भ, पृष्ठ (४१२)।

(2) हामिद ज़हान, इल्मु नफ़िसन् नुमुव्व, पृष्ठ (२२१-२२२)।

(3) अबू दावूद (१/ ३३४) किताब: अल-सलात, बाब: मता युअमरु अल-गुलामु बिस् सलाति २६, संख्या (४९५), तथा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को: हसन कहा है। सहीह सुनन अबू दावूद, संख्या (४६६-४९५)।

सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अपने बच्चों को रोज़ा रखना सिखाते थे तथा उन्हें इसका अभ्यस्त किया करते थे क्योंकि इससे भूखे-प्यासे रहने की स्थिति में संतोष करने की क्षमता उत्पन्न होती है, एवं निर्धन लोगों की भूख का एहसास उसके अंदर जागृत होता है, जिसके फलस्वरूप दूसरों पर दया व कृपा, तथा अल्लाह के लिए विनम्रता एवं दीनता का भाव उत्पन्न होता है। रुबैयिअ बिते मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि: “नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आशूरा (दस मुहर्रम) की सुबह अन्मार के मोहल्ले में (संदेश) भेजा कि: सुबह में जिसने खा-पी लिया हो वह दिन का शेष भाग (रोज़ेदार के समान) पूरा करे, तथा जिसने कुछ खाया-पिया न हो वह रोज़े से रहे। रुबैयिअ कहती हैं कि: फिर बाद में भी (रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हो जाने के बाद) हम इस दिन का रोज़ा रखते तथा अपने बच्चों से भी रखवाते थे, उन्हें हम ऊन का एक खिलौना दे कर बहलाए रखते, जब कोई खाने के लिए रोता तो वही दे देते यहाँ तक कि इफ़्तार (रोज़ा खोलने) का समय आ जाता”⁽¹⁾

शिष्टाचार:

ऐसे अनेक शिष्टाचार हैं जो एक बच्चे को इस स्तर पर सीखना चाहिए, उदाहरणतः ईमानदारी और रहस्य छिपा कर रखना, जिनके बारे में कुछ लोग अपने बच्चों के पालन-पोषण में या वे स्वयं अपने बारे में इसकी परवाह नहीं करते हैं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि: “नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मदीना आए तो मेरी आयु सात वर्ष थी, मेरी माता मुझे ले कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित हुईं और कहा: हे अल्लाह के रसूल! यह मेरा बेटा है आप इससे सेवा कराएं, अतः मैंने नौ वर्ष तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा की, (इस बीच) मैंने कोई काम कर लिया तो आपने कभी नहीं कहा कि: अमूक कार्य क्यों कर लिया? और न ही मैंने कोई कार्य नहीं किया तो आपने कहा कि: अमूक कार्य क्यों नहीं किया, एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आए और मैं बच्चों के संग खेल रहा था, तो आपने हमें सलाम किया, और मुझे बुलाया, फिर आपने मुझे (किसी कार्य के लिए) भेजा, जब मैं वापस आया तो आपने फ़रमाया: इसके बारे में किसी को मत बताना, मुझे मेरी माँ के पास आने में देर हो गई, और जब मैं उनके पास पहुँचा तो उन्होंने पूछा: हे मेरे पुत्र! तुझे

⁽¹⁾ बुखारी (२/ ४८) किताब: अल-सौम ३०, बाब: सौमुस् सिब्यानि ४७, संख्या (१९६०), तथा उपरोक्त शब्द उसी के हैं, व मुस्लिम (२/ ७९८-७९९) किताब: अल-सियाम १३, बाब: मन अकला फ़ी आशूरा फ़ल यकुफ़ा बक्रीय्यता यौमिहि २१, संख्या (१३६/ ११३६)।

क्यों देर हो गई? मैंने उत्तर दिया कि: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे एक ज़रूरत के तहत भेजा था, उन्होंने पूछा: वह क्या था? मैंने उत्तर दिया कि: आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे कहा है कि: इसके विषय में किसी को मत बताना, तो उन्होंने कहा: हे मेरे सुपुत्र! नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस रहस्य को छिपा कर रखना”⁽¹⁾

इस प्रकार से एक माँ अपने बेटे की परवरिश करती है कि वह अपने बच्चे से बेकार के रहस्य जानने का प्रयास नहीं करती है जिससे वह बच्चा किसी के रहस्य को उजागर करने का आदी हो कर अपनी विश्वसनीयता कम कर लेता है, एवं दूसरे लोगों के रहस्य उजागर करने के लिए अपनी जुबान का प्रयोग करता है।

इस्लामी नैतिकताओं में से एक यह है कि बच्चों को इस्लामी अभिवादन (सलाम) का अभ्यस्त किया जाए, और यह वयस्कों द्वारा उन्हें सलाम करने में पहल करने के माध्यम से आता है ताकि वे इसके आदी हो जाएं, और जो उन्हें सलाम करता है उससे उनका आत्मीय संबंध बन जाता है, अतः बाद में बच्चा स्वयं सलाम करने में पहल करता है क्योंकि यह उनके और वयस्कों के बीच संबंधों का एक स्रोत बन चुका होता है। अल्लाह के चुने हुए रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बच्चों को सलाम किया करते थे, जैसाकि पिछली हदीस में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है कि: (अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आए और बच्चों को सलाम किया)।

सहयोग:

जहां तक सहयोग के क्षेत्र की बात है, तो जैसा कि पहले बताया गया है, इस स्तर पर बच्चा अपने समुदाय का स्नेह जीतने और उनके बीच अपनी स्थिति दिखाने के लिए सहयोग करने को पसंद करता है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाना और उसे उनके साथ सहयोग करने के लिए बढ़ावा देना आवश्यक है। क्योंकि इस्लाम इसके लिए प्रोत्साहित करता है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

⁽¹⁾ बुखारी (४/ ९८) किताब: अल-अदब ७८, बाब: हुस्नुल ख़ुलुक व अल-सखा, व मा युकरहु मिनल बुख़िल ३९, संख्या (६०३८), व मुस्लिम (४/ १८०४) किताब: अल-फ़ज़ाइल ४३, बाब: काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अहसनन् नासि ख़ुलुकन १३, संख्या (५१/ २३०९), व अहमद (३/ १७४), एवं उपरोक्त शब्द उसी के हैं, क्योंकि इसमें बहुतेरी लाभदायक वृद्धियां हैं।

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

अनुवाद: (सदाचार एवं संयम में एक दूसरे की सहायता करो, तथा पाप और अत्याचार में एक दूसरे की सहायता न करो)। सूरह माइदा: २।

युवाओं को शिक्षित करने के तरीकों में से है, सदाचार के कार्यों में सहयोग, दूसरों की मदद करने के लिए उत्प्रेरित करना और उन्हें धर्मार्थ कार्यों में शामिल करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “एक व्यक्ति लोगों को ऋण दिया करता था, और अपने पुत्र से कहता: जब कोई तंगदस्त आए तो दर गुज़र कर दिया करो ताकि अल्लाह भी हम से दर गुज़र करे, चुनाँचे (मृत्यु पश्चात) जब वह अल्लाह से मिला तो अल्लाह ने उसको क्षमा कर दिया”⁽¹⁾

इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक लड़का जो अपने पिता के साथ इस स्थिति में बड़ा होता है कि वह अपने पिता को लोगों के साथ सहयोग करते हुए पाता है, तो यह दूसरों के साथ उसके व्यवहार और सहयोग में परिलक्षित होता है।

कामवासना को परिष्कृत करना:

इस चरण में बच्चा युवावस्था के कगार पर होता है, अतः सुरक्षित रहने हेतु इस चरण के आरंभ से ही इसके लिए तैयारी करना आवश्यक है, ताकि बाद में यह बच्चों के लिए ढाल एवं बचाव का कार्य करे, क्योंकि हम उन्हें अपनी निगाहें नीची रखने, उनके बिस्तरों को अलग करने तथा उन्हें अनुमति लेना सिखाते हैं, और उन्हें हर उस चीज़ से दूर रखने का प्रयास करते हैं जो उन्हें अनैतिकता के निकट ले जाती हो।

इस्लामी नैतिकता का पालन करना जो घरों को उसका सम्मान देती है, तथा किसी फितने वाले स्थान पर अचानक दृष्टि पड़ने से बचाती है, इस स्तर पर बच्चे को अनुमति मांगना सिखाया जाना चाहिए, जिसे हमारे समय में अधिकांश मुस्लिम परिवारों ने खो दिया है, सिवाय उन लोगों के जिन पर अल्लाह की विशेष कृपा है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَدِينَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ

(1) बुखारी (२/ ८२) किताब: अल्-बुयूअ ३४, बाब: मन अन्ज़रा मुअसिरन १८, संख्या (२०७८), व मुस्लिम (२/ ११९६) किताब: अल्-मुसाक्रात २२ष बाब: फ़ज़्लु इन्ज़ारिल मुअसिरि ६, संख्या (३१/ १५६२), तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम के ही हैं।

مَرَّتْ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٧﴾

अनुवाद: (हे ईमान वालो! तुम से अनुमति लेना आवश्यक है तुम्हारे स्वामित्व के दास-दासियों को और जो तुम में से (अभी) युवावस्था को न पहुँचे हों तीन समय: फ़ज़्र (भोर) की नमाज़ से पहले और जिस समय तुम अपने वस्त्र उतारते हो दोपहर में, तथा इशा (रात्रि) की नमाज़ के पश्चात, यह तीन (एकान्त) पर्दे के समय हैं तुम्हारे लिए, (फिर) तुम पर और उन पर कोई दोष नहीं है इनके पश्चात, तुम अधिकतर आने-जाने वाले हो एक दूसरे के पास, अल्लाह तुम्हारे लिए आदेशों का वर्णन कर रहा है, और अल्लाह सर्वज्ञ निपुण है)। सूरह नूर: ५८।

“आयत का अर्थ यह है कि आप ऐसी स्थिति में होते हैं जिसमें नौकरों और घर के बच्चों के लिए आपके पास बिना अनुमति के प्रवेश करना उचित नहीं है, इसलिए आपको उन्हें अनुशासित करना चाहिए कि यदि इन तीन समयों में से किसी एक के दौरान आप एकांतावास में हैं तथा वे आपके पास प्रवेश करना चाहते हैं तो वे आपसे अनुमति मांगें।⁽¹⁾ हालाँकि, इन तीन समयों के अलावा, अनुमति न लेने के लिए, हे अभिभावकों, आप पर कोई पाप नहीं है।⁽²⁾ और इसका अर्थ यह है कि यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसके लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है ताकि वे तीनों समयों के अतिरिक्त अन्य समय में बिना अनुमति के तुम्हारे पास प्रवेश कर सकें।⁽³⁾

अनुमति मांगने के कारणों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वह हदीस स्पष्ट करती है जिसे बुखारी व मुस्लिम ने अपनी सहीह में वर्णन किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “दृष्टि (पड़ जाने) के कारण अनुमति लेने को अनिवार्य किया गया है”⁽⁴⁾।

⁽¹⁾ अबुल आला मौदूदी, तफ़सीर सूरतिन्न नूर, अल-दार अल-सऊदिय्यह लिन् नश्रि, द्विती संस्करण, वर्ष १४०७ हिज्री – १९८७ ईस्वी जेदा, पृष्ठ (२१९)।

⁽²⁾ मुहम्मद अल-अमीन शन्कीती, तफ़सीर सूरतिन्न नूर, पृष्ठ (१९५)।

⁽³⁾ पिछला संदर्भ, पृष्ठ (१९५)।

⁽⁴⁾ बुखारी (४/ १३८), किताब: अल-इस्तेअज़ान ७९, अल-इस्तेअज़ानु मिन अजिलल बसर ११, संख्या (६२४१), व मुस्लिम (३/ १६९८) किताब: अल-आदाब ३८, बाब: तहरीमुन् नज़रि फ़ी बैति ग़ैरिहि ९, संख्या (४०/ २१५६)।

एक चीज़ जो बच्चों को करने के लिए सिखाई जानी चाहिए वह है इस चरण में उनके बिस्तरों में उनके बीच अंतर करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “अपनी संतान को नमाज़ का आदेश दो जब वह सात के वर्ष के हो जाएं, और जब उनकी आयु दस वर्ष हो जाए तो (नमाज़ छोड़ने पर) उनकी पिटाई करो, और उनके बिस्तर अलग कर दो”।⁽¹⁾

यह अंतर बच्चों के भेदभाव और समझ की उम्र तक पहुंचने के कारण है “तथा इस भय के कारण है कि जब किशोरावस्था अथवा उसके निकट वाली आयु में बच्चा एक दूसरे के संग एक ही बिस्तर में सोएगा तो बहुत संभव है कि सोते हुए अथवा जागने की स्थिति में वह एक दूसरे के गुप्तांगों के देखें जिससे उनकी कामवासना भड़क उठे या उनकी नैतिकता भ्रष्ट हो जाए”।⁽²⁾

जिन चीज़ों पर बच्चों की तरबियत करनी ज़रूरी है वह यह कि उन्हें ढीला कपड़ा पहनने की आदत डाली जाए, तथा नर बालकों को गेरुआ रंग के कपड़े से दूर रखना चाहिए, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि: “नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे उस्फुर (कुसुम) से रंगा हुआ दो कपड़ा पहने देखा, तो फ़रमाया: क्या तुम्हारी माता ने तुम्हें इसका आदेश दिया है? मैंने कहा: इसको धो दूँ? आपने फ़रमाया: बल्कि इसे जला दो”।⁽³⁾ अतः उचित है कि उसे सफेद वस्त्र धारण करने का प्रेमी बनाया जाए, तथा उसे ऐसा वस्त्र धारण करने से रोका जाए जो महिलाओं के वस्त्र के समान है, तथा उसके मन-मस्तिष्क में यह बात बिठाई जाए कि यह महिलाओं का पोशाक है, जिसे पुरुष धारण नहीं करता है, और यह बारंबार दोहराया जाए⁽⁴⁾, क्योंकि महिलाओं वाला लिबास पहनने से वह कोमलता एवं सुकुमारता का आदी हो जाएगा और हो सकता है कि उसके अंदर नारियों वाला गुण आ जाए, जिसके कारण वह कठोरता से घृणा करने लगेगा जोकि पुरुषों का गुण है।

⁽¹⁾ अबू दावूद (१/ ३३४) किताब: अल-सलात, बाब: मता युअमरु अल-गुलामु बिस् सलाति २६, संख्या (४९५), तथा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को: हसन कहा है। सहीह सुनन अबू दावूद, संख्या (४६६-४९५)।

⁽²⁾ अब्दुल्लाह नासिह उल्वान, तरबियतुल औलाद, खण्ड १, पृष्ठ (५२४)।

⁽³⁾ मुस्लिम (१६४७३), किताब: अल्लिबास व अल्-ज़ीनत ३७, बाब: अल्-नह्यु अन् लुबिसर् रजुलि अल्-सौब अल्-मुअस्फ़र ४, संख्या (२८/ २०७७)।

⁽⁴⁾ गज़ाली, इह्याउ उलूमिदीन, खण्ड ३, पृष्ठ (७२)।

इसी प्रकार उसे हराम व वर्जित गाने सुनने से रोका जाए क्योंकि यह शैतान की बांसुरी है, तथा यह गाना शैतान का अस्र है जो फ़ित्ना, फ़साद एवं नैतिक विघटन का आह्वान करता है, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रवृत्ति एवं कामवासना को उभारता है।

नैतिक शैक्षिक अनुप्रयोग:

पूर्वोल्लेखित बातों से इस स्तर के लिए निम्नलिखित नैतिक शैक्षिक दिशानिर्देश तैयार किए जा सकते हैं:

- उसे नमाज़ सिखाकर उसके भीतर ईमान (विश्वास) और भक्ति का पहलू पैदा करना, और उसे रोज़ा (उपवास) और इबादत (पूजा) के अन्य कार्यों में प्रशिक्षित करना, क्योंकि ईमान एवं इबादत (विश्वास और भक्ति) का पहलू इस्लामी नैतिकता की नींव में से एक है, और उसमें अल्लाह का भय पैदा करना, और यह कि अल्लाह उस पर नज़र रखता है और उसके रहस्यों एवं उजागर बातों को जानता है, और अपना काम सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव से अंजाम दे।

- इस स्तर पर, शिक्षक द्वारा प्रशिक्षु को कई व्यवहारिक शिष्टाचार सिखाना जारी रखना चाहिए और बच्चे ने पिछले चरण में जो सीखा है उसी से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। वह उसके अंदर अनुमति मांगने, नज़रें झुकाने, माता-पिता का सम्मान करने, बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा रखने एवं छोटों के प्रति करुणा भाव रखने की आदत डालेगा, और उसे शब्दों और कार्यों में सत्यवादिता, ईमानदारी और रहस्य को बाकी रखना सिखाएगा। और वह इस प्रकार कि शिक्षक पहले स्वयं नैतिकता को अपनाए ताकि वह प्रशिक्षुओं के लिए आदर्श बन सके, तथा उसके बाद वह विभिन्न शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करे एवं उनकी परवरिश उसी ढंग पर करे।

- यह वह अवधि है जिसमें बच्चा समाज के सदस्यों के साथ भागीदारी और सहयोग कर के अपने प्रति उनके प्यार से प्रतिष्ठित होने का इच्छुक होता है। अतः बच्चा अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग करने और विभिन्न अवसरों पर उनकी मदद करने का आदी हो जाता है, इस स्थिति में उस सहयोग को अल्लाह के प्रति इख़लास (निष्ठा) से जोड़ने का प्रयास किया जाए ताकि वह इख़लास का अभ्यस्त हो जाए एवं अपने सहकर्मियों से प्रतिस्पर्धा और दिखावे के कार्यों से दूर रहने का आदि हो जाए। इसी प्रकार से उसे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने और उन्हें जो कुछ भी चाहिए उसे देकर उनके प्रति दया दिखाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वह अल्लाह की खातिर दान देने का अभ्यस्त हो जाए, और यह महान

इस्लामी नैतिकताओं में से एक है।

- यौन प्रवृत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों को अपनी निगाहें नीची रखने एवं अपने वस्त्रों के द्वारा शरीर को ढांप कर रखने का आदी बनाया जाए, वह इस प्रकार कि पोशाक ढीला-ढाला एवं शरीर को उचित ढंग से ढांपने वाला होना चाहिए, चाहे वह बच्चा लड़का हो या लड़की, और उनमें से प्रत्येक को विपरीत लिंग के साथ न खेलने एवं उनके साथ न घुलने-मिलने का आदी बनाना चाहिए एवं उन पर निगाह रखी जाए। माता-पिता स्वयं अपने शरीर को कपड़ों से ढांक कर रखें और विनम्रता एवं गरिमा धारण किये रहें ताकि ये नैतिकता उनके बच्चों में भी आ जाए। इसी प्रकार से वे उन्हें ऐसी इस्लामी किताबें पढ़ने की भी आदत डालें जो शीलता एवं विनम्रता बनाए रखने में मदद करती हैं, तथा उन्हें ऐसी भ्रष्ट पत्रिकाएँ जो महिलाओं और पुरुषों के गुप्त स्थानों को उजागर करती हैं को पढ़ने से सावधान करें, और अभिभावक को अपने घर में या शिक्षक को अपने स्कूल में ऐसी पत्रिकाओं के प्रवेश की अनुमति कदापि नहीं देनी चाहिए।

चतुर्थ: युवावस्था

इस चरण को किसी व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसके शारीरिक, यौनिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। यह जिम्मेवारी एवं स्वयं को वयस्कों के करीब महसूस करने का चरण है। और यह चरण किशोरावस्था की अवधि से जुड़ा हुआ है।

मुराहक़ह अर्थात किशोरावस्था और वयस्कता की अवधारणा:

यौवन और किशोरावस्था के कुछ भाषाई अर्थ हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है:

मुराहक़ह अर्थात किशोरावस्था: मुराहिक़ अर्थात किशोर से अभिप्राय है वह लड़का जो वयस्क होने के निकट है, और मुराहिक़ह (मुराहिक़ का स्त्रीलिंग है, जिस) का अर्थ है किशोर लड़की, और अरबी भाषा में कहा जाता है: *जारियतुन राहिक़तुन* *جارية راهقة* अर्थात किशोर लड़की, तथा *गुलाम राहिक़ुन* *غلام راهق* अर्थात किशोर लड़का, और इस से अभिप्राय वह लड़का है जो दस से ग्यारह साल का हो⁽¹⁾, और अरबी भाषा में कहा जाता है: “*गुलाम मुराहिक़ुन* *غلام مراهق* अर्थात वह किशोर लड़का जो युवावस्था पाने के निकट हो”⁽²⁾

बुलूग अर्थात यौवन: अरबी भाषा में कहते हैं: *बलगुलामु* *بلغ الغلام* अर्थात लड़का यौवन के दहलीज़ पर पहुँच गया है, इसी प्रकार से लड़की के लिए बोलते हैं: *बलगत* *بلغت* *الجارية* *बलगुतिलु* *जारियतु* अर्थात लड़की वयस्क होने के निकट है, और जब कोई अरबी भाषी व्यक्ति लड़का और लड़की को वयस्क देखता है तो कहता है: *बलगुलामु* *بلغ الصبي والجارية* *सबिय्यु वलु* *जारियतु* अर्थात बालक एवं बालिका युवावस्था तक पहुँच चुके हैं⁽³⁾

इससे यह स्पष्ट है कि मुराहक़ह की अवधि वयस्क होने से पहले की अवधि है, जो पुरुषों के लिए दसवें से ग्यारहवें वर्ष तक है, और महिलाओं के लिए यह मासिक धर्म की शुरुआत से पहले की अवधि है, जो यौवन का संकेत है।

(1) इब्ने मन्ज़ूर, लिसानुल अरब, खण्ड १, मादा: *رهق* *ر ه ك*, पृष्ठ (१३०)।

(2) पिछला संदर्भ, पृष्ठ (१३१)।

(3) पिछला संदर्भ, खण्ड ८, मादा: *بلغ* *ب ل ग*, पृष्ठ (४२०)।

जहां तक मनोवैज्ञानिक शब्दावली के अनुसार यौवन और किशोरावस्था का सवाल है, तो वे यौवन की शुरुआत से प्रजनन परिपक्वता तक परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहां किशोरावस्था को “यौवन से लेकर पूर्ण प्रजनन परिपक्वता तक विस्तारित अवधि”⁽¹⁾ के रूप में परिभाषित किया गया है, और ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि इसका आरंभ लड़कियों में मासिक धर्म के साथ, और लड़कों में स्वप्नदोष के साथ होता है, अर्थात् यह बारह से अठारह वर्ष के बीच का समय है, सामान्यतः आम लोगों के साथ ऐसा ही होता है।⁽²⁾ कुछ लोग इसे यों परिभाषित करते हैं कि “यह वह चरण है जो युवावस्था से आरंभ होता है और परिपक्वता के साथ समाप्त होता है”।⁽³⁾

संभवतः ये पारिभाषिक परिभाषाएँ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के संदर्भ में इस चरण की विशेषताओं को देखने से उपजी हैं, और इसकी पुष्टि उस बात से होती है जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक ने किया है, जब वह कहते हैं, “चूँकि यौवन की विशिष्ट विशेषताएं एवं किशोरावस्था परस्पर जुड़ी हुई होती हैं, अतः उचित यह है कि हम उन्हें अध्ययन और विश्लेषण के समय एक-दूजे से जुड़ा हुआ मानें ताकि इसके विषय में विचार को सही दिशा मिले।”⁽⁴⁾

महिलाओं और पुरुषों के बीच यौवन की शुरुआत में अंतर बल्कि एक ही लिंग में अंतर के कारण किसी विशिष्ट उम्र के साथ इस चरण को निर्धारित करना कठिन है। यह अंतर इसकी प्रगति या देरी को प्रभावित करने वाले कारकों का परिणाम है, जैसे “भोजन की मात्रा जो व्यक्ति ग्रहण करता है, क्योंकि प्रोटीन की प्रचुरता से यौवन जल्दी आ जाता है, और कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता से यौवन आने में देरी होती है, भोजन की कमी से यौवन की शुरुआत में देरी होती है और व्यक्ति की यौन गतिविधि भी प्रभावित होती है”।⁽⁵⁾ इसी प्रकार से जलवायु भी यौवन की गति में भूमिका निभाती है, क्योंकि गर्म क्षेत्रों में किशोरावस्था ठंडे क्षेत्रों में किशोरावस्था से पहले आ जाती है, और व्यक्तिगत एवं आनुवंशिक अंतर भी इसको प्रभावित करता है।⁽⁶⁾

(1) मुहम्मद जमील मुहम्मद यूसुफ़, फ़ारूक़ सय्यिद अब्दुस्सलाम, अल्-नुमुव्व, पृष्ठ (४५१)।

(2) मअरूफ़ ज़ुरैक़, ख़फ़ाया अल्-मुराहक़ह, दारुल फ़िक़र, द्वितीय संस्करण, वर्ष १४०६ हिज्री – १९८६ ईस्वी, दिमशक, पृष्ठ (१७)।

(3) फ़ुआद अल्-बहिय्य अल्-सय्यिद, अल्-उसस अल्-नफ़िसय्यह लिन्नुमुव्व, पृष्ठ (२५७)।

(4) पिछला संदर्भ, पृष्ठ (२५७)।

(5) पिछला संदर्भ, पृष्ठ (२५५)।

(6) मअरूफ़ ज़ुरैक़, ख़फ़ाया अल्-मुराहक़ह, पृष्ठ (१७)।

इसलिए, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह दस वर्ष की आयु से लेकर लगभग सोलह वर्ष तक की आयु है, ताकि यह महिलाओं एवं पुरुषों दोनों को शामिल हो जाए।

यौवन की विशेषताएं:

यौन संबंध बनाने की इच्छा: किशोर को इस अवस्था में जैविक शारीरिक परिवर्तनों और उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है जिसका उसने पहले अनुभव नहीं किया होता है, और इस प्रकार उसमें यौन संबंध बनाने की प्रवृत्ति जागृत होती है।

शरीर की शिक्षाएँ इन प्रवृत्तियों को यौन गतिविधियों पर लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों के द्वारा नियंत्रित करती हैं जो व्यक्ति विशेष एवं समुदाय के हित में हो।⁽¹⁾ अतः इसे शर्ई विवाह के माध्यम से नियंत्रित करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि किशोर अपनी यौन प्रवृत्तियों को पाशविक तरीके से संतुष्ट न करे, जैसाकि बहुतेरे काफ़िर देशों की स्थिति है।

नकल और प्रतियोगिताओं में रुचि: इस चरण की विशेषता यह है कि किशोर अपने उन बहादुर, शक्तिशाली और बुद्धिमान सहपाठियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होता है जो अपने खेल और पढ़ाई में उत्कृष्ट होते हैं।⁽²⁾ इसका अर्थ यह है कि वह उत्कृष्टता और श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्त होता है और विभिन्न तरीकों से उसे संतुष्ट करने का प्रयास करता है, तथा इसके लिए उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे। अन्यथा, यह महत्वाकांक्षा किसी ऐसी चीज़ की ओर आकर्षित हो सकती है जो बेकार एवं व्यर्थ हो, जैसे गायकों एवं खिलाड़ियों आदि की नकल करना और उन्हें पसंद करना। या फिर वह इसे संतुष्ट करने के लिए असामान्य तरीकों को अपनायेगा, जैसे झूठ बोलना, अहंकार करना, डींगें हांकना और दूसरों, विशेषतः अपने साथियों के सामने अपना महत्व दर्शाने के लिए अनुचित बल का प्रयोग करना।

आलोचना की ओर रुझान और सुधार की इच्छा: इस स्तर पर, व्यक्ति की मामलों और घटनाओं के बारे में रुचि एवं जागरुकता बढ़ जाती है, और उसके सामान्य विकास के अनुसार नैतिक मूल्यों के बारे में उसका ज्ञान बढ़ जाता है, और इस प्रकार सामाजिक व्यवहार की उसकी आलोचना बढ़ जाती है, और इसे सुधारने की इच्छा की भावना प्रबल हो जाती है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ इसी ओर ध्यानाकर्षण करते हुए कहते हैं कि: “उसकी सामाजिक जागरुकता और प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, उसके अंदर आलोचना और सामाजिक सुधार की इच्छा

⁽¹⁾ हामिद ज़हान, इल्मु नफ़िसन् नुमुव्व, पृष्ठ (४०७)।

⁽²⁾ फ़ुआद अल-बही अस्सय्यिद, अल-उसुस अल-नफ़िसय्यह लिन नुमुव्व, पृष्ठ (३१४)।

प्रबल होती है, और बिना अध्ययन किए ही, आक्रमकता के साथ बिना क्रमिक एवं धैर्य के ही चीजों को बदलने का प्रयास करता है, जैसा कि वयस्क करते हैं⁽¹⁾ यही कारण है कि इस चरण में ज्ञान और दूरदर्शिता के साथ मामलों से निपटने की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे उचित मार्गदर्शन एवं सहायता की अत्यधिक आवश्यकता होती है।

भावनात्मक विकास: इस चरण की विशेषता, बड़ी संख्या में वे भावनाएं हैं जो उसकी उत्तेजनाओं के लिए आनुपातिक नहीं हैं। इसमें भावनात्मक अस्थिरता, किशोर के व्यवहार की अस्थिरता और प्रेम व घृणा, साहस व भय, प्रसन्नता व अप्रसन्नता तथा उत्साह व उदासीनता के मध्य उसका दुविधा व असमंजस में होना, इसी प्रकार से उसमें शर्मीलापन भी देखा जाता है⁽²⁾ और इन सभी भावनात्मक घटनाओं का उसकी नैतिकता और दूसरों के साथ उसके व्यवहार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि शर्मीलापन अनुचित स्थान में हो, तो यह गलती करने एवं दूसरों की आलोचना के भय से कल्याणकारी कार्यों से पीछे हटने का कारण बन सकता है। जो कभी-कभी उसके अंतर्मुखी होने के रूप में फलित होगा, बल्कि प्रेम व घृणा तथा उत्साह एवं उदासीनता के मध्य उसका असमंजस में होना उसे अपने मामलों में निर्णायक फैसला लेने से दूर कर सकता है तथा वह सदा एक झिझक के साथ जीवन यापन करेगा।

दिवास्वप्न: किशोर कभी-कभी अपनी अपार कल्पना के माध्यम से अपनी क्षमता की सीमा को पार कर जाता है, जिसमें वह अपनी महत्वाकांक्षाओं और भावनाओं को चित्रित करता है, अपनी समस्याओं को हल करता है, और अपने लिए ऐसी छवियां बनाता है जो यथार्थवादी हो सकती हैं, जैसे कि एक शिक्षक, अधिकारी, या उपदेशक बनना, या वह अपने लिए एक ऐसी छवि बनाता है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता है⁽³⁾, और अपनी उन महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए जो उसने अपने लिए निर्धारित की हैं, कभी-कभी यह कल्पना उसे अवैध तरीकों की खोज में नैतिक विचलन की ओर ले जा सकती है। ऐसी स्थिति में सलाह एवं उचित मार्गदर्शन के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं एवं इच्छाओं को पाने हेतु, किशोर का मार्गदर्शन करने में परिवार और सामाजिक संस्थानों की भूमिका निखर कर सामने आती है।

सामाजिक झुकाव: इस स्तर पर, व्यक्ति का झुकाव उस समाज के प्रति बढ़ जाता है

(1) हामिद ज़हान, इल्मु नफ़िसन् नुमुव्व, पृष्ठ (३५४)।

(2) पिछला संदर्भ, पृष्ठ (३१८), संक्षिप्त रूप में।

(3) हामिद ज़हान, इल्मु नफ़िसन् नुमुव्व, पृष्ठ (३१९), थोड़े से हेर-फेर के साथ संक्षिप्त रूप में।

जिसमें वह रहता है, और इसके सदस्यों के बीच वह दोस्तों का एक समूह बनाता है, जिनसे वह संबंधित होता है, उन्हें प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित होता है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ बताते हैं कि “इस स्तर पर परिवर्तन एवं सामान्यीकरण की प्रक्रिया पर साहचर्य या साथियों और मित्रों के समूह का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है, और वह साहचर्य से प्रभावित होता है और वयस्कों की तुलना में इस पर अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है”।⁽¹⁾

यदि दोस्त अच्छे संस्कारों और सद्गुणों से सुशोभित हैं, तो उनका प्रभाव उन लोगों के व्यवहार पर प्रतिबिंबित और प्रकट होगा जो उनसे संबंधित हैं, और यदि वे इसके उलट हैं, तो इसके विपरीत घटित होगा, तथा ऐसी स्थिति में उचित मित्रों और साथियों को चुनने का महत्व स्पष्ट हो जाता है।

इस चरण के लिए इस्लामी मार्गदर्शन:

(१) - यौन इच्छा: यौन इच्छा मनुष्यों में जन्मजात इच्छाओं में से एक है जिसकी आवश्यकता मानव जाति को पुनरुत्पादन, प्रजनन और उसे बनाए रखने के लिए होती है। इस्लाम ने इन इच्छाओं को इस तरह से निर्देशित किया है कि वयस्क को सभ्य नैतिकता प्राप्त हो, तथा उसे बुराइयों के जाल और उनके अड्डों से दूर रखा जा सके। अतः इस्लाम ने उन समस्त द्वारों को बंद कर दिया है जो अनुचित यौन इच्छाओं को जाग्रत करता है, जैसे कि हराम (वर्जित) नज़र डालना, या किसी अजनबी महिला के साथ अकेले रहना, क्योंकि शैतान दोनों के मध्य क्षणभंगुर आनंद पैदा करने का प्रयास कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “कोई पुरुष किसी महिला के साथ एकांत में न रहे मगर यह कि उसके साथ उसका महरम⁽²⁾ रहे, और कोई महिला बिना महरम के यात्रा न करे, (यह सुन कर) एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला: हे अल्लाह के रसूल! मेरी पत्नी हज्ज के लिए गई है, और मेरा नाम अमूक ग़ज़्वा (धर्मयुद्ध) के लिए लिख लिया गया है, तो आपने फ़रमाया: अपनी पत्नी के साथ जाओ और हज्ज करो”।⁽³⁾

इमाम नववी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: “बिना किसी तीसरे व्यक्ति के अजनबी पुरुष का किसी अजनबी महिला के साथ एकांत में रहना सर्वसम्मति से हराम (वर्जित) है, इसी प्रकार

(1) पिछला संदर्भ, पृष्ठ (३२६) संक्षिप्त रूप में।

(2) महरम, इस्लामी शरीअत में उस पुरुष को कहा जाता है, जिससे महिला का विवाह करना हराम है।

(3) बुखारी (३/ ३९५) किताब: अल्-निकाह ६७, बाब: ला यख्लुवन्ना रजुलुम बिमरअतिन इल्ला ज़ू महरमिन ११, संख्या (५२३३) व मुस्लिम (२/ ९७८) किताब: अल्-हज्ज १५, बाब: सफ़रुल मअति मआ महरमिन इलल् हज्जि व गैरिहि ७४, (४२४-१३४१)।

से उस बच्चे की उपस्थिति में अजनबी पुरुष का अजनबी महिला से मिलना जिससे अल्प आयु होने के कारण लज्जा नहीं की जाती है जैसे दो या तीन वर्ष का बच्चा, क्योंकि उसका होना और न होना दोनों एक समान है, इसी प्रकार से किसी पुरुष का किसी अजनबी महिला के साथ इकट्ठा होना भी हुराम है”⁽¹⁾ तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “कोई पुरुष किसी सैय्यिब महिला (जिसका पति न हो) के साथ, रात न बिताए, सिवाय इसके कि वह उसका पति हो या महरम हो।⁽²⁾ उलमा कहते हैं कि विशेष रूप से सैय्यिब का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि सामान्यतः पुरुष लोग उसी के पास आते जाते हैं, और कुंवारी लड़की आमतौर पर सुरक्षित रहती है तथा पुरुषों के संपर्क में आने से बचती है, अतः उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं समझी गई, क्योंकि यहाँ उसका उल्लेख सावधान करने हेतु किया गया है, तथा इसलिए भी कि जब सैय्यिबह का उल्लेख कर दिया गया जिसके पास आने-जाने में आदतन लोग लापरवाही करते हैं तो कुंवारी के पास जाना तो इस से बढ़ कर वर्जित हुआ”⁽³⁾ इसी प्रकार से इस्लाम ने पतियों के संबंधियों को भी महिलाओं के पास जाने से रोका है ताकि फ़ितने से बचा जा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम लोग महिलाओं के पास दाखिल होने से बचो, अंसार के एक व्यक्ति ने कहा: हे अल्लाह के रसूल! हम्ब⁽⁴⁾ के बारे में आपका क्या कहना है? तो आपने फ़रमाया: हम्ब मौत है”⁽⁵⁾

इसी तरह इस्लाम ने महिलाओं को हिजाब और पर्दा करने आदेश दिया है ताकि पुरुषों की कामवासना न भड़के एवं जिनके हृदय रोगी हैं वो उनके विषय में दुष्कामना न पालें।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का फ़रमान है:

﴿وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾

(1) नववी, शर्ह सहीह मुस्लिम, खण्ड ९, पृष्ठ (१०९)।

(2) मुस्लिम (४/ १७१०) किताब: अल्-सलाम २९, बाब: तहरीमुल खल्वति बिल अजनबिय्यति व अल्-दुखूलि अलैहा ८, संख्या (१९/ २१७१)।

(3) नववी, शर्ह सहीह मुस्लिम, खण्ड १४, पृष्ठ (१५३)।

(4) हम्ब, अरबी भाषा में, पति के संबंधियों को कहते हैं, जैसे: देवर इत्यादि। अल्-निहायह (१/ ४४८)।

(5) बुखारी (३/ ३९५) किताब: अल्-निकाह ६७, बाब: ला यख्लुवन्ना रजुलुम बिमरअतिन, व अल्-दुखूलि अला अल्-मुगय्याबति १११, संख्या (५२३२), व मुस्लिम (४/ १७११), किताब: अल्-सलाम ३९, बाब: तहरीमुल खल्वति बिल अजनबिय्यति व अल्-दुखूलि अलैहा ८, संख्या (२०/ २१७२)।

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبَنَّ بِحُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ

अनुवाद: (और ईमान वालियों से कहें कि अपनी आँखें नीची रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें, तथा अपनी शोभा का प्रदर्शन न करें सिवाय उसके जो प्रकट हो जाए, एवं अपनी ओढ़नियां अपने वक्षस्थलों (सीनों) पर डाली रहें)। सूह नूर: ३१।

एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का कथन है:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾﴾

अनुवाद: (हे नबी! कह दो अपनी पत्नियों से तथा अपनी पुत्रियों एवं ईमान वालों की स्त्रियों से कि डाल लिया करें अपने ऊपर अपनी चादरें, यह अधिक समीप है कि वह पहचान ली जायें, फिर उन्हें दुःख न दिया जाए, और अल्लाह अति क्षमी दयावान है)। सूह अहज़ाब: ५९।

“इससे अभिप्राय मुख का पर्दा करना एवं उसको छिपाना है, चाहे वह दुपट्टा के द्वारा हो अथवा निक्काब पहनने के द्वारा, या इसके सिवा किसी अन्य तरीके से”⁽¹⁾ और ताकि मुसलमान शिष्टाचार की पराकाष्ठा को प्राप्त कर ले, इस्लाम उसे अपनी दृष्टि नीची रखने का आदेश देता है ताकि वह उन चीज़ों को न देखे जो उसकी यौन इच्छाओं को जाग्रत कर दे।

अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُوبْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾﴾

अनुवाद: ((हे नबी!) आप ईमान वालों से कहें कि अपनी आँखें नीची रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें, यह उनके लिए अधिक पवित्र है, वास्तव में अल्लाह सूचित है उस से जो कुछ वह कर रहे हैं)। सूह नूर: ३०।

इसी प्रकार से मार्ग के आदाब में से यह है कि दृष्टि नीची रखी जाए, जैसा कि बुखारी व मुस्लिम में वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम लोग रास्तों में बैठने से बचो, लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! रास्ते में बैठना हमारे

(1) अबुल आला मौदूदी, अल्-हिजाब, पृष्ठ (३२२)।

लिए अनिवार्य है, हम वहाँ बैठ कर वार्तालाप करते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: यदि रास्ता में बैठना अपरिहार्य है तो उसका हक अदा करो, लोगों ने पूछ: रास्ते का हक क्या है? आपने फ़रमाया: निगाह नीची रखना, कष्टदायक वस्तुओं को मार्ग से हटाना, सलाम का उत्तर देना, तथा भलाई का आदेश देना एवं बुराई से रोकना”⁽¹⁾

इस्लाम ने महिला को इस बात से रोका है कि वह इत्र लगा कर पुरुषों के बीच बाहर निकले, जिससे उनको महिला के इत्र की सुगंध मिले जो उनके फितने में पड़ने का कारण बने अथवा उसकी यौन इच्छाओं को भड़काए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जो महिला इत्र लगा कर किसी समुदाय के पास से गुज़रती है ताकि वो उसकी सुगंध पाए तो वह व्यभिचारी है”⁽²⁾

यदि इन दिशानिर्देशों का पालन किशोरों एवं किशोरियों तथा वयस्कों द्वारा किया जाता है, तो उनका प्रभाव यौन इच्छाओं को परिष्कृत करने के संदर्भ में हर किसी के व्यवहार में दिखाई देगा।

(२) - नकल करने और वीरता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति: इस्लाम ने इस उम्मत (समुदाय) को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नकल करने का आदेश दिया है क्योंकि वह सर्वोच्च आदर्श हैं और एक सर्वोत्तम मानक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا ﴿١١﴾

⁽¹⁾ बुखारी (२/ १९६) किताबुल मज़ालिम ४६, बाब: अफ़िनयतुद् दूरि वल् जुलूसि फ़ीहा २२, संख्या (२४६५), व मुस्लिम (३/ १६७५) किताबुल्लिबास व अल-ज़ीनह ३७, बाब: अल्-नह्यु अन् जुलूसि फ़ित् तुरुक्राति ३२, संख्या (११४/ २१२१), तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा वर्णित हैं।

⁽²⁾ अबू दावूद (४/ ४००-४०१) किताब: अल्-रज़ुल २७, बाब: मा जाआ फ़िल मअति ततय्यबु लिल् खुरुजि ७, संख्या (१४७३), व तिर्मिज़ी (५/ ९८-९९) किताब: अल्-अदब ४४, बाब: मा जाआ फ़ी कराहियति खुरुजिल मअति मुतअत्तिरतन ३५, संख्या (२७८६), व नसई (८/ १५३) किताब: अल्-ज़ीनह ४८, बाब: मा युकरहु लिन्निसाई मिनत् तीबि ३५, संख्या (५१२६), तथा उपरोक्त शब्द नसई के द्वारा ही वर्णित हैं और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को “हसन सहीह” कहा है, सुनन नसई, संख्या (४७३७)।

अनुवाद: (तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में उत्तम आदर्श है, उसके लिए जो आशा रखता हो अल्लाह और अन्तिम दिन (प्रलय) की, तथा याद करे अल्लाह को अत्यधिक)। सूरह अहज़ाब: २१।

“यह महान आयत (छंद, श्लोक) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उनके शब्दों, कार्यों और परिस्थितियों में अनुसरण करने का एक बड़ा आधार है। इसी कारणवश सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अहज़ाब (धर्म युद्ध) के दिन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुकरण करने का आदेश दिया, उनके धैर्य, दृढ़ता, संघर्ष एवं अल्लाह के मार्ग में उच्चतम प्रयास करने, तथा अपने सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान पालनहार की ओर से उतरने वाली राहत की प्रतीक्षा करने में”⁽¹⁾

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी सर्वोच्च और सबसे सम्माननीय जीवनी का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह साहस, धैर्य, दृढ़ता, जिहाद और आज्ञाकारिता के वीरतापूर्ण नैतिकता को दर्शाती है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। इसी तरह, युवा लोग पैगम्बरों की जीवनियों का अध्ययन करते समय उन्हें उच्च आदर्श एवं सर्वोत्तम रोल मॉडल पाते हैं, यदि वे उनका अनुसरण करना चाहें तो, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ﴾

﴿الْحَمِيدُ ٦﴾

अनुवाद: (निःसंदेह तुम्हारे लिए उन में एक अच्छा आदर्श है उसके लिए जो आशा रखता हो अल्लाह तथा अंतिम दिवस (प्रलय) की, और जो विमुख हो तो निश्चय ही अल्लाह निस्पृह प्रशंसित है)। सूरह मुत्तहिनुह: ६।

किशोरों के जीवन में माता-पिता और शिक्षकों की भी प्रमुख भूमिका होती है क्योंकि वे उन्हें अपने लिए आदर्श मानते हैं, वे दिन-रात, कठिनाई और समृद्धि के समय में, अच्छी और बुरी परिस्थिति में, कल्याण और अकल्याण में, लाभदायक और हानिकारक परिस्थितियों में उन्हें देखते हैं, अतः अनिवार्य रूप से उन्हें स्कूल, घर और मार्ग में उच्च आदर्श होना चाहिए, जो इस्लामी शिक्षा पाठ्यक्रम द्वारा आग्रहित इस्लामी नैतिकता को परिलक्षित करता हो।

(३) - आलोचना की प्रवृत्ति और सुधार की इच्छा: यदि कोई व्यक्ति इस स्तर तक

⁽¹⁾ इब्ने कसीर, तफ़सीरुल कुरआनिल अज़ीम, खण्ड ३, पृष्ठ (४८३)।

पहुंचता है, तो वह दूसरों को सुधारने में योगदान देने की इच्छा रखता है, अतः इस्लामी शरीअत उसे अत्यंत शक्तिशाली, तत्वदर्शी एवं दयालु अल्लाह के मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है।

अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

अनुवाद: (तुम में एक समुदाय ऐसा अवश्य होना चाहिए जो भली बातों की ओर बुलाए तथा भलाई का आदेश देता रहे और बुराई से रोकता रहे)। सूह आले इमरान: १०४।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम में से जो कोई बुराई को देखे तो उसको अपने हाथों से रोके, यदि इसकी क्षमता न हो तो जुबान से रोके और यदि इसका भी सामर्थ्य न हो तो दिल में (बुरा समझे) और यह ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है”⁽¹⁾ जो व्यक्ति अल्लाह के दूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम द्वारा लाई गई बातों का पालन नहीं करता है, और जिससे उन्होंने मना किया है उससे परहेज नहीं करता है, तो उसे समाज के ऐसे सदस्य मिल सकते हैं जो उसकी आलोचना करें तथा उसे उचित सलाह और मार्गदर्शन दें, विशेष रूप से यदि समाज में जागरूकता का स्तर बढ़ा हुआ हो, तो यह इस्लामी मार्गदर्शन, जो मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल है और उसे उसके कर्तव्य और पुरुषत्व का एहसास कराता है, तथा उसे प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और शिक्षा की आवश्यकता है यहाँ तक कि वह इसका आदी हो जाए और उस पर प्रशिक्षित न हो जाए। और यहां पर, युवा लोगों को सही ढंग से प्रशिक्षित करने, उन्हें अच्छाई का आदेश देने और बुराई को रोकने हेतु, एक सचेत, सही और प्रभावी अभ्यास के लिए सही दिशा में निर्देशित करने के संबंध में परिवार, स्कूल, मीडिया और मस्जिद की भूमिका एवं महत्व का एहसास होता है।

भावनात्मक विकास:

किशोर अपने बचपन के चरण से बचपन से अधिक परिपक्व चरण की ओर बढ़ता है, जो उसे वयस्कता के चरण के लिए तैयार होने में सहायता करता है, और उसके लिए प्रेम एवं घृणा, साहस और भय, खुशी और अवसाद के बीच रहना स्वाभाविक है, ताकि मार्गदर्शन और उत्तम नैतिकता एवं उनकी परोपकारिता, उनको करने का इच्छुक होना एवं उन्हें करने में आनंद

⁽¹⁾ मुस्लिम (१/ ६९) किताब: अल् ईमान १, बाब: कौनुन् नह्य अनिल मुन्करि मिनल ईमान २०, संख्या (७८/ ४९)।

आना, तथा बुराइयों से नफरत और उनसे दूर भागना एवं ऐसा करते समय घुटन का अनुभव उत्पन्न होने के लिए, यह एक नींव का काम करे। अतः किशोरों की भावनाओं को भलाई एवं उत्तम नैतिकता को पसंद करने की ओर प्रेरित करना, जैसे: ईमानदारी, अमानतदारी, निष्ठा, साहस, उदारता, और अच्छाई का आदेश देना एवं बुराई से मना करना इत्यादि उत्तम शिष्टाचार के लिए तैयार करना, और उसे कुरआन -ए- करीम की ऐसी आयतों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ऐसी हदीसों एवं सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की जीवनियों के उन भागों को याद दिला कर परिष्कृत किया जा सकता है, जो नैकी व कल्याणकारी कार्य करने को प्रेरित करते हैं। और दूसरी ओर बुराई से घृणा करने एवं उससे बचने हेतु उसे भावनात्मक रूप से प्रेरित किया जाए। और उसे अल्लाह का दण्ड याद दिलाया जाए ताकि वह झूठ, ग़ीबत, चुगली, विश्वासघात, कायरता और अश्लीलता एवं इन जैसी अन्य बुराइयों से बच सके।

चूँकि यह चरण वह है जहाँ शर्मीलापन एवं लज्जा प्रकट होता है, जो उसके नैतिक संकल्प को कमजोर कर सकता है और यदि यह अनुचित स्थान पर हो तो उसे बर्बाद कर सकता है, अतः उसे मार्गदर्शित किया जाए कि उसका शर्माना अल्लाह से शर्माना हो जिसे वह दृश्य एवं अदृश्य हर परिस्थिति में बाकी रखे, क्योंकि यह ईमान की शाखाओं में से एक शाखा है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है: “ईमान की सत्तर से अधिक शाखाएं हैं, इनमें सर्वोत्तम शाखा “ला इलाहा इल्लल्लाह (अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं)” कहना है तथा सबसे निम्न शाखा मार्ग से कष्टदायक वस्तुओं को दूर करना है, तथा लज्जा भी ईमान की एक शाखा है”⁽¹⁾ इसी प्रकार किशोर को यह बताया जाए कि जिस स्थान पर लज्जा करना निंदनीय है, जैसे हक बोलना, सीखते समय एवं उपदेश देते समय, उन जैसे स्थानों पर लज्जा न करे।

सामाजिक झुकाव:

मनुष्य स्वभावतः सामाजिक होता है, वह लोगों के साथ बैठने को पसंद करता है तथा एकांतावास एवं अलगाव को नापसंद करता है, परंतु इस स्तर पर यह विशेषता पहले की तुलना में बढ़ जाती है।

इस्लाम ने इस झुकाव को अल्लाह की खातिर भाईचारा रखने की ओर निर्देशित किया

⁽¹⁾ बुखारी (१/ २०) किताब: अल् ईमान २, बाब: उमूरुल ईमान ३, संख्या (९), व मुस्लिम (१/ ६३) किताब: अल् ईमान १, बाब: बयानु अददि शुअबिल ईमान १२, संख्या (५८/ ३५) तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा ही वर्णित हैं।

है, वह ईमान वाला सच्चा भाईचारा कि “जब एक परिवार या समुदाय इससे ओत-प्रोत होता है, तो यह एक गहन सामाजिक क्रांति पैदा करता है, जिसके प्रभाव और परिणाम दूरगामी होते हैं। इसी कारणवश अल्लाह तआला ने मोमिनों (विश्वासियों) पर यह उपकार जताया है कि उसने उन्हें एक-दूजे से प्रेम करने वाला भाई बना दिया”।⁽¹⁾ सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿وَاذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ

إِخْوَانًا﴾

अनुवाद: (अपने ऊपर अल्लाह के पुरस्कार को याद करो जब तुम एक दूसरे के शत्रु थे, तो तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, और तुम उस पुरस्कार के कारण भाई-बंधु हो गये)। सूरह आले इमरान: १०३।

शैक्षिक अनुप्रयोग:

इस स्तर पर कुछ शैक्षिक अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं:

- इस स्तर पर युवाओं को उनकी विशेषताओं के अनुरूप मार्गदर्शन करने में परिवार और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की प्रमुख भूमिका होती है। वे अच्छाई एवं शुद्धता के लिए तथा भ्रष्टाचार से बचने के लिए, तैयार करने और मार्गदर्शन हेतु अति उपयुक्त कच्ची ईंटें हैं। तथा ऐसा करने को प्रेरित करने वाली कुछ बातें निम्नांकित हैं:

- इस स्तर पर, व्यक्तियों को अपने भाइयों के साथ सहयोग करने और सामाजिक एकीकरण के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों और गतिविधियों के आलोक में उनका भावनात्मक विकास हो सके।

- उन्हें उन नैतिक फिसलनों और नुकसानों के बारे में समझाया जाए जिनसे बचना चाहिए तथा उनके निकट जाने से सावधान रहना चाहिए, और इसके सुधार हेतु, अच्छाई का आदेश देने एवं बुराई से रोकने में उनकी भूमिका को स्पष्ट करता है।

- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम एवं सलफ़-सालेहीन (सदाचारी एवं धार्मिक मुसलमानों) की जीवनियों का अध्ययन करके इस्लामी वीरता को उजागर करना ताकि वे उनका अनुसरण करें, न कि वे गायकों, अभिनेताओं और उन जैसे अन्य

⁽¹⁾ हसन अय्यूब, अल् सुलूक अल् इज्तामाइय्यु फ़िल इस्लामि, पृष्ठ (२९६)।

लोगों की नकल करें, जोकि सामाजिक संस्थानों द्वारा अपनी सही शैक्षिक भूमिका अदा न करने के कारण कुछ लड़कों और लड़कियों के लिए आदर्श बन गए हैं, क्योंकि परिवार की भूमिका केवल शारीरिक पोषण प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक एवं आध्यात्मिक पोषण भी शामिल है, तथा ये सब मिलकर नैतिक आधार बनाते हैं।

- शैक्षिक मार्गदर्शन किसी व्यक्ति के जीवन के केवल इस चरण पर ही नहीं रुकता, बल्कि वयस्कता और बुढ़ापे तक जारी रहता है, जैसा कि निम्नलिखित दो चरणों से स्पष्ट है।

पंचम: अल् रुश्द “अल् अशुद्द - अल् शबाब” अर्थात वयस्कता
(परिपक्वता - युवावस्था)

यह चरण मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक परिपक्वता का प्रतिनिधित्व करता है। यह देने और भावनाओं एवं व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता का चरण है। अल् रुश्द “अल् अशुद्द - अल् शबाब” अर्थात वयस्कता (परिपक्वता - युवावस्था) का चरण कहा जाता है, और इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है:

अल् रुश्द, अल् अशुद्द - अल् शबाब की अवधारणा:

अल् रुश्द: अरबी शब्दकोषों में से एक प्रसिद्ध शब्दकोष (अल् क्रामूस अल् मुहीत) में अल् रुश्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है: “सच्चाई के मार्ग का कठोरता के साथ पालन करना”⁽¹⁾, जो “गुमराही के विपरीत है”⁽²⁾। तथा अल् रुश्द अर्थात वयस्कता में परिपक्वता एवं धर्मपरायणता दोनों शामिल हैं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

अनुवाद: (तथा अनाथों की परीक्षा लेते रहो यहाँ तक कि वह विवाह की आयु को पहुँच जाएं, तो यदि तुम उन में सुधार देखो तो उन का धन उनके हवाले कर दो)। सूह निसा: ६।

सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह कहते हैं कि इस से अभिप्राय यह है कि उनको धर्मपरायण एवं धन की रक्षा करने के योग्य देखो तो (उनका धन उनको समर्पण कर दो), इसी तरह का कथन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हसन बसरी रहिमहुल्लाह एवं अन्य विद्वानों से उद्धृत है, जैसे फुक़हा (धर्मशास्त्री) कहते हैं कि बालक जब उस आयु को पहुँच जाए जहाँ वह धर्म-कर्म करने लगे तथा अपने धन की सुरक्षा करने योग्य हो जाए तो धन को उसके हाथ में देने की रोक समाप्त हो जायेगी और उसका वह धन जो वली (अभिभावक) के नियंत्रण में है उस बालक को सौंप दिया जायेगा।⁽³⁾

(1) अल् फ़ैरोज़ाबादी, अल् क्रामूस अल् मुहीत, खण्ड १, पृष्ठ (२९४)।

(2) इब्न मन्ज़ूर, लिसानुल अरब, खण्ड ३, माद्दा अल् रुश्द الرشد, पृष्ठ (१७५)।

(3) इब्ने कसीर, तफ़सीरुल कुरआनिल अज़ीम, खण्ड १, पृष्ठ (४६३)।

अल् अशुद् (परिपक्वता): सुप्रसिद्ध भाषाविद् फ़ैरोज़ाबादी अशुद् का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं: “(कुरआन की आयत): हत्ता यब्लुगा! अशुद्हु में अशुद्हु का अर्थ है शक्ति, योग्यता एवं सामर्थ्य, जोकि अट्ठारह वर्ष से लेकर तीस वर्ष के बीच होता है”⁽¹⁾

एक अन्य सुप्रसिद्ध भाषाविद् इब्ने मन्ज़ूर कहते हैं कि: अशुद् बहुवचन है जिसका एकवचन शिद्दत है, जिसका अर्थ होता है: शक्ति एवं मजबूती, तथा शक्तिशाली व्यक्ति को अरबी में “शदीद” भी कहा जाता है। ज़ज्जाज का कहना है कि: यह सत्रह से लेकर चालीस वर्ष तक की आयु को कहते हैं, एक स्थान पर कहा है कि: यह तीस से लेकर चालीस वर्ष तक की आयु है⁽²⁾ और अशुद् का चरम बिंदु चालीस वर्ष की आयु है। सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾

अनुवाद: (यहाँ तक कि जब वह अपनी पूरी शक्ति को पहुँचा तथा चालीस वर्ष का हुआ, तो कहने लगा: हे मेरे पालनहार! मुझे क्षमता दे कि कृतज्ञ रहूँ तेरे उस पुरस्कार का जो तू ने मुझे प्रदान किया है)। सूरह अहक़ाफ़: १५।

फ़रमाया: ﴿إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ अर्थात: शक्ति, बुद्धि एवं सोच-विचार की क्षमता के उच्चतम स्तर पर पहुँचना, जिसकी न्यूनतम सीमा तैंतीस अथवा तीस वर्ष का होना है ﴿وَبَلَغَ﴾ तथा उसकी पराकाष्ठा चालीस वर्ष की आयु में पहुँचना है⁽³⁾

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं: अल् अशुद् से अभिप्राय: वयस्क होना है, तथा इसी अर्थ को यह्या बिन यअमुर एवं सुदी ने वरीयता दी है, जबकि मुजाहिद से वर्णित है कि वह कहते हैं इससे अभिप्राय छत्तीस वर्ष की आयु में पहुँचना है, तथा उन्ही से उद्धृत है कि इससे अभिप्राय तीस वर्ष की आयु में पहुँचना है। ज़ह्हाक का कहना है कि: इससे अभिप्राय बीस वर्ष की आयु है। मुक्रातिल का कहना है कि: इससे अभिप्राय अट्ठारह वर्ष की आयु है। और ज़ुही ने इस बात को वरीयता दी है कि शब्द के शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखा जाए, अतः कहा कि: (बुलूगुल् अशुद्) व्यक्ति के वयस्क होने से लेकर चालीस वर्ष तक की आयु तक

(1) अल् फ़ैरोज़ाबादी, अल् कामूस अल् मुहीत, खण्ड १, पृष्ठ (३०५)।

(2) इब्ने मन्ज़ूर, लिसानुल अरब, खण्ड ३, माद्दा श द द شدد, पृष्ठ (१७५)।

(3) अल् सुयूती, तफ़सीरुल जलालैन, पृष्ठ (६६८)।

पहुँचना है, वह कहते हैं कि: बुलूगुल अशुद्, आरंभ तक सीमित है, अंत तक सीमित है, तथा बीच में किसी भी चीज़ तक सीमित नहीं है, अतः बुलूगुल अशुद्, वयस्कता से लेकर चालीस वर्ष तक की आयु है।⁽¹⁾

जहां तक रुद्द एवं अशुद् (वयस्कता एवं परिपक्वता) के बीच संबंध की बात है, तो वे अर्थ एवं उद्देश्य दोनों रूप में आपस में जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम पाते हैं कि सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अनाथ को उसका धन देने को कभी विवाह की आयु तक पहुँचने एवं रुद्द अर्थात् वयस्कता से जोड़ा है और कभी अशुद् अर्थात् परिपक्वता की प्राप्ति के साथ। सूरह अन्आम में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾

अनुवाद: (अनाथ के धन के समीप न जाओ परंतु ऐसे ढंग से जो उचित हो, यहाँ तक कि वह अपनी युवावस्था को पहुँच जाएं)। सूरह अन्आम: १५२।

कुर्तुबी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि यहाँ (अशुद्) से अभिप्राय शक्ति एवं सामर्थ्य है, जो कभी शरीर में होता है तथा कभी इसे अनुभव से जाना जाता है, दोनों पहलुओं का घटित होना आवश्यक है, क्योंकि अशुद् यहाँ मुतलक अर्थात् व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है, जबकि सूरह निसा में अनाथ की स्थिति मुक़य्यद अर्थात् सीमित अर्थ में प्रयोग हुआ है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान का कथन है:

﴿وَأْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

अनुवाद: (तथा अनाथों की परीक्षा लेते रहो यहाँ तक कि वह विवाह की आयु को पहुँच जाएं, तो यदि तुम उन में सुधार देखो तो उन का धन उनके हवाले कर दो)। सूरह निसा: ६।

अतः शरीर की शक्ति जोकि युवावस्था है, को ज्ञान की ताकत जोकि परिपक्वता तक पहुँचना है, के साथ जोड़ दिया है।⁽²⁾

अतः इससे प्रमाणित होता है कि (अशुद्) शारीरिक क्षमता एवं ज्ञान की शक्ति है, तथा (रुद्द) ज्ञान की क्षमता है, और बुलूगुल शारीरिक शक्ति है, इससे प्रमाणित हुआ कि (रुद्द) अशुद्

(1) इब्नु क़ैयिमिल जौज़िय्यह, तुहफ़तुल मौदूद, पृष्ठ (१७८)।

(2) अल् कुर्तुबी, अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन (७/ ७८)।

का एक भाग है, कुल मिला कर नतीजा यह निकलता है कि (अशुद्) एवं (रुद्) दो अलग-अलग चरण नहीं हैं, अपितु ये दोनों एक ही चरण के दो नाम हैं।

जहाँ तक आरंभ एवं अंत के आधार पर इस चरण के सीमा निर्धारण की बात है, तो जिसे मैं पसंद करता हूँ वह यह है कि इसकी न्यूनतम आयु १७ वर्ष है जबकि अधिकतम आयु ४० वर्ष है, एवं इस कथन के सर्वोपरि होने के कुछ प्रमाण निम्नलिखित हैं:

१- सूरह निसा एवं सूरह अन्आम की आयतें इसी अर्थ को स्पष्ट करती हैं।

२- सूरह अह्क़ाफ़ की आयत इस बात को प्रमाणित करती है कि अशुद् का चरम बिंदु चालीस वर्ष की आयु है।

३- अरबी भाषा के शब्दकोषों से पता चलता है कि इसकी न्यूनतम सीमा सत्रह वर्ष है जबकि अधिकतम सीमा चालीस वर्ष है, यह वही बात है जो इब्ने मन्ज़ूर ने जज्जाज के हवाले से कही है, इसी तरह अशुद् का अर्थ होता है शक्ति एवं मजबूती जोकि सामान्यतः इसी उम्र में मानव के अंदर पाई जाती है।

४- अशुद् का अर्थ है: पूर्ण शारीरिक एवं संज्ञानात्मक शक्ति तथा राय की सुदृढ़ता, इसी की ओर कुर्तुबी एवं सुयूती रहिमहुमल्लाह ने इशारा किया है, तथा सामान्यतः यह उसी के अंदर पाया जाना संभव है जो किशोरावस्था एवं वयस्कता की आयु से आगे बढ़ चुका हो, जहाँ तक नादिर और दुर्लभ की बात है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह कोई जब चालीस वर्ष की आयु में पहुँचता है तो उसकी शक्ति पूर्ण हो चुकी होती है।

५- उलमा ने आयु से संबंधित जो बातें कही हैं उनमें न्यूनतम आयु १७ वर्ष है तथा अधिकतम आयु ४० वर्ष।

अल् शबाब (युवावस्था): प्रसिद्ध भाषाविद् इब्ने मन्ज़ूर कहते हैं कि: “अल् शबाब का अर्थ है युवावस्था एवं नव-यौवन”⁽¹⁾ तथा नववी कहते हैं: “इससे अभिप्राय है वह युवक जो वयस्क हो चुका हो किंतु अभी तीस वर्ष की आयु में न पहुँचा हो”⁽²⁾

“इस से अभिप्राय है वयस्क होने के बाद से तीस वर्ष तक की आयु का मनुष्य, शाफ़ेइय्या ने इसी प्रकार से मुत्लक़ (व्यापक) बात कही है, तथा कुर्तुबी कहते हैं कि: १६ वर्ष तक की

(1) इब्ने मन्ज़ूर, लिसानुल अरब, खण्ड १, मादा श अ ब شاب, पृष्ठ (४८०)।

(2) अल् नववी, शर्ह सहीह मुस्लिम, खण्ड ९, पृष्ठ (१७३)।

आयु को “हदस” कहा जाता है, फिर ३२ वर्ष तक की आयु को “शाब्ब” इसके बाद की आयु को “कह्ल”, इसी तरह ज़मख़शरी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि “शबाब” वयस्क होने से लेकर ३२ वर्ष तक की आयु को कहा जाता है, तथा मालिकी पंथ के अनुयायियों में से एक इब्ने शम्मास मालिकी (अल् जवाहिर) में कहते हैं कि: यह चालीस वर्ष तक की आयु को कहते हैं⁽¹⁾

इसका अर्थ यह है कि शबाब का चरण रुशद के चरण के अंतर्गत है, क्योंकि यह ३३ अपितु ४० वर्ष तक अनवरत जारी रहता है।

ये स्पष्टीकरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि रुशद, अशुद् एवं शबाब एक ही चरण के नाम हैं, अलग-अलग चरणों के नहीं।

रुशद चरण की विशेषताएं:

जोश एवं उर्जा: इस चरण की विशेषता यह है कि “इस चरण में व्यक्ति का उत्पादन अपने चरम पर पहुंच जाता है, और व्यक्ति पूर्ण परिपक्वता तक पहुंच जाता है। यह चरण वास्तव में देने, प्रतिस्पर्धा एवं जीवन जीने के नियम एवं कायदे की नींव का चरण माना जाता है”⁽²⁾ इस चरण में नैतिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो इस दान एवं प्रतिस्पर्धा वाली प्रवृत्ति को परिष्कृत करे तथा इसे अच्छाई की ओर मार्गदर्शित करे।

उसकी मानसिक क्षमताएं भी अधिक शिक्षण योग्य और संज्ञानात्मक हो जाती हैं, क्योंकि वह रुशद अर्थात् परिपक्वता में अपने अधिकतम शिखर तक पहुंचने तक बढ़ती रहती है।⁽³⁾ यह उनके व्यवहार और नैतिक गुणों के प्रति जागरूकता में परिलक्षित होता है।

मानसिक क्षमताएँ: कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इस स्तर पर वयस्कों में बुद्धि का स्तर स्थिर रहता है, और आर्थिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक पहलुओं सहित कई कारकों के कारण सापेक्ष परिवर्तन होता है।⁽⁴⁾ वयस्क जितना अधिक शिक्षित होता है, वह विश्लेषण एवं निष्कर्ष में उतना ही मजबूत होता है तथा उतना ही अधिक वह परिणामों का

(1) इब्ने हज़र अल् अस्कलानी, फ़तुह बारी, खण्ड ९, पृष्ठ (१०८), तथा उनका यह कथन शौकानी ने भी नैलुल औतार, खण्ड ६, पृष्ठ (१०२) में उद्धृत किया है।

(2) फ़ुआद अल-बही अस्सय्यिद, अल-उसुस अल-नफ़िसय्यह लिन नुमुव्व, पृष्ठ (३४१)।

(3) पिछला संदर्भ, पृष्ठ (३३५-३३६)।

(4) आमाल स़ादिक़, फ़ुआद अबू ह़त़ब, नुमुव्वुल इन्सानि मिम् मर्हलतिल जनीन इला मर्हलतिल मुसिन्नीन, मर्कज़ अल् तन्मिया अल् बशारिया वल मअलूमात, प्रथम संस्करण, १९८८ ईस्वी काहिरा, पृष्ठ (३०९)।

अनुमान लगाने में सक्षम होता है, और यह उसके व्यवहार में भी परिलक्षित होता है, इसी प्रकार सामाजिक वातावरण जितना अधिक शिक्षित, समझदार एवं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होता है, उतना ही यह वयस्कों की सोच में भी परिलक्षित होता है।

भावनाएँ: वयस्कता के दौरान, वयस्क के व्यवहार में उन अधिकांश भय का उन्मूलन होता है जो उसे बचपन में परेशान करते थे, और ये अर्थगत भय में बदल जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति विफलता से डरता है और अपनी सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है।⁽¹⁾ इसीलिए, प्रोत्साहन एवं धमकी के माध्यम से पालन-पोषण का महत्व इस स्तर पर और बढ़ जाता है ताकि वयस्कों को लोगों से डरने से पहले सर्वशक्तिमान अल्लाह से डरने की शिक्षा मिले, तथा वह लोगों से लज्जा करने के स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह से लज्जा करे एवं लोगों की निंदा से डरने के बजाए उस बड़े दिन के फजीता व अपमान से डरे जिस दिन समस्त मानव जाति उपस्थित होगी।

जहाँ तक भावनात्मक मनोभाव की बात है, तो यह पितृत्व एवं मातृत्व की भावना में बदल जाता है और वयस्कता में यह भावना अपनी तीव्रता तक पहुँच जाती है।⁽²⁾ विवाह के बारे में उसका दृष्टिकोण अधिक व्यापक एवं विस्तृत हो जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य यौन इच्छा को संतुष्ट करने के अलावा, पितृत्व, मातृत्व और परिवार के विस्तार की इच्छा को पूरा करना भी होता है।

सीखने की इच्छा: वयस्कों की बुनियादी विशेषताओं में से एक है सीखने की इच्छा एवं प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्धि और पुरस्कार की आवश्यकता, और यहां तक कि यह महसूस करना भी कि वह अपना काम वांछित ढंग से कर रहा है।⁽³⁾

इस चरण की सबसे प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:⁽⁴⁾

१- भविष्य के मामलों के बारे में अधिक सोच-विचार करना एवं शैक्षिक और

⁽¹⁾ अब्दुल्लाह अल् नाफ़ेअ आले शारेअ, अब्दुल मजीद अल् सैयिद अहमद मन्सूर, सौकोलोजियत अल् शैखूखा फ़ी ज़ौइल हुदा अल् इस्लामी, हल्क़तु रिआयतिल मुसन्नीना फ़िल इस्लाम, अबु धाबी २१ – २४ अप्रैल, मुनज़्ज़िमतुल मुअतमिर अल् इस्लामी, सुन्दूक अल् तज़ामुन अल् इस्लामी, पृष्ठ (२७)।

⁽²⁾ पिछला संदर्भ, पृष्ठ (४१५)।

⁽³⁾ आमाल सादिक़, फ़ुआद अबू हतब, नुमुव्वुल इन्सानि, पृष्ठ (३०९)।

⁽⁴⁾ मुहम्मद हसन अलावी, इल्मुन् नफ़िस अल् रियाज़ी, दारुल मआरिफ़, छठा संस्करण, १९८७ ईस्वी, काहिरा, पृष्ठ (१५१-१५२)।

व्यावसायिक क्षमताओं में वृद्धि।

२- युवाओं का रुझान आर्थिक लाभ की ओर रहना।

३- समाज की आवश्यकताओं को समझकर सामाजिक सुधार एवं सार्वजनिक सेवा परियोजनाओं में भाग लेने की वास्तविक प्रवृत्ति।

४- पढ़ने एवं रोमांच की ओर अत्यधिक रुझान।

५- अपने खाली समय को व्यवस्थित करने की उसकी आवश्यकता।

इन विशेषताओं को इस्लामी मार्गदर्शन के आलोक में सही ढंग से निर्मांकित रूप में निर्देशित किया जा सकता है:

१- उसे आखिरत (परलोक) में पुरस्कार पाने एवं इस दुनिया में अपना हिस्सा न भूलने के लिए प्रोत्साहित करना।

२- अल्लाह ने जिन चीजों के करने की अनुमति दी है उसके आलोक में वित्तीय लाभ के सही मार्ग का चयन करना एवं अवैध कमाई से बचना।

३- भलाई का आदेश देने और बुराई से मना करने, अपने भाइयों की सहायता करने और अपनी नियत को खालिस व निश्चल बनाने की ओर उसकी इच्छाओं को निर्देशित करना, ताकि उसका कर्म सर्वशक्तिमान अल्लाह के लिए खालिस व निष्ठा पूर्वक हो।

४- उसे उपयोगी पुस्तकों जैसे (सही अक्रीदा अर्थात् आस्था की पुस्तकें, फ़िक्ह अर्थात् न्यायशास्त्र एवं उसके अपने पेशे से संबंधित पुस्तकें, और अन्य उपयोगी पुस्तकों) की ओर उसका मार्गदर्शन करना।

इस चरण के लिए इस्लामी दिशानिर्देश:

यह चरण, युवावस्था, यौनिक, मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता का चरण है, और यह वह चरण है जिसमें युवा अधिकांशतः शादी करने में सक्षम होते हैं, जो दृष्टि को नीची रखने का कारण एवं अनैतिकता में पड़ने से गुप्तांगों की सर्वाधिक सुरक्षा करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने युवाओं को प्रोत्साहित किया है कि यदि उनके अंदर क्षमता हो तो वे विवाह अवश्य करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है:

“हे युवाओं के समूह! तुम में से जिसके अंदर बाअत⁽¹⁾ हो वह अवश्य विवाह करे, क्योंकि यह निगाह नीची रखने एवं गुप्तांग की सुरक्षा करने का कारण है, तथा जो इसकी क्षमता न रखता हो वह रोज़ा रखे क्योंकि यह उसके लिए ढाल का काम करेगा⁽²⁾”⁽³⁾

इस तथ्य के अलावा यह बात भी है कि विवाह काम वासना एवं मातृत्व-पितृत्व की इच्छा को संतुष्ट करता है, यह शारीरिक अंगों के लिए सुखदायक एवं उसे शांति प्रदान करने वाला है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾

अनुवाद: (वही (अल्लाह) है जिसने तुम्हारी उत्पत्ति एक जीव से की, और उसी से उस का जोड़ा बनाया ताकि उस से उसे संतोष मिले)। सूह आराफ़: १८९।

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ﴾

अनुवाद: (तथा उस की निशानियों (लक्षणों) में से यह (भी) है कि उत्पन्न किया तुम्हारे

(1) बाअत, के अर्थ के संबंध में दो बातें कही गई हैं, और दोनों का अर्थ एक ही है, सही कथन के अनुसार “बाअत” का शाब्दिक अर्थ है: संभोग करने की क्षमता का होना, इस आधार पर हदीस का अर्थ होगा: तुम में से जो संभोग करने की क्षमता रखता है इसके ऊपर खर्च होने वाले धन को चुकाने की क्षमता रखते हुए, जोकि निकाह करने के रूप में उस पर लागू होने वाला खर्च है, तो वह विवाह करे, और जो निकाह करने के रूप में खर्च होने वाले धन को बर्दाश्त करने में अक्षम होने के कारण संभोग करने में असमर्थ है, तो वह रोज़ा रखे, ताकि उसकी कामवासना शांत हो... दूसरा कथन यह है कि यहाँ (बाअत) से अभिप्राय विवाह करने के रूप खर्च होने वाले धन को बर्दाश्त करने की क्षमता रखना है, इसका अल्लेख इमाम नववी ने शर्ह सहीह मुस्लिम में किया है, खण्ड ६, पृष्ठ (१७३), तथा इब्ने हजर ने फ़तुह बारी, खण्ड ९, पृष्ठ (१०८) एवं शौकानी ने नैलुल औतार, खण्ड ६, पृष्ठ (१२२) में किया है।

(2) अरबी भाषा के शब्द, “विजा” का अर्थ होता है: ढाल, इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से ढाल मानव की रक्षा करता है उसी प्रकार से रोज़ा रखना उसकी कामवासना के लिए रक्षा का कार्य करता है। अल् निहाया (५/ १५३)।

(3) बुखारी (३/ ३५५) किताब: अल् निकाह ६७, बाब: मन् लम यस्ततिअ अल् बाअता फ़ल यसुम ३, संख्या (५०६६), व मुस्लिम (२/ १०१९) किताब: अल् निकाह १६, बाब: इस्तिहबाबुन् निकाहि लिमन ताक़त नफ़सुहु इलैहि १, संख्या (३/ ०००) तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा ही वर्णित हैं।

लिए तुम्हीं में से जोड़े, ताकि तुम शांति प्राप्त करो उन के पास तथा उत्पन्न कर दिया तुम्हारे बीच प्रेम तथा दया, वास्तव में इस में अनेक निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं। सूरह रूम: २१।

“इस संबंध को आत्मा एवं तंत्रिकाओं के लिए शांति का कारण और शरीर एवं हृदय के लिए आराम का सबब बनाया गया है तथा यह जीवन और आजीविका को स्थिरता प्रदान करता है,⁽¹⁾ अतः यह व्यक्ति के मिजाज व स्वभाव को शांत और आत्मा को स्थिर बनाता है, और निःसंदेह रूप से व्यक्ति के कार्यों और व्यवहार पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है”।

इस्लाम निंदनीय कार्यों को भी प्रतिबंधित करता है क्योंकि पुरुषों एवं महिलाओं के नैतिक मूल्यों पर उनका अनैतिक प्रभाव के पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ «मैने जहन्नम में जाने वाले दो प्रकार के लोग अभी तक नहीं देखे: एक वो जिनके पास गाय के पूँछों के समान कोड़े होंगे जिस से वे लोगों की पिटाई करेंगे, और दूसरा वह महिला जो वस्त्र धारण करने के बावजूद नग्न होंगी, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी तथा स्वयं भी उनकी ओर आकर्षित होंगी, उनके सिर बुद्ध्ती⁽²⁾ ऊँटों के कोहानों के समान होंगे, ऐसी महिलाएं न तो स्वर्ग में

(1) सय्यिद कुतुब, फ़ी ज़लालि कुरआन, खण्ड ५, पृष्ठ (२७६३)।

(2) इमाम नववी कहते हैं: इस हदीस में इन दोनों प्रकार के लोगों की निंदा की गई है, कहा गया है कि: (कासियातुन आरियातुन) इसका अर्थ यह है कि वो अल्लाह की नियामतों से लाभांविता होती हैं किंतु उसका शुक्र अदा न कर के नंगेपन का प्रदर्शन करती हैं, यह भी कहा गया है कि: इस का अर्थ यह है कि ये महिलाएं अपने शरीर के कुछ भाग को छिपा कर रखती हैं तो कुछ भाग को खोल कर, ताकि अपनी स्थिति का लोगों के समक्ष प्रदर्शन करें, इसका एक अर्थ यह भी बताया गया है कि: वो ऐसा पतला वस्त्र धारण करेंगी जिसके भीतर उसके शरीर का रंग स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा होगा। (माइलातुन) का अर्थ यह है बयान किया गया है कि: वो अल्लाह की बंदगी से मुख मोड़ने वाली होंगी एवं जिसकी सुरक्षा उन पर अनिवार्य है उससे, और (मुमीलातुन) का अर्थ यह बताया गया है कि: वो दूसरों को भी अपने निंदनीय कृत्य के बारे में सूचना देने वाली होंगी, इसका एक अर्थ यह भी बताया गया है कि: (माइलातुन) का अर्थ है कि वो मटक-मटक कर चलेंगी एवं (मुमीलातुन) का अर्थ है कि वह अपने कंधे उचकाने वाली होंगी, एक अर्थ यह भी है कि: (माइलातुन) से अभिप्राय यह है कि वो रंडियों के समान

सभी वैध व्यवसायों की तरह एक पेशा है। यह केवल इस्लाम की नैतिकता और मार्गदर्शन के बारे में जागरूकता की कमी के कारण है, जिस से उनकी नैतिकता उस स्तर तक गिर गई जो कदापि एक मुसलमान की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

चूँकि यह चरण, परिवार बनाने और जीविकोपार्जन के लिए पेशा चुनने का है, और ध्यान रहे कि व्यक्ति अपने परिवार की नैतिकता के लिए जिम्मेदार है, तथा अपने परिवार और समाज के लिए एक आदर्श होने के अलावा, अपने काम में भी एक अच्छा आदर्श माना जाता है, अतः आवश्यक रूप से उसमें अच्छे नैतिक गुण होने चाहिए, जैसे कि अपने परिवार और अपने आस-पास के लोगों के प्रति दया भाव का पाया जाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “हे आइशा! निस्संदेह अल्लाह क्षमाशील है और नम्रता को पसंद करता है, और जो कुछ वह कठोरता के आधार पर नहीं देता है, वह विनम्रता के आधार पर प्रदान करता है, वह इसके अलावा किसी और चीज़ पर इतना अधिक नहीं देता है”⁽¹⁾

युवाओं को अहंकार से बचना चाहिए जो आम तौर पर उन युवाओं में पाया जाता है जो इस्लामी दिशानिर्देशों के अनुसार बड़े नहीं हुए होते हैं, जहां शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक स्वास्थ्य की शक्ति पर गर्व किया जाता है, जबकि इस्लाम व्यक्ति को विनम्रता, अच्छे स्वभाव और उच्च नैतिकता की ओर निर्देशित करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “वह व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं पायेगा जिसके हृदय में कण बराबर भी अहंकार होगा, एक व्यक्ति ने कहा: आदमी पसंद करता है कि उसका वस्त्र उत्तम हो, उसका जूता सुंदर हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह तआला सुंदर है एवं सुंदरता को पसंद करता है, अहंकार हक़ (सत्य) को स्वीकार न करना एवं लोगों के अधिकारों का (उसको तुच्छ समझते हुए) गबन करना है”⁽²⁾

इस हदीस से हमें जो सीख मिलती है उनमें से एक यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपव्यय एवं फिजूलखर्ची के बिना अपने कपड़ों की सुंदरता और सफाई का ख्याल रखने में कोई बुराई नहीं है, और यह चरित्र की सुंदरता का हिस्सा है तथा बंदा (भक्त) पर अल्लाह के नियामत एवं

⁽¹⁾ बुखारी (४/ ९५-९६) किताब: अल् अदब २८, बाब: अल् रिफ़्क़ु फ़िल अम्रि कुल्लिहि ३५, संख्या (६०२४), व मुस्लिम (४/ २०३-२०४) किताब: अल् बिर्रु व अल् सिलह व अल् अदब ४५, बाब: फ़जलुर् रिफ़्क़ २३, संख्या (७७/ २५९३)।

⁽²⁾ मुस्लिम (१/ ९३) किताब: अल् ईमान १, बाब: तहरीमुल किब्रि व बयानुहु ३९, संख्या (१४७-९१)।

आशीर्वाद की अभिव्यक्ति है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “अल्लाह तआला इस बात को पसंद करता है कि अपने बंदे एवं भक्त पर अपनी नियामत के प्रभाव को देखे”।⁽¹⁾

इस्लाम व्यक्ति को अच्छी नैतिकता रखने का आदेश देता है जो समाज के सदस्यों के बीच प्रेम और भाईचारे के बंधन को मजबूत करता है, और हर उस चीज से रोकता है जो विघटन और नफरत की ओर ले जाती है, जैसे संदेह, जासूसी और ईर्ष्या। अल्लाह के रसूल (दूत) सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “बुरे गुमान एवं संदेह से बचो, क्योंकि बुरा गुमान सबसे झूठी बात है, और किसी के दोषों पर ध्यान न दो, किसी में दोष न निकालो, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा न करो, एक दूसरे से ईर्ष्या न करो, एक दूसरे से द्वेष न रखो, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई न करो, बल्कि अल्लाह के बन्दे भाई-भाई बन कर रहो”।⁽²⁾

ये गुण केवल इसी चरण के लिए विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि एक मुस्लिम व्यक्ति को अपने विकास के पहले चरण से ही इनका आदी हो जाना चाहिए, लेकिन इस स्तर पर ये अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इंसान पूर्ण मानसिक परिपक्वता के करीब होता है, इसके साथ-साथ वह अपने परिवार और समाज के लिए आदर्श भी होता है। यदि वह इन गुणों से इस चरण में सुशोभित नहीं होगा तो कब होगा!?

शैक्षिक अनुप्रयोग:

इस चरण की विशेषताओं के अनुरूप कुछ शैक्षिक अनुप्रयोग निम्नानुसार प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

- युवा पुरुषों एवं महिलाओं के लिए विवाह की लागत को सुविधाजनक बनाना, ताकि गुप्तांगों की सुरक्षा हो, वंशावली संरक्षित हो, संतान बढ़े और नैतिकता दुरुस्त हो। मस्जिद और मीडिया दोनों को अनिवार्य रूप से इस पहलू पर सलाह, मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करनी चाहिए ताकि समाज में नैतिक सद्गुणों का बोलबाला हो और दुर्गुण समाप्त हो।

(1) तिर्मिज़ी (५/ ११४) किताब: अल् अदब ४४, बाब: मा जाआ अन्ना अल्लाहा तआला युहिब्बु अन् यरा असरा निअमतिहि अला अब्दिहि ५४, संख्या (२८९१), तथा तिर्मिज़ी का कहना है कि: यह हसन सहीह है, सहीह सुनन तिर्मिज़ी, संख्या (२२६० – २९८५)।

(2) बुखारी (४/ १०३) किताब: अल् अदब ७८, बाब: मा युन्हा अनित् तहासुद व अल् तदाबुर ५७, संख्या (६०६४), व मुस्लिम (४/ १९८५) किताब: अल् बिर्रु व अल् सिलतु व अल् अदबु ४५, बाब: तहरीमिज़् ज़न्नि व अल् तजसुस्सि ९, संख्या (२८/ २५६३)।

- विश्वविद्यालयों एवं इस्लामी समुदाय के सभी संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक नैतिकता फैलाने के लिए काम करना चाहिए।

- एक मुस्लिम के जीवन में काम के महत्व पर प्रकाश डालना, उसे प्रोत्साहित करना और युवा लोगों के बीच भीख मांगने की आदत से निपटने के लिए समाज द्वारा मार्गदर्शन करना, जो बेरोजगारी और अपराध की ओर ले जाती है।

- विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कुछ युवाओं में फैल रही इस प्रवृत्ति के प्रति उन्हें आगाह करना और हर संभव तरीके से इसका मुकाबला करना।

षष्ठम: शैखूख्रह अर्थात् बुढ़ापा का चरण

यह चरण नैतिक गठन के लिए मार्गदर्शन के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, इसके अलावा यह पिछले चरण वाले लोगों के लिए आदर्श जीवन का भी प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसके सदस्यों ने अपने जीवन में सामान्य अनुभव किए होते हैं, और उन्होंने ज्ञान और विज्ञान सीखा और अर्जित किया हुआ होता है।

इसकी अवधारणा और भाषाई एवं शब्दावली संबंधी निहितार्थः

शब्द कोष के अनुसार शैख अर्थात् बूढ़ा व्यक्ति वह होता है “जो उम्र में बड़ा हो, अर्थात् पचास या इक्यावन वर्ष से लेकर जीवन के अंत तक या अस्सी वर्ष तक की आयु को बुढ़ापा अथवा वृद्धावस्था कहा जाता है”⁽¹⁾

सुप्रसिद्ध भाषाविद् इब्ने मन्ज़ूर शैख अर्थात् वृद्ध के विषय में कहते हैं कि: “इस से अभिप्राय वह व्यक्ति है जिसकी आयु अधिक हो गई हो, और उसके बाल सफ़ेद हो गए हों, यह भी कहा गया है कि: पचास वर्ष की आयु से लेकर उम्र के अंतिम पड़ाव तक की अवस्था को शैखूख्रह अर्थात् बुढ़ापा कहा जाता है, एक कथन यह भी है कि: यह इक्यावन वर्ष से लेकर मृत्यु होने तक की आयु है, एक अन्य कथन यह भी है कि: यह पचास वर्ष की आयु से लेकर अस्सी वर्ष तक की आयु को कहते हैं”⁽²⁾

अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ حُرْحُرٍ طِفْلًا ثُمَّ لِيَسْتَعْمُوا﴾

(1) अल् फ़ैरोज़ाबादी, अल् क्रामूस अल् मुहीत, खण्ड १, मादा شیخ ش ي خ, पृष्ठ (२६३)।

(2) इब्ने मन्ज़ूर, लिसानुल अरब, खण्ड ३, मादा شیخ ش ي خ, पृष्ठ (३१)।

अनुवाद: (वही है जिसने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर वीर्य से, फिर बंधे रक्त से, फिर तुम्हें निकालता है (गर्भाशयों से) शिशु बना कर, फिर बड़ा करता है ताकि तुम अपनी पूरी शक्ति को पहुँचो, फिर बूढ़े हो जाओ)। सूरह मूमिन (शाफिर): ६७।

इमाम कुर्तुबी रहिमहुल्लाह कहते हैं: “शैख अर्थात वृद्ध वह है जिसकी आयु चालीस वर्ष से अधिक हो चुकी हो”⁽¹⁾

मनोवैज्ञानिक शब्दावली के आधार पर हम देखते हैं कि कुछ लोग वृद्धावस्था की आयु को साठ साल के बाद मानते हैं, जैसाकि निम्नांकित विभाजन से स्पष्ट है।

१- जल्दी वाली वयस्कता २१ वर्ष से लेकर ४० वर्ष तक।

२- मध्यम आयु ४० वर्ष से लेकर ६० वर्ष तक।

३- वृद्धावस्था ६० वर्ष से लेकर उम्र के अंतिम पड़ाव तक⁽²⁾

जो बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है वह यह कि यह चरण चालीस वर्ष के बाद आरंभ होता है, जैसाकि कुर्तुबी रहिमहुल्लाह ने उल्लेख किया है, क्योंकि इस चरण में आदमी की आयु स्पष्ट हो चुकी होती है, तथा सामान्यतः उसके बाल सफेद हो चुके होते हैं, इसी प्रकार इस चरण का उल्लेख कुरआन में अशुद् (वयस्कता) वाले चरण के बाद किया गया है, जो चालीस वर्ष की आयु में पूर्ण होता है, जहाँ तक इस चरण के अंत की बात है तो यह आदमी की मृत्यु के साथ समाप्त होता है।

शैखूखह अर्थात वृद्धावस्था की विशेषताएं:

इस चरण के व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक कमजोरी के चरण तक नहीं पहुंचे हैं उनमें मानसिक परिपक्वता, दूरदर्शिता, मामलों की तार्किक समझ, विचारों का विश्लेषण करने की क्षमता और भावना की कमी जैसी विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होने में मदद करती हैं, और यह उन्हें गरिमा एवं शालीनता प्रदान करता है।

इस चरण की अति महत्वपूर्ण विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा उल्लेखित

(1) अल् कुर्तुबी: अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, खण्ड १५, पृष्ठ (२१५)।

(2) फुआद अल् बहिय्य अल् सय्यिद, अल् उसुस अल् नफ़िसय्यह लिन् नुमुव्व, पृष्ठ (३३५)।

किया जा सकता है:

- ताकत में धीरे-धीरे गिरावट, इब्न अल-क़ैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं: फिर चालीस के बाद, यह कम होने लगती है, और शक्ति धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है, जैसे यह धीरे-धीरे बढ़ी होती है।⁽¹⁾

- कालानुक्रमिक आयु बढ़ने से सीखने की क्षमता स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं होती है।

- वयस्कों का तर्क बच्चों के तर्क से अधिक स्पष्ट होता है, और यह विभिन्न मामलों की उनकी समझ और विश्लेषण से स्पष्ट होता है, परंतु यह चीज़ सभों के बीच समान नहीं होती है, क्योंकि दीर्घ अनुभव और शैक्षिक स्थिति का लोगों के व्यवहार और तर्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अतः वयस्कों को पढ़ाने का तरीका स्पष्ट होना चाहिए जो उनकी क्षमताओं के लिए उचित हो।

- बड़ी आयु का व्यक्ति चीजों की समग्रता को समझता है और फिर सीधे उनके मुख्य घटकों में उनका विश्लेषण करता है।⁽²⁾

- वृद्धों की भावनाएं युवा लोगों की तुलना में व्यापक और अधिक तीव्र होती हैं और कम शांत होती हैं।

- भावनाओं को नियंत्रित करने और गंभीर से गंभी परिस्थितियों में भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता, जैसा कि इस्लामी निर्देशों के उल्लेख के समय इसको बयान किया जाएगा।

- वृद्ध लोगों को आलोचना पसंद नहीं होती और वे इससे पीड़ा का अनुभव करते हैं, तथा युवा लोगों की तुलना में उनकी भावनाएं कम अस्थिर होती हैं।⁽³⁾

- दीर्घ आशा एवं जीवन से प्रेम करना, जैसा कि इसका उल्लेख आगे आएगा।

इस चरण के अंत में मनोवैज्ञानिक अनुकूलता क्षीण हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति को सामाजिक परिवेश में अपने स्थान और उपस्थिति का एहसास उसके मनोवैज्ञानिक समायोजन को प्रभावित करता है, जो बाद में उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है।⁽⁴⁾ ज्यों-ज्यों एक बूढ़ा

(1) इब्नुल क़ैयिमिल जौज़िय्यह, तुहफ़तुल मौदूद, पृष्ठ (१७८)।

(2) फ़ुआद अल् बहिय्य अल् सय्यिद, अल् उसुस अल् नफ़िसय्यह लिन् नुमुव्व, पृष्ठ (३३७)।

(3) पिछला संदर्भ, पृष्ठ (४१०)।

(4) अब्दुल्लाह अल् नाफ़ेअ आले शारेअ, अब्दुल मजीद अल् सैयिद अहमद मन्सूर, सौकोलोजिय्यत अल्

आदमी वृद्ध होता जाता है, त्यों-त्यों कमजोरी के लक्षण उनमें दिखाई देने लगते हैं, और व्यक्ति के लिए समाज में अपनी यथावत स्थिति बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है, जो उसके चारों ओर उस तेज गति से बदल रहा होता है जो उसके चारों ओर के परिवर्तनों के अनुकूल होने की उसकी क्षमता से अधिक होता है।⁽¹⁾

सामाजिक परिवर्तन, भौतिक लाभ और अपने आस-पास के लोगों की केवल अपने ही मामलों में व्यस्तता, व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करती है, जो उसके व्यवहार में दिखाई देता है। इस चरण की कठिनाई गैर-इस्लामिक समाजों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहां बुजुर्गों पर कम ध्यान दिया जाता है, और बच्चों को सामाजिक देखभाल घरों (social care) में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ प्रशंसा और सम्मान का मानक भौतिक लाभ पर आधारित होता है।

बुजुर्ग लोगों को दया, करुणा और प्रशंसा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और वे लोग इसके सबसे अधिक हकदार होते हैं, जो उन्होंने बुढ़ापे से पहले के चरणों में दूसरों को दिया था, इसके अलावा यह एक इस्लामी कर्तव्य भी है, जिसके माध्यम से बंदा (भक्त) सर्वशक्तिमान अल्लाह के करीब आता है, और इसीलिए हम पाते हैं कि इस्लामी मार्गदर्शन समाज में वृद्ध लोगों की गरिमा और स्थिति का सर्वोत्तम मार्गदर्शक एवं सर्वोच्च रक्षक है।

किसी व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक अनुकूलता प्राप्त करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज सही अक्रीदा (सत्य विश्वास) है। सच्चा ईमान व्यक्ति को वास्तविकता से संतुष्ट होना सिखाता है, तथा व्यक्ति और उसके आस-पास के वातावरण में भौतिक और नैतिक अभिव्यक्तियों के बीच मनोवैज्ञानिक अनुकूलता प्रदान करता है, जो उसे मनोवैज्ञानिक आश्वासन देता है जिस से दूसरों के साथ उसे अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

इसी प्रकार सच्चा ईमान (सही विश्वास) इस चरण के अंत के साथ होने वाले सभी जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिवर्तनों के साथ अनुकूलता और संतुष्टि में भी मदद करता है।⁽²⁾

इस चरण के लिए इस्लामी दिशानिर्देश:

शैखूखा फ़ी ज़ौइल हुदा अल् इस्लामी, पृष्ठ (५१)।

(1) फ़ुआद अल् बहिय्य अल् सय्यिद, अल् उसुस अल् नफ़िसय्यह लिन् नुमुव्व, पृष्ठ (३४२)।

(2) अब्दुल्लाह अल् नाफ़ेअ आले शारेअ, अब्दुल मजीद अल् सैयिद अहमद मन्सूर, सौकोलोजियत अल् शैखूखा फ़ी ज़ौइल हुदा अल् इस्लामी, पृष्ठ (५१)।

इस्लाम ने इस स्तर पर लोगों के व्यवहार को उस तरह से निर्देशित किया है जो उनकी स्थिति और दूसरों के व्यवहार पर उनके प्रभाव के अनुरूप हो, क्योंकि वे जिम्मेदार होते हैं, और जिम्मेदारी वाले व्यक्ति की विशेषता यह होनी चाहिए कि वो इसके योग्य हों, इसी तरह इस्लाम ने दूसरों पर उनका आदर एवं सम्मान करने को अनिवार्य करार दे कर उन्हें सम्मानित भी किया है।

उन इस्लामी दिशानिर्देशों में कुछ निम्नलिखित हैं:

- वृद्ध व्यक्ति विवाह के माध्यम से शुद्धता एवं पवित्रता की प्रतिरक्षा हासिल कर चुका होता है, तथा इस चरण के अंत में उसकी यौन प्रवृत्ति भी कमजोर हो जाती है। अतः यदि वह इस चरण में सर्वशक्तिमान अल्लाह के निषेधों का उल्लंघन करता है, तो यह उसे सर्वशक्तिमान अल्लाह की ओर से सबसे कठोर दंड का भागी बनाता है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने विशेष रूप से बुढ़ापे में यौन विचलन से सावधान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “तीन प्रकार के लोग ऐसे हैं जिन से अल्लाह क्रयामत (महा प्रलय) के दिन बात नहीं करेगा, न उन्हें पवित्र करेगा (मुआविया कहते हैं) न उनकी ओर (दया की दृष्टि से) देखेगा, तथा उनके लिए अति कष्टदायक यातना है: वृद्ध व्यभिचारी, झूठ बोलने वाला बादशाह तथा धनहीन अहंकारी⁽¹⁾”⁽²⁾

इमान नववी रहिमहुल्लाह कहते हैं: क्राजी रहिमहुल्लाह का कथन है: “इसका कारण यह है कि उनमें से हर एक ने उपरोक्त पाप उस स्थिति में किया, जब उसके लिए इससे बचना सरल था, उन्हें ऐसा करने की कदापि आवश्यकता नहीं थी तथा ऐसा करने को उकसाने वाले कारक उनके अंदर कमजोर थे, हालाँकि पाप करने पर कोई भी क्षमा योग्य नहीं है, किंतु चूँकि वहाँ इन पापों के लिए उकसाने वाला न तो कोई आवश्यक परिस्थिति थी और न ही कोई

⁽¹⁾ अल्लामा नववी रहिमहुल्लाह कहते हैं: (हदीस में वर्णित शब्द अल् आइल अल् फ़क्रीर अर्थात् धनहीन अहंकारी) के पास धन होता नहीं, और धन ही अहंकार, गर्व, अभिमान एवं अपने साथियों से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने का कारक, क्योंकि धन से उसे शक्ति प्राप्त होती है और जरूरतमंद लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, और जब उसके पास इसा मुख्य कारण धन ही नहीं है तो फिर वह किस आधार अहंकार करता है और दूसरों के स्वयं से तुच्छ समझता है, अतः धनहीन का अहंकार करना, व्योवृद्ध का व्यभिचार करना तथा राजा का झूठ बोलने का अर्थ यह निकलता है कि वह अल्लाह के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है। शर्ह अल् नववी (१/ ११७)।

⁽²⁾ सहीह मुस्लिम (१/ १०२ – १०३) किताब: अल् ईमान, बाब: बयानु गिल्लिज तहरीमि इस्बालिल इज्र ६४, संख्या (१७२ – १०७)।

सामान्य कारण था, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का कार्य करना मानो अल्लाह के अधिकार के प्रति उल्लंघन, तिरस्कार और उसकी अवज्ञा करने के इरादे जैसा था, न कि किसी और आवश्यकता के अंतर्गत ऐसा करना। वृद्ध अपनी पूर्ण बुद्धि, लम्बी आयु गुजारने के कारण प्राप्त होने वाले अनुभव, संभोग करने को प्रेरित करने वाले एवं महिलाओं के बारे में इच्छा जाग्रत करने वाले कारकों की कमी, और कामवासनी की कमी, ऐसे कारण हैं जो हलाल (वैध) ढंग से संभोग करने की इच्छा को भी कम कर देते हैं तो फिर निषिद्ध व्यभिचार के बारे में आपके क्या विचार हैं। क्योंकि ऐसा करने को उकसाने वाले कारकों में से है, मन की कमजोरी और कम उम्र के कारण युवा जोश, शारीरिक गर्मी, अल्प ज्ञान और कामवासना का प्रभुत्वा⁽¹⁾

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “अल्लाह ताला ने उस आदमी के लिए कोई उम्र नहीं छोड़ा, जिसकी मौत इतनी देर से हुई कि वह साठ साल की उम्र तक पहुँच गया”⁽²⁾

चूँकि वृद्ध व्यक्ति संसार एवं धन से प्रेम करने वाला होता है, साथ ही वह दूसरों की तुलना में चीजों के बारे में अधिक अनुभवी और जागरूक हो गया होता है, और अपनी इच्छाओं एवं भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख चुका होता है और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होता है, अतः उसके लिए कदापि उचित नहीं है कि वह संसार एवं धन का ऐसा शौकीन हो जाए जो उसके दिल को सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह की इबादत व पूजा से भटका दे, इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने बाब (अध्याय) बांधा है, जिसका नाम है, बाब: कराहियतुल् हिर्सि अलद् दुनिया⁽³⁾ (अर्थात् सांसारिक मोहमाया की लालसा की निंदा), तथा इसके अंतर्गत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन उद्धृत किया है: “एक बूढ़े आदमी का दिल दो चीजों के प्यार में जवान रहता है: लंबे जीवन की आशा एवं प्रचुर धन की इच्छा”⁽⁴⁾

नववी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि: “बूढ़े व्यक्ति का दिल पूरी तरह से पैसे के प्रेम में डूबा होता है तथा वह इसी से नियंत्रित होता है, जैसे वह जवानी में जवानी की ताकत से नियंत्रित होता है”⁽⁵⁾ वृद्ध आदमी की धन इकट्ठा करने की लालसा उसे अपने बच्चों

(1) अल् नववी, सहीह मुस्लिम, मय शर्ह अल् नववी, खण्ड २, पृष्ठ (११७)।

(2) अल् बुखारी (४/ १७६), संख्या (६४१९)।

(3) मुस्लिम (२/ ७२४) किताब: अल् ज़कात १२, बाब: कराहियतुल् हिर्सि अलद् दुनिया ३८।

(4) मुस्लिम (२/ ७२४) किताब: अल् ज़कात १२, बाब: कराहियतुल् हिर्सि अलद् दुनिया ३८, संख्या (११३ – १०४६)।

(5) अल् नववी, सहीह मुस्लिम, मय शर्ह अल् नववी, खण्ड ७, पृष्ठ (१३८)।

को सही मार्ग की ओर मार्गदर्शित करने एवं उचित पालन-पोषण करने से भी विचलित कर सकती है, कभी-कभी ऐसा करना उसे बर्बाद भी कर देता है जिसके कारण वह उसके पालन-पोषण पर मिलने वाले पुण्य से वंचित हो जाता है, और उसके विचलन एवं पथभ्रष्ट होने का वही जिम्मेवार होता है, और यह इस्लामी नैतिकता में से नहीं है कि पिता अपने बच्चों की देखभाल से मुँह मोड़ कर उसे बर्बाद हो जाने दे।

इस अवस्था में बूढ़े व्यक्ति के लिए एक इस्लामी शिष्टाचार यह है कि वह अपने सफ़ेद बालों की सफ़ेदी को बदल ले परंतु बाल को काला करने से बचे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “इसके सफ़ेद बालों को किसी अन्य रंग से बदल दो, परंतु काला करने बचो”।⁽¹⁾ वृद्ध लोगों को सफ़ेद बाल भी नहीं उखाड़ने चाहिए जैसा कि उनमें से कुछ लोग ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सफ़ेद बाल एक मुसलमान की गरिमा में वृद्धि करता है इसी प्रकार से यह उसके लिए नूर (दिव्य ज्योति) भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “सफ़ेद बालों को मत उखाड़ो, जो कोई मुस्लिम इस्लाम धर्म पर रहते हुए वृद्धावस्था को पहुँचता है तो यह (सफ़ेद बालों का होना) उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा, तथा अल्लाह तआला इसके बदले उसकी एक श्रेणी उच्च करता है एवं एक पाप मिटा देता है”।⁽²⁾

जो कोई भी इस चरण में प्रवेश कर चुका है उसे इस्लाम के शिष्टाचार के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होना चाहिए, हालांकि यह सभी चरणों में आवश्यक है, लेकिन इस चरण में जो व्यक्ति प्रवेश करता है वह अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अनुशासित रहने की क्षमता प्राप्त कर चुका होता है, जिस से उसे इस्लाम के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होने में सहायता मिलती है। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि: “हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बैठे थे, इसी दौरान एक युवा आया तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया: हे अल्लाह के रसूल! क्या मैं रोज़ा की हालत में (पत्नी का) चुम्बन ले सकता हूँ? आपने फ़रमाया: नहीं, इसके बाद एक बूढ़ा

(1) अहमद (३/ २४७), तथा अलबानी ने इसे सहीह करार दिया है, सहीहुल जामेअ अल् सगीर, संख्या (४१६९)।

(2) अबू दावूद (४/ ४१४) किताब: अल् तरज्जुल २७, बाब: फ़ी नत्फ़िश् शैबि १७, संख्या (४२०४), तथा उपरोक्त शब्द अबू दावूद द्वारा ही वर्णित हैं, व अहमद (२/ २१०) तथा अलबानी ने इस हदीस को हसन सहीह कहा है, सुनन अबू दावूद, संख्या (३५३९ – ४२०२)।

व्यक्ति आया और पूछा: क्या मैं रोज़ा रखने की स्थिति में चुम्बन ले सकता हूँ? तो आपने फ़रमाया: हाँ, यह सुन कर हम एक दूसरे की ओर देखने लगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: मैं जान रहा हूँ कि तुम लोग क्यों एक दूसरे की ओर देख रहे हो, (बात यह है कि:) बूढ़ा व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है (परंतु युवा नहीं)।⁽¹⁾ तथा अबू हुँरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि: “एक व्यक्ति ने रोज़े की हालत में पत्नी का आलिंगन करने के विषय में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अनुमति दे दी, फिर दूसरा व्यक्ति आया और उसने यही पूछा, तो आपने मना कर दिया, और आपने जिसको आलिंगन करने की अनुमति दी थी वह वृद्ध था जबकि आपने जिसको मना किया था वह युवा था”।⁽²⁾

दूसरी ओर, हम पाते हैं कि इस्लामी दिशानिर्देश इस चरण में उन्हें वो आदर एवं सम्मान देते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए, अतः इस्लाम छोटों को बुजुर्गों का सम्मान करने का आदेश देता है, और बच्चों को अपने माता-पिता की देखभाल करने, उनका ध्यान रखने और उनके प्रति दयालु होने का निर्देश देता है, और बच्चों को ऐसा कुछ भी न करने का आदेश देता है जिससे उन्हें कष्ट का अनुभव हो।

माता-पिता एवं वृद्ध लोगों के प्रति बच्चों के लिए इस्लामी दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

- इस्लाम ने बच्चों को बुजुर्गों का सम्मान करने को प्रेरित किया है क्योंकि इससे बुढ़ापे में उनके अधिकार सुरक्षित रहते हैं और उन्हें उनके बीच अपने महत्व एवं स्थिति का अनुभव होता है, और यह इस्लाम के महान नैतिकता और शिष्टाचार में से एक है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “सपने में मैंने स्वयं को देखा कि मैं मिस्वाक (दतवन) से दाँत साफ कर रहा हूँ, उसी समय दो लोगों ने (मिस्वाक पाने के लिए) मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा, उनमें से एक दूसरे से बड़ा था, तो मैंने मिस्वाक छोटे को दे दिया, जिस पर मुझ से कहा गया कि: बड़े को दीजिए, अतः मैंने

⁽¹⁾ अहमद (२/ १८५), तथा हैसमी ने इस हदीस का (मज्मउज़् ज़वाइद) में उल्लेख किया है और कहा है: इसके अंदर (इब्ने लिहिअह) है, और उस की हदीस हसन होती है, परंतु उसके विषय में विद्वानों ने कलाम किया है (अर्थात् उनको कमज़ोर कहा है)।

⁽²⁾ अबू दावूद (२/ ७८० – ७८१) किताब: अल् सौम ८, कराहियतुहु लिशबाबि ३५, संख्या (२३८७), अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को: हसन सहीह कहा है, सहीह सुनन अबू दावूद, संख्या (२०९० – २३८७)।

वह मिस्वाक उनमें से बड़े को दे दी”⁽¹⁾ और सल्लु बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि: “अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास पेय लाया गया, आपने उसमें से पिया, और आपके दाहिनी ओर एक बालक तथा बाईं ओर बड़े-बूढ़े लोग थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बालक से कहा: क्या तुम मुझे यह अनुमति देते हो कि: यह (पेय) मैं इन बूढ़े लोगों को दे दूँ? तो बालक ने कहा: हे अल्लाह के रसूल! आप से मिलने वाले हिस्सा पर मैं किसी को वरीयता नहीं दे सकता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस बालक के हाथ में प्याला रख दिया”⁽²⁾

पहली हदीस के विषय में: “इब्ने बत्ताल कहते हैं: इसमें मिस्वाक को देते समय बड़े लोगों को वरीयता देने की बात है, तथा खाने-पीने, चलने एवं बातचीत करने में इसका ध्यान रखा जायेगा। मुहल्लब कहते हैं: यह उस समय है जब क्रौम के लोग बेतरतीब ढंग से बैठे हों, किंतु यदि सारे लोग तरतीब से बैठे हों तो उस स्थिति में सुन्नत यह है कि दाहिनी ओर से आरंभ किया जाए”⁽³⁾ बातचीत और वाद के विषय में शिष्टाचार यह है कि बड़ों को छोटों पर प्राथमिकता देनी चाहिए। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने बाब (अध्याय) बांधा है: बाब इकरामिल कबीरि, व यब्दउ अल् अकबरु बिल् कलामि व अल् सुवालि (अर्थात: जो अपने से बड़ा है उसका सम्मान करना और उसे पहले बोलने और प्रश्न पूछने की अनुमति देना)⁽⁴⁾ तथा इसके अंतर्गत अब्दुल्लाह बिन सल्लु एवं मुहय्यिसह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस का उल्लेख किया है कि: “वे दोनों खैबर आए और खजूर के बाग में एक दूसरे से अलग हो गए, अब्दुल्लाह बिन सल्लु वहीं क्रत्ल कर दिए गए, फिर अब्दुर्रहमान बिन सल्लु एवं मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दोनों बेटे हुबय्यिसह व मुहय्यिसह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए एवं उन लोगों ने (अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु) के विषय पर चर्चा की, पहले अब्दुर्रहमान ने बोलना चाहा जो सबसे छोटे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “बड़े की बड़ाई का ध्यान रखो” (हदीस के रावी) यट्या कहते हैं कि इस से अभिप्राय यह है कि: बड़े को बात करने दो, फिर उन्होंने

(1) इस हदीस का संदर्भ पीछे गुज़र गया।

(2) अल् बुखारी (४/ १९) किताब: अल् अशरिबह ७४, बाब: हल यस्तअज़िनुर रज़ुलु अन् यमीनिहि फ़िश् शुर्बि लि युअतिया अल् अकबर १९, संख्या (५६२०)।

(3) इब्ने हजर, फ़त्हुल् बारी, खण्ड १, पृष्ठ (३५७)।

(4) अल् बुखारी (४/ ११७) किताब: अल् अदब ७८, बाब: ८९।

अपने साथी के संबंध में बात की”⁽¹⁾

- यह इस्लामी नैतिकता है कि बुजुर्ग युवाओं पर दया करते हैं, और युवा बुजुर्गों के अधिकारों को जानते हैं, अतः उनका सम्मान करते हैं और उनके बुढ़ापे के कारण उनका आदर करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जो छोटों पर दया न करे एवं जो बड़ों का सम्मान करना न जाने वह हम में से नहीं”⁽²⁾ पिछली दो हदीसों से जो सीखा जा सकता है वह यह है कि इस्लामी नैतिकता यह बताती है कि एक बुजुर्ग को अपने से छोटे लोगों के प्रति दयालु एवं करुणाशील होना चाहिए, ताकि छोटे लोग उससे हिल-मिल सकें एवं उसके व्यवहार का अनुकरण करें और उसकी सलाह तथा मार्गदर्शन को तल्लीनता से सुनें, क्योंकि अशिष्टता एवं कठोरता विभाजन को जन्म देता है और वयस्कों एवं बच्चों के बीच अंतर को बढ़ाता है। छोटे लोगों को अनिवार्य रूप से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें देने, बात करने एवं चलने इत्यादि में प्राथमिकता देनी चाहिए।

- बच्चों एवं अभिभावकों के लिए कुछ विशेष नैतिक दिशानिर्देश हैं, जैसे अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٣٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٣٤﴾ ﴾

अनुवाद: (-हे मनुष्य- तेरे पालनहार ने आदेश दिया है कि उस के सिवा किसी की इबादत (वंदना) न करो, तथा माता-पिता के साथ उपकार करो, यदि तेरे पास दोनों में से एक वृद्धावस्था को पहुँच जाएं अथवा दोनों, तो उन्हें उप्रफ़ तक न कहो और न झिड़को, एवं उनसे सादर बात बोलो। तथा उनके लिए विनम्रता का बाजू दया से झुका दो, और प्रार्थना करो: हे मेरे पालनहार! उन दोनों पर दया कर, जैसे उन दोनों ने बाल्यवस्था में मेरा लालन-पालन किया है) सूह बनी इस्राईल: २३-२४।

“अर्थात्, मौखिक एवं कर्म संबंधी परोपकार के सभी रूपों में उनके साथ अच्छा व्यवहार

(1) इस हदीस के संदर्भ का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है, तथा उपरोक्त शब्द बुखारी द्वारा वर्णित हैं।

(2) अल् तिरमिज़ी (४/ २८४) किताब: अल् बिरु व अल् सल्लिह व अल् आदाब २८, बाब: मा जाआ फ़ी रहमतिस्सिब्यान १५, संख्या (१९२०), तथा उन्होंने इस हदीस को सहीह कहा है, और अल्लामा अलबानी ने भी इस हदीस को सहीह कहा है, सहीह सुनन तिरमिज़ी, संख्या (१५६९ – २००२)।

करे, क्योंकि वे संतान के अस्तित्व का कारण हैं, और उनके पास बच्चे के लिए प्यार, एहसान व परोपकार का जो स्थान है वह उनके अधिकार की और अधिक पुष्टि करता है”⁽¹⁾ “और वे तुम्हारी ओर से ऐसा कुछ भी बुरा न सुनें जो उन्हें कष्ट पहुँचाए, यहाँ तक कि उफ़्र भी न कहो जोकि किसी को बुरा बोलने का सबसे निचला स्तर है”⁽²⁾

﴿وَلَا تَنْهَرُهُمَا﴾ अर्थात: उनसे क्रोधित हो कर उनके मुँह पर चिल्लाते हुए बात न करो, अता बिन अबी रबाह कहते हैं: “उनके सामने हाथ न झाड़ो”⁽³⁾ बोरियत भरी बातें न करो और उनके चेहरे के सामने चिल्लाओ नहीं।

﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا﴾ “उस चरम सीमा की विनम्रता एवं दयालुता के साथ जो आप के लिए संभव है”⁽⁴⁾

﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ अर्थात: आप अल्लाह से पुण्य पाने की आशा रखते हुए उनके समक्ष झुक कर, उनके लिए विनीत एवं दयालु बन कर रहें”⁽⁵⁾

﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّبَانِي صَغِيرًا﴾ अर्थात: चूँकि जब आप छोटे थे तो इन दोनों ने आपका लालन-पालन किया था, अतः उसका बदला चुकाने हेतु उनके जीवन में भी एवं मृत्यु पश्चात भी उनके लिए दया व कृपा की प्रार्थना करते रहें”⁽⁶⁾

शैक्षिक अनुप्रयोग:

- विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक संस्थानों को ईमान (आस्था) से संबंधित ऐसे पाठ तैयार करने में योगदान देना चाहिए जो भक्त को रब (पालनहार) के करीब लाते हों और उसे पाप एवं बुराइयों से दूर करते हों।

- बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करने वाले इस्लामी दिशानिर्देशों को समझाना, उनके साथ व्यवहार करने के शिष्टाचार को स्पष्ट करना और उसका पालन करने के महत्व पर जोर

(1) अब्दुर्रहमान अल् सअदी, तैसीरुल करीमिर् रहमान, खण्ड ३, पृष्ठ (१०३)।

(2) इब्ने कसीर, तफ़सीरुल् कुरआनिल् अज़ीम, खण्ड ३, पृष्ठ (३७)।

(3) इब्नुल जौज़ी, ज़ादुल् मसीर, खण्ड ५, पृष्ठ (१९)।

(4) पिछला संदर्भ, खण्ड ५, पृष्ठ (१९)।

(5) अब्दुर्रहमान अल् सअदी, तैसीरुल करीमिर् रहमान, खण्ड ३, पृष्ठ (१०३)।

(6) पिछला संदर्भ, खण्ड ३, पृष्ठ (१०४)।

देना।

- समाज की विभिन्न मार्गदर्शक संस्थाओं को उन लोगों को ऊपर उठाने में योगदान देना चाहिए जो इस स्तर पर हैं और उन्हें उनके उन नैतिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना चाहिए जिनकी उन्हें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और उन्हें यह बताना चाहिए कि वे बच्चों के आदर्श हैं अतः उनकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है, और यह मीडिया, सेमिनार, भाषण एवं उपदेश के माध्यम से हो।

निष्कर्ष

एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में विकास के जिन चरणों से गुजरता है, उनका अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो गया कि इन चरणों की अपनी विशेषताएं और खूबियां होती हैं।

इस्लाम ने इन चरणों के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन दिया है जो प्रत्येक चरण की कालानुक्रमिक आयु और उसकी विशेषताओं एवं विशिष्टताओं के अनुकूल है, क्योंकि यह मानव स्वभाव की प्रकृति के अनुरूप है। इस्लाम ने इसके कई पहलुओं को इस तरह से निर्देशित किया है कि समकालीन शैक्षिक पद्धतियाँ उन तक या उनके करीब तक भी नहीं पहुँच सकती हैं। यदि नैतिकता के संदर्भ में बात की जाए तो इस्लाम ने हर स्तर पर नैतिकता और नैतिक गुणों के उचित प्रसार के साथ इसको निर्देशित किया है। दूसरी ओर, उसने इसका दूसरा उपचार व्यक्ति को नैतिक बुराइयों से बचने का निर्देश देकर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार, विघटन और पारिवारिक एवं सामाजिक अलगाव उत्पन्न होता है, जो कि काफ़िर देशों में बुराइयों के प्रसार एवं उच्च नैतिकता की कमी के न्यूनतम दर्जे तक पहुँच गया है, यहीं नहीं अपितु बूढ़ों और गरीबों के प्रति तिरस्कार तथा शक्ति के मानकों के अनुसार लोगों से व्यवहार करना, चाहे वह आर्थिक शक्ति हो या शारीरिक अथवा मानसिक संरचना हो। वहाँ किसी व्यक्ति का मूल्य और गरिमा उसकी भौतिक शक्ति या सामाजिक स्थिति पर तय किया जाता है।

विकास के चरणों का अध्ययन करने के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक वह ज्ञान है जो शिक्षक को शारीरिक, संज्ञानात्मक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलुओं में मानव विकास की विशेषताओं के बारे में बताता है, जो नैतिकता का प्रतिनिधि है, साथ ही साथ भावनात्मक एवं संवेदनशील पहलू जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, के बारे में भी बताता है। इन पहलुओं के बारे में यदि शिक्षक के पास ज्ञान होगा तो वह इसी के अनुसार लोगों की विभिन्न विशेषताओं का ध्यान रखते हुए उनका मार्गदर्शन, विकास और उनके संग व्यवहार कर सकता है। जैसे एक बूढ़े व्यक्ति के साथ व्यवहार करना एक बालक के संग व्यवहार या युवा के संग व्यवहार करने से अलग होता है। क्योंकि हरेक की अपनी समझ, अपनी क्षमता और अपनी स्वीकृति उनके अनुसार होती, जैसे आप किसी छोटे आदमी से यह कह सकते हैं कि वह आपका बोझ उठा दे या उसे अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कह सकते हैं, जबकि अपने से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति से यह कहने में आपको शर्म आती है। इसी प्रकार से आप किसी बूढ़े व्यक्ति से किसी मामले में सलाह मांगते हैं एवं उनके संग विचार विमर्श करते हैं किंतु इसके संबंध में आप किसी छोटे से सलाह नहीं मांगते हैं क्योंकि वह इन चीजों को नहीं समझता है। इसी तरह, जब आप किसी युवा व्यक्ति को कोई आदेश देते हैं तो इसके लिए आप यदा-

कदा आदेशात्मक या कठोर वचन व शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करते हैं जो आपसे अधिक उम्र का है। जबकि आप कभी-कभी इसका उपयोग अपने जैसी उम्र के किसी व्यक्ति के साथ करते हैं और कभी इसका प्रयोग नहीं करते हैं, हरेक की अपनी विशेषता एवं प्रकृति होती है।

और इस प्रकार विकासात्मक चरणों की विशेषताओं एवं शैक्षिक मार्गदर्शन प्रक्रिया के बीच संबंध स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

इसी पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

हर प्रकार की प्रशंसा व अनुशंसा उस अल्लाह के लिए है जो समस्त संसार का रब व पालनहार है, तथा शांति एवं अल्लाह की कृपा की बरखा बरसे हमारे नबी व दूत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर तथा आपके समस्त परिवार वालों एवं साथियों पर।

संदर्भ स्रोत

अल् कुरआन अल् करीम

(अ, इ)

- इब्नुल असीर, मज्दुद्दीन अल् मुबारक बिन मुहम्मद अल् जज्री: अल् निहायतु फ़ी ग़रीबिल हदीस वल असर, अन्वेषण: ताहिर अहमद अल् ज़ावी व महमूद अल् तनाजी, बैरूत, दारुल फ़िक्र (द. त)।
- अबुल आला मौदूदी: अल् हिजाब, पंचम संस्करण, जेदा: अल् दार अल् सऊदिया, वर्ष १४०८ हिज्री – १९८८ ईस्वी।
- अबुल आला मौदूदी: तफ़्सीर सूरह नूर, द्वितीय संस्करण, जेदा: अल् दार अल् सऊदिया, वर्ष १४०७ हिज्री – १९८७ ईस्वी।
- अलबानी, मुहम्मद नासिरुद्दीन: सहीह सुनन अबू दावूद, प्रथम संस्करण, रियाज़: मकतबा अल् तरबिया अल् अरबी लि दुवलिल् खलीज, १४०९ हिज्री – १९८९ ईस्वी।
- अलबानी, मुहम्मद नासिरुद्दीन: सहीह सुनन इब्ने माजह, तृतीय संस्करण, रियाज़: मकतबा अल् तरबिया अल् अरबी लि दुवलिल् खलीज, १४०८ हिज्री – १९८८ ईस्वी।
- अलबानी, मुहम्मद नासिरुद्दीन: सहीह अल् जामेअ अल् स़ागीर व ज़ियादतिहि, द्वितीय संस्करण, बैरूत, अल् मकतब अल् इस्लामी, १४०६ हिज्री – १९८६ ईस्वी।
- आमाल सादिक़, फ़ुआद अबू हतब: नुमुवुल इन्सानि मिम् मर्हलतिल जनीन इला मर्हलतिल मुसिनीन, प्रथम संस्करण, काहिरा, मर्कज़ अल् तन्मिया अल् बशरिय्या वल मअलूमात, १९८८ ईस्वी।

(ब)

- अल् बुखारी, मुहम्मद ईस्माईल: अल् जामेअ अल् सहीह, अन्वेषण एवं व्याख्या: मुहिब्बुद्दीन अल् ख़तीब, तरक़ीम: मुहम्मद फ़ुआद अब्दुल बाक़ी, प्रसार व पुनरावलोकन: कुसैय मुहिब्बुद्दीन अल् ख़तीब, प्रथम संस्करण, काहिरा: अल् मतबअह अल् सलफ़िय्यह, १४०० हिज्री।
- अल् बुखारी, मुहम्मद ईस्माईल: अल् अदब अल् मुफ़द, तख़रीज: मुहम्मद फ़ुआद अब्दुल बाक़ी, तृतीय संस्करण, बैरूत, दारुल बशाइर अल् इस्लामिय्या, १४०९ हिज्री – १९८९ ईस्वी।

(त)

- अल् तिर्मिज़ी, अबू ईसा मुहम्मद बिन सौरह: अल् जामेअ अल् सहीह, अन्वेषण: अहमद मुहम्मद शाकिर, मक्का अल् मुकर्रमा: दारुल बाज़, (द त)।
- अल् तिर्मिज़ी, अबू ईसा मुहम्मद बिन सौरह: अल् शाइल अल् मुहम्मदियह, टिप्पणी: इज़ज़त उबैद अल् दआस, द्वितीय संस्करण, बैरूत: दारुल हदीस, १४०५ हिज़्री – १९८५ ईस्वी।
- इब्ने तैमिय्या, तक़ीयुद्दीन अहमद बिन अब्दुल हलीम: दरउ तआरुज़िल अक़िल वन् नक़िल, अन्वेषण: मुहम्मद रशाद सालिम, रियाज़, मत्बूआतु जामितिल इमाम मुहम्मद बिन सऊद अल् इस्लामिय्यह, १४०१ हिज़्री – १९८१ ईस्वी।

(ज)

- अल् जुर्जानी, अल् शरीफ़ अली बिन मुहम्मद: किताब अल् तअरीफ़ात, तृतीय संस्करण, बैरूत: दारुल कुतुब अल् इल्मिय्या, १४०८ हिज़्री – १९८८ ईस्वी।
- इब्नुल जौज़ी, अबुल फ़रज़ अब्दुर्रहमान बिन अली बिन मुहम्मद: ज़ादुल मसीर फ़ी इल्मिन् तफ़सीर, अन्वेषण: मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह, अहादीस की तरज़ीज (संदर्भ व्याख्या) की है: सईद बिन बिस्यूनी ज़ग़लूल ने, प्रथम संस्करण, बैरूत: दारुल फ़िक्र, १४०७ हिज़्री – १९८७ ईस्वी।

(ह)

- अल् हाकिम: अबू अब्दुल्लाह अल् हाकिम नीशापूरी: अल् मुस्तदरक अला अल् सहीहैन, इसी के साथ संलग्न है: हाफ़िज़ ज़हबी की (अल् तल्ख़ीस), पर्यवेक्षण: यूसुफ़ अब्दुर्रहमान अल् मरअश्ली, बैरूत: दारुल मअरिफ़ह, १४०६ हिज़्री – १९८६ ईस्वी।
- हामिद अब्दुस्सलाम ज़हान: इल्मु नफ़िसन् नुमुव्व, चतुर्थ संस्करण, काहिरा: आलमुल कुतुब, १९७७ ईस्वी।
- इब्ने हज़र: अहमद बिन अली बिन हज़र अल् अस्कलानी: फ़तहुल बारी बि शर्ह सहीह अल् बुख़ारी, अन्वेषण: अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, तबवीब (अध्याय): मुहम्मद फ़ुआद अब्दुल बाक़ी, बैरूत: दारुल मअरिफ़ह, (द त)।
- हसन अय्यूब: अल् सुलूक अल् इज्तेमाई फ़िल इस्लामि, चतुर्थ संस्करण, बैरूत: दारुन् नदवह, १४०३ हिज़्री – १९८३ ईस्वी।

(ख)

- ख़ैरिय्यह हसन ताहा, दौरुल उम्मि फ़ी तरबियतिल् त्रिफ़िलल् मुस्लिम, द्वितीय संस्करण, जेदा: दारुल मुज्तामअ, १४०९ हिज़्री – १९८९ ईस्वी।

(द)

- अबू दावूद: सुलैमान बिन अल् अश्अस अल् सिजिस्तानी अल् अज्दी, सुनन अबी दावूद, संकलन व टिप्पणी: इज्जत उबैद अल् दआस व आदिल अल् सय्यिद, प्रथम संस्करण, बैरूत: दारुल हदीस, १३८८ हिज्री – १९६९ ईस्वी।

(स)

- अल् सअदी: अब्दुर्रहमान नासिर अल् सअदी: तैसीरुल करीमिर्रहमान फ़ी तफ़्सीरि कलामिल मन्नान, जेद्दा: दारुल मदनी, १४०८ हिज्री – १९८८ ईस्वी।
- सय्यिद कुतुब: फ़ी ज़िलालि कुरआन, बैरूत: दारुल् शुरूक, १४०१ हिज्री – १९८१ ईस्वी।
- अल् सुयूती: जलालुद्दीन अबुल फ़ज़ल अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र, तबक्रातुल् हुफ़्फ़ाज़, अन्वेषण: अली मुहम्मद उमर, प्रथम संस्करण, काहिरा: मकतबह वहबह, १३९३ हिज्री – १९७३ ईस्वी।
- अल् सुयूती: जलालुद्दीन अबुल फ़ज़ल अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र व जलालुद्दीन मुहम्मद अहमद महल्ली, तफ़्सीरुल जलालैन, बैरूत: दारुल मअरिफ़ह (द त)।

(श)

- अल् शौकानी, मुहम्मद अली बिन मुहम्मद, नैलुल औतार, बैरूत: दारुल कुतुब अल् इल्मिय्यह (द त)।

(अ)

- अब्दुल्लाह नास्रेह अल् अल्वान, प्रथम संस्करण, हलब: दारुस् सलाम, १४०३ हिज्री – १९८३ ईस्वी।
- अब्दुल्लाह नास्रेह अल् अल्वान, तरबियतुल औलादि फ़िल इस्लामि, क्रिस्सतुल हिदायह, बैरूत: दारुस् सलाम, १४०० हिज्री।
- अब्दुल्लाह अल् नाफ़ेअ आले शारेअ, अब्दुल मजीद सय्यिद अहमद मन्सूर: सैकोलोजिय्यह अल् शैख़ूख़ह फ़ी ज़ौइल हुदा अल् इस्लामी, अबू धाबी: मुनज़्ज़िमतुल मोअतमर अल् इस्लामी, हलक्रतु रिआयतिल मुसिन्नीन फ़िल इस्लामि, २१ – २४ अप्रैल १९८६ ईस्वी।

(ग)

- अल् ग़ज़ाली: अबू हामिद मुहम्मद बिन मुहम्मद, इह्याउ उलूमिद्दीन, संपादन: अब्दुल अज़ीज़ इज़्ज़ुद्दीन अल् सैरवान, तृतीय संस्करण, बैरूत, दारुल क़लम (द त)।

(फ)

- फुआद अल् बहीय्य अल् सय्यिद: अल् उसस अल् नफ़िसय्यह लिन् नुमुव्व, चतुर्थ संस्करण, मिन्न: दारुल फ़िक्र अल् अरबी, १८७५ ईस्वी।
- अल् फ़ैरोज़ाबादी, मज्दुद्दीन मुहम्मद बिन याक़ूब: अल् कामूस अल् मुहीत, बैरूत: दारुल फ़िक्र (द त)।

(क)

- इब्ने कुदामा, मुवफ़फ़ुद्दीन अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन अहमद: अल् मुःनी: इसी साथ संलग्न है: अल् शर्ह अल् कबीर, जो कि इब्ने कुदामा मक़दिसी की है, बैरूत: दारुल कुतुब अल् इल्मिय्यह (द त)।
- अल् कुर्तुबी, अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद अल् अन्सारी: अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, प्रथम संस्करण, बैरूत: दारुल कुतुब अल् इल्मिय्यह, १४०८ हिज्री – १९८८
- इब्नु कैयिमिल् जौज़िय्यह, शम्सुद्दीन मुहम्मद बिन अबू बक्र: जादुल् मआद फ़ी हदयि ख़ैरिल इबाद, अन्वेषण: शुऐब अल् अरनाऊत, तेरहवां संस्करण, बैरूत: मुअस्सतुर् रिसालह, १४०६ हिज्री – १९८६ ईस्वी।
- इब्नु कैयिमिल् जौज़िय्यह, शम्सुद्दीन मुहम्मद बिन अबू बक्र: तुहफ़तुल् मौदूद बि अहकामिल् मौलूद, अन्वेषण: बशीर मुहम्मद उयून, द्वितीय संस्करण, दिमशक़, ताइफ़: दारुल बयान, अल् मुअय्यिद, १४०७ हिज्री।

(क)

- इब्ने क़सीर, इमादुद्दीन अबुल फ़िदा इस्माईल: तफ़सीरुल कुरआनिल् अज़ीम, द्वितीय संस्करण, बैरूत: दारुल मअरिफ़ह, १४०७ हिज्री – १९८७ ईस्वी।
- अल् कुवैत, विज़ारतुल् औक्राफ़ व अल् शुऊन अल् इस्लामिय्यह: अल् मुअस्सतुल् फ़िक़्िहिय्यह, द्वितीय संस्करण, १४०६ हिज्री – १९८६ ईस्वी।

(म)

- इब्ने माजह, अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन यज़ीद अल् क़ज़वीनी: सुनन इब्ने माजह, अन्वेषण: मुहम्मद फ़ुआद अब्दुल बाक़ी, (द म), दारु इह्याइत् तुरास अल् अरबी (द त)।
- मुहम्मद अल् अमीन अल् शन्क़ीती: तफ़सीर सूरतुन् नूर, उनकी ओर से इसका लेखन किया है: अब्दुल्लाह अहमद क़ादरी ने, प्रथम संस्करण: जेद्दह: दारुल मुज्तामअ, १४१० हिज्री – १९९० ईस्वी।
- मुहम्मद जमील यूसुफ़, फ़ारूक़ अब्दुस्सलाम: अल् नुमुव्व, जेद्दा: तिहामाह, १४०१

हिज्री – १९८० ईस्वी।

- मुहम्मद हुसैन अलावी: इल्मुन्नफ़िस अल् रियाज़ी, षष्ठ संस्करण: काहिरा: दारुल मआरिफ़, १९८७ ईस्वी।
- मुहम्मद अल् सय्यिद अल् ज़अबलावी: अल् उमूमतु फ़िल् कुरआनिल् करीम व अल् सुन्नह अल् नबविय्यह, चतुर्थ संस्करण, बैरूत: मुअस्सतुर् रिसालह, १४०९ हिज्री – १९८८ ईस्वी।
- मुस्लिम, अबुल हुसैन मुस्लिम बिन अल् हज्जाज अल् कुशैरी नीशापूरी, सहीह मुस्लिम, अन्वेषण: मुहम्मद फ़ुआद अब्दुल बाक्री, काहिरा, दारुल हदीस, (द त)।
- मअरूफ़ ज़ुरैक़: ख़फ़ाया अल् मुराहिक़ह, द्वितीय संस्करण, दिमशक़: दारुल फ़िक़, १४०६ हिज्री – १९८६ ईस्वी।
- मिक्कादाद यालजिन्न, अल् तरबियह अल् अख़्लाक़िय्यह अल् इस्लामिय्यह, काहिरा: मकतबा अल् ख़ानजी, १३९७ हिज्री – १९७७ ईस्वी।
- इब्ने मन्ज़ूर, अबुल फ़ज़ल जमालुद्दीन मुहम्मद बिन मुकर्रम: लिसानुल् अरब, बैरूत: दार सादिर (द त)।

(न)

- अल् नसई: अबू अब्दुर्हमान अहमद बिन शुऐब: सुनन अल् नसई, शर्ह हाफ़िज़ जलालुद्दीन सुयूती, एवं इमाम सिन्दी की टिप्पणी सहित, क्रम: अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दह, प्रथम संस्करण, बैरूत: मकतब अल् मतबूआत अल् इस्लामिय्यह, हलब, १४०६ हिज्री – १९८६ ईस्वी।
- अल् नववी, मुहयुद्दीन अबू ज़करिय्या यह्य्या बिन शरफ़: सहीह मुस्लिम मय शर्ह नववी, बैरूत: दारुल किताब अल् अरबी १४०७ हिज्री – १९८७ ईस्वी।

(ह)

- अल् हैसमी, नूरुद्दीन अली बिन अबू बक्र: मज्मउज़् ज़वाइद व मन्बउल फ़वाइद, तहरीर: हाफ़िज़ इराक़ी व हाफ़िज़ इब्ने हजर, काहिरा, बैरूत: दारुल् रय्यान, १४०७ हिज्री – १९८७ ईस्वी।

विषय सूची

भूमिका	2
प्रथम: स्तनपान अवस्था.....	6
स्तनपान अवस्था का अर्थ:	6
इस चरण की विशेषता:.....	6
इस चरण के लिए इस्लामी मार्गदर्शन:.....	9
शैक्षिक अनुप्रयोग:	13
द्वितीय: हज़ानह (गोदी) वाला चरण	14
हज़ानह का अर्थ:	14
इस चरण की विशेषताएं:.....	15
इस चरण के लिए इस्लामी दिशानिर्देश:	16
शैक्षिक अनुप्रयोग:	22
तृतीय: वस्तुओं में अंतर करने की आयु वाला चरण	24
अंतर करने वाले चरण का अर्थ:	24
इस चरण की विशेषताएं:.....	24
इस चरण के लिए इस्लामी दिशानिर्देश:	26
नैतिक शैक्षिक अनुप्रयोग:	32
चतुर्थ: युवावस्था.....	34
मुराहक़ह अर्थात् किशोरावस्था और वयस्कता की अवधारणा:	34
यौवन की विशेषताएं:.....	36
इस चरण के लिए इस्लामी मार्गदर्शन:.....	38
शैक्षिक अनुप्रयोग:.....	45
पंचम: अल् रुश्द “अल् अशुद् - अल् शबाब” अर्थात् वयस्कता (परिपक्वता - युवावस्था).....	47
अल् रुश्द, अल् अशुद् - अल् शबाब की अवधारणा:	47

रुशद चरण की विशेषताएं:.....	51
इस चरण के लिए इस्लामी दिशानिर्देश:	53
शैक्षिक अनुप्रयोग:.....	58
षष्ठम: शैखूखह अर्थात बुढ़ापा का चरण.....	59
इसकी अवधारणा और भाषाई एवं शब्दावली संबंधी निहितार्थ:	59
शैखूखह अर्थात वृद्धावस्था की विशेषताएं:.....	60
इस चरण के लिए इस्लामी दिशानिर्देश:	62
शैक्षिक अनुप्रयोग:.....	69
निष्कर्ष.....	71
संदर्भ स्रोत	73
विषय सूची	78